लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

[खंड 52 में अंक 21 से 30 तक हैं]
Vol. LII contains Nos. 21 to 30

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 26—बुधवार, 23 मार्च 1966/2 चैत्र, 1888 (शक)

No. 26—*Wednesday, March* 23, 1966/*Chaitra* 2, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
713	राजस्थान में विधान मंडल के सदस्यों का विधान सभा से निकाल दिया जाना	Expulsion of Rajasthan M.L.As. from Vidhan Sabha . .	5333–39
714	निष्क्रमण आयोग	Exodus Commission . . .	5339–40
715	नये चिकित्सा स्नातकों के लिये गांवों में सेवा करने की अनिवार्यता	Compulsory Rural Service for Fresh Medical Graduates .	5341
716	दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका के वित्तीय साधन	Financial Resources of D.M.C. and N.D.M.C. . . .	5342–43
717	कपड़ा तथा इंजीनियरी कारखानों का बन्द होना	Closure of Textile and Engineering Units	5343–45
718	भूतपूर्व सैनिकों का सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाया जाना	Rehabilitation of Ex-Servicemen on Border . . .	5345–47
719	मंत्रालयों से हिन्दी में कामकाज	Working in Hindi in Ministries .	5347–49

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. N. Q. Nos.			
720	नजरबन्द लोगों की दशा	Conditions of Detenus . .	5349
721	मास्को के साथ विद्वानों का आदान प्रदान	Academic Exchanges with Moscow	5349
722	बोनस अधिनियम का भारत सरकार के मुद्रणालय, टकसाल और अफीम फैक्टरियों में लागू किया जाना	Application of Bonus Act to Govt. of India Press, Mint and Opium Factories	5350
723	अणू तरंग सम्पर्क (माइक्रो-वेव लिंक्स)	Micro-Wave Links . . .	5350
724	पाकिस्तानी जासूसी गिरोह	Pak Spy Ring	5350

*किसी नाम पर अंकित यह (+) चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
725	सचेतकों का सम्मेलन	Whips' Conference . . .	5351
726	छम्ब-अखनूर क्षेत्र के विस्थापित लोग	Displaced Persons from Chhamb-Akhnoor Area . . .	5351–52
727	स्वर्गीय प्रधान मंत्री, लाल बहादुर शास्त्री, का स्मारक	Memorial to late Prime Minister, Lal Bahadur Shastri . .	5352
728	ऐच्छिक विषय के रूप में शिक्षा का विषय	Education as an Elective Subject .	5352–53
729	मिट्टी के तेल के कनस्तर	Kerosene Oil Containers . .	5353
730	भारत में तेल की खोज	Oil Exploration in India . .	5353–54
731	भारत सुरक्षा नियमों का प्रयोग	Use of D.I.R.	5354
732	नागाओं द्वारा अपनी गतिविधियां तेज करना	Intensification of Activities by Nagas	5354–55
733	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोनस	Bonus in Public Sector Undertakings	5355
734	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य	Rehabilitation Work in West Bengal	5355
735	मनीपुर सीमावर्ती उपद्रवग्रस्त क्षेत्र	Disturbed Area Bordering Manipur	5355–56
736	पुस्तकालय विज्ञान का विकास	Development of Library Science	5356
737	उपकुलपतियों की नियुक्तियां	Appointments of Vice-Chancellors	5356–57
738	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	Employees State Insurance Corporation	5357
739	दिल्ली में टेलीफोनों का हटा दिया जाना	Disconnection of Telephones in Delhi	5357–58
740	मिजो विद्रोहियों का पाकिस्तान से भारत लौटकर आना	Entry of Mizos from Pakistan .	5358
741	मिजोलैण्ड में हुई गडबड़ी के फल-स्वरूप हुई क्षति	Losses due to Trouble in Mizoland	5358

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2595	पुंथूरा के सब-इंस्पेक्टर	Punthura Sub-Inspector . .	5359
2596	त्रिचूर के फोर्ट सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध आरोप	Charges against Fort Sub-Inspector, Trichur . . .	5359
2597	काजू उद्योग	Cashewnut Industry . .	5359–60
2598	सर्कस कलाकार	Circus Artistes	5360
2599	ताड़ी निकालने का उद्योग	Toddy Tapping Industry . .	5360–61
2600	केरल में बिजली की खपत में कमी के कारण बेरोजगारी	Unemployment due to Electricity cut in Kerala . . .	5361
2601	दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence Course for Higher Secondary Education in Delhi .	5361

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2602	जापानी विशेषज्ञों द्वारा नि:शुल्क सेवा	Free Service by Japanese Experts	5361–62
2603	महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों को अनुदान	Grants to Universities of Maharashtra	5362
2604	केरल में नजरबन्द व्यक्तियों का वर्गीकरण	Classification of Detenus in Kerala	5362
2605	केरल में मत्स्यपालन	Fisheries in Kerala . . .	5362–63
2606	अन्ना की मृत्यु	Death of Anna . . .	5363
2607	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, आल्वाय का विस्तार	Expansion of Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., Alwaye	5363
2608	भारतीय भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहन	Incentive to learn Indian Language	5363–64
2609	मेसर्स टी० टी० कृष्णमाचारी एन्ड कम्पनी	M/s. T. T. Krishnamachari & Co.	5364
2610	अमरीका में भारतीय छात्र	Indian Students in U.S.A. . .	5364–65
2612	दिल्ली में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for P. & T. Employees in Delhi	5365
2613	पश्चिम बंगाल में दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश	Milk Products Control Order in West Bengal	5365–66
2614	लोअर डिवीजन क्लर्कों को स्थायी बनाने सम्बन्धी परीक्षा	Confirmation Examination for L.D.Cs.	5366
2615	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का कल्याण	Welfare of Central Government Employees	5366–67
2616	परीक्षा प्रणाली	Examination System . .	5367
2617	केरल में छात्रों द्वारा हिन्दी सीखना	Hindi Learning by Kerala Students	5367
2618	कुछ विशेष कालेजों को अनुदान	Grant to certain Colleges . .	5367–68
2619	भारतीय विश्वविद्यालयों की आलोचना	Criticism of Indian Universities	5368
2620	राजस्थान में शिक्षा पर व्यय	Expenditure on Education in Rajasthan	5368
2621	दिल्ली की एक फैक्टरी में बारूद विस्फोट	Gunpowder Explosion in a Factory in Delhi	5369
2622	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में एक गुफा में बरामद किया गया माल	Goods siezed in a Cave in Ramakrishnapuram, New Delhi .	5369
2623	उर्वरक संयंत्र	Fertilizer Plants . .	5370
2624	उत्तर प्रदेश में डाकिये	Postmen in U.P. . .	5370
2625	उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections in U.P. .	5370–71
2626	पश्चिम बंगाल के गृह-सचिव के पद का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Post of Home Secretary in West Bengal . .	5371

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2627	केन्द्रीय रसायन सलाहकार समिति	Central Advisory Committee on Chemicals	5371–72
2628	कोयले से उर्वरकों का उत्पादन	Manufacture of Fertilizers from Coal	5372
2629	दिल्ली में छुराबाजी की घटनाएं	Stabbing Cases in Delhi . .	5372
2630	कोयला खानों में छंटनी	Retrenchments in Coal Mines .	5372–73
2631	नेफा में कल्याण कार्य	Welfare Work in NEFA . .	5373
2632	राजस्थान में बेरोजगार महिलाएं	Unemployed Women in Rajasthan	5373
2633	राजस्थान में डाक सेवाएं	Postal Services in Rajasthan .	5374
2634	आन्ध्र प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी	Sangeet Natak Akademi in Andhra Pradesh.	5374
2635	राजस्थान में स्कूलों के छात्रावास	School Hostels in Rajasthan .	5375
2636	राजस्थान में कालेजों तथा हाई स्कूल	Colleges and High Schools in Rajasthan	5375
2637	उड़ीसा में हिन्दी का विकास	Development of Hindi in Orissa .	5375
2638	उड़ीसा में इंजीनियरी कालेज	Engineering Colleges in Orissa .	5376
2639	उड़ीसा में स्कूल छात्रावास	School Hostels in Orissa . .	5376
2640	उड़ीसा में अनूसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के बेरोजगार उम्मीदवार	Unemployed Schedule Castes and Scheduled Tribes Candidates in in Orissa	5376–77
2641	डाक घरों में जमा राशि	Deposits in Post Offices . .	5377
2642	खतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages for Agricultural Labour	5377
2643	अत्तापाडी (केरल) में पुलिस की ज्यादतियां	Police excesses in Attapadi (Kerala)	5377–78
2644	केरल में शिक्षक प्रशिक्षण उपाधि	Teachers Training Degree in Kerala	5378
2645	श्रमिकों में ऋणग्रस्तता	Indebtedness among Workers .	5378–79
2646	कलकत्ता में टेलीफोन	Telephones in Calcutta .	5379–80
2647	विद्रोही नागाओं की गिरफतारियां	Arrests of Naga Hostiles . .	5380
2648	नागा ग्रामीणों को जलाये जाने की घटना के बारे में न्यायिक जांच	Judicial Inquiry into burning of Villagers	5380
2649	विज्ञान की तथा तकनीकी पुस्तकों की प्रदर्शनी	Exhibition of Scientific and Technical Books	5380–81
2650	आर्थिक तथा सामाजिक विकास में शिक्षा का योगदान	Roll of Education in Economic and Social Development . .	5381
2651	नव नालन्दा महाविहार	Nava Nalanda Mahavihara .	5382–82
2652	मैसर्स अकूजी जाडवेट ट्रेडिंग कम्पनी, अन्दमान तथा निकोबार	M/s. Akoojee Jadwet Trading Co., Andaman and Nicobar . .	5382

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2653	अन्दमान द्वीपसमूह के निकट गैर-आबाद द्वीप	Uninhabited Islands near Andamans	5382
2654	गणना विभाग, केरल में छंटनी	Retrenchment in Census Department, Kerala	5382
2655	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	Payment of Bonus Act, 1965	5383
2656	उर्वरक उत्पादन के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Production of Fertilizers	5383
2657	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	Employees State Insurance Corporation	5383–84
2658	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में पदोन्नतियां	Promotion in Scientific and Technical Terminology Commission	5384
2659	केरल में छात्रवृत्तियां	Scholarships in Kerala	5384–85
2660	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी	Survey of India Employees	5386
2661	दक्षिणी सर्किल में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों का नौकरी से निकाल दिया जाना	Discharge of Survey of India Employees in Southern Circle	5386
2662	अन्तर्राष्ट्रीय अप सम्मेलन का अभिसमय	Convention of I.L.O.	5386–87
2663	शिक्षा सम्बन्धी आयोजन पर गोष्ठी	Seminar on Educational Planning	5387
2664	पिछड़ी जातियों के लिये पदों को सुरक्षित रखणा	Reservations for Backward Communities	5387–88
2665	शिक्षा सम्बन्धी संसाधन केन्द्र के रूप में भारत	India as an Educational Resources Centre	5388
2666	केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम	Scheme and Syllabi of U.P.S.C. Examinations for Recruitment to Central Services	5388–89
2667	प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, सिलचर	Regional Engineering College, Silchar	5389
2668	मिजो नेशनल फ्रंट पर प्रतिबन्ध लगाना	Banning of Mizo National Front	5389
2669	मिजो विद्रोह में विदेशी धर्मप्रचारकों का हाथ	Banning of Foreign Missionaries in Mizo Crisis	5389–90
2670	मुत्थी शरणार्थी कैम्प	Muthee Refugee Camp	5390
2671	जनोशिखा प्रेस, अगरतला, त्रिपुरा	Janasikka Press, Agartala, Tripura	5390
2672	महाराष्ट्र में बेरोजगारी व्यक्ति	Unemployed in Maharashtra	5390–91
2673	महाराष्ट्र में टैलीफोन बिलों की बकाया रकम	Arrears of Telephone Bills in Maharashtra	5391
2674	महाराष्ट्र में डाकघर	Post Offices in Maharashtra	5391
2675	महाराष्ट्र में पेट्रोलियम के उत्पादनों की खपत	Consumption of Petroleum Products in Maharashtra	5391
2676	महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र में पोलीटैक्निक संस्थाएं	Polytechnics in Marathwada Area in Maharashtra	5392

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2677	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पद	Posts in University Grants Commission	5392–93
2678	गैस से उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers from Gas	5393
2679	एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन इन्स्टीट्यूट	Aerial Photo Interpretation Institute	5393
2680	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Employees of Scientific and Technical Terminology Commission	5394
2681	कोचीन लते शोधक कारखाना	Cochin Refinery	5394–95
2682	भारतीय भाषाओं का विकास	Development of Indian Languages	5395
2683	विज्ञान सम्बन्धी अफ्रीकी-एशियाई विचार गोष्ठी	Afro-Asian Science Symposium	5395
2684	मिजो लोगों के लिये पाकिस्तानी बजरें (बार्ज) द्वारा हथियार का उतारा जाना	Pakistani Barge unloading Arms for Mizos	5396
2685	दिल्ली के स्कूलों में ली जाने वाली ट्यूशन फीज	Tuition Fees Charged in Delhi Schools	5396
2686	दिल्ली जल में उगाई जाने वाली सब्जियों का दुरुपयोग	Alleged misuse of Vegetables grown in Delhi Jail	5396
2687	विस्फोज रेयन उद्योग	Viscous Rayon Industry	5396–97
2688	मैसूर उच्च न्यायालय	Mysore High Court	5397
2689	मैसूर के उच्च न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे	Cases pending in Mysore High Court	5397–98
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	
	(1) पाकिस्तान के मान्यता प्राप्त-प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों द्वारा भारत विरोधी प्रचार—	(i) Anti-India propaganda by Pakistan's accredited representatives and others—	
	श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur	5398
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	5398–5401
	(2) कलकत्ता से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानों का मंसूख किया जाना—	(ii) Cancellation of IAC Flight from Calcutta—	
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	5402
	श्री संजीव रेड्डी	Shri Sanjiva Reddy	5402–04
	ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारें में प्रश्न	Re : Calling Attention Notices (Querry)	5404
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	5404–06 5406–07

विषय	Subject	पृष्ठ PAGES
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	Committee on Private Members' Bill and Resolutions—	
बयासीवां प्रतिवेदन	Eighty-second Report	5406
अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1966-67 तथा अनुदानों की अन[illegible]गें ([illegible]लवे 1965-66—	Demands for Grants (Railways), 1966-67 and Demands for Supplementary Grants (Railways), 1965-66—	
श्री मोहन नायक	Shri Mohan Nayak . .	5408
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur .	5409–10
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Muhammad Ismail . .	5410–12
डा० चन्द्रभान सिंह	Dr. Chandrabhan Singh .	5412–13
श्री म० ला० द्विवेदी	Shri M. L. Dwivedi .	5413–15
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh . .	5415–16
श्री राधेलाल व्यास	Shri Radhe Lal Vyas . .	5416–17
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	5417
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki . . .	5417–18
श्री न० प्र० यादव	Shri N. P. Yadav . .	5418
श्री बूटा सिंह	Shri Buta Singh . . .	5418–20
श्री च० ला० चौधरी	Shri Chandramani Lal Chaudhry	5420–21
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza . .	5421
श्री मुत्तु गोंडर	Shri Muthu Gounder .	5421–22
श्री चुनीलाल	Shri Chuni Lal . .	5422–23
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh . .	5423–25
श्री फ० गो० सेन	Shri P. G. Sen . . .	5425–26
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadav . .	5426
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen . . .	5426–27
श्री अ० प्र० शर्मा	Shri A. P. Sharma .	5427
श्री लाखन दास	Shri Lakhan Das . . .	5427–28

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 23 मार्च, 1966/2 चैत्र, 1888 (शक)
Wednesday, March 23, 1966/Chitra 2, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राजस्थान में विधान मंडल के सदस्यों का विधान सभा से निकाल दिया जाना

+

*713. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**	**श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :	**श्री मधु लिमये :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :	**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हो० ना० मुकर्जी :	**श्री काशी राम गुप्त :**
श्रीमती सावित्री निगम :	**श्री किशन पटनायक :**
श्री शिंकरे :	**श्री रामसेवक यादव :**
श्री विश्राम प्रसाद :	**श्री नि० चं० चटर्जी :**
श्री हेम बरुआ :	**श्री नाथ पाई :**
श्री हरि विष्णु कामत :	**डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के राज्यपाल द्वारा 26 फरवरी, 1966 को विधान सभा के उद्घाटन सत्र से राजस्थान के विधान मण्डल के सदस्यों को निकाल दिये जाने के बारे में कोई समाचार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाही की सांवैधानिकता तथा औचित्य के बारे में विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जब 26 फरवरी, 1966 को राज्यपाल का अभिभाषण सुनने के लिये राजस्थान विधान सभा की बैठक शुरु हुई तब अभिभाषण की समाप्ति तक राज्यपाल कार्यवाही के अध्यक्ष थे क्योंकि अनुच्छेद 176 के अधीन राज्य विधान मण्डल में भाषण करते समय राज्यपाल राज्य विधान मण्डल के एक अंग के रूप में काम करता है। इस लिये उन्हें कार्यवाही को सदन के सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुसार उपयुक्त ढंग से चलाने और ऐसे कदम उठाने का अधिकार था जो व्यवस्था तथा शिष्टता को बनाये रखने के लिये आवश्यक हों।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्यपाल जब संविधान के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं तो वह विधान मंडल के एक भाग थे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह इस निष्कर्ष पर यह कैसे पहुंचे हैं कि राज्यपाल को उस समय सभापति के रूप में कार्य करने, उन्हें अनुशासन अधिकारी का कार्य करने तथा एकत्रित हुए सदस्यों के प्रति गुस्से का व्यवहार करने का अधिकार था। म इस समय उन सदस्यों के व्यवहार की रक्षा नहीं कर रहा हूं जो उस समय कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे अथवा राज्य के मुख्य मंत्री के प्रति असभ्य व्यवहार कर रहे थे। इस प्रश्न के महत्वपूर्ण अर्थ हैं। सरकार को बताना चाहिये कि वह नियम बतायें जिसके अन्तर्गत राज्यपाल को यह अधिकार था कि वह अनुशासन में रखे और गलत व्यवहार करें।

श्री हाथी : यह पहला अवसर नहीं है कि इस प्रकार का प्रश्न उठा है। इस प्रकार का मामला पहले भी 1954 से मद्रास, मैसूर, बम्बई तथा अन्य राज्यों में उठा है और इस प्रश्न पर विस्तार से विचार हो चुका है। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगी और राज्यपाल उसका अंग होगा। इसलिये संविधान के अनुसार विधान मंडल में राज्यपाल तथा दो सदन होंगे। इस प्रश्न पर भी विचार किया गया था कि अनुशासनिक कार्यवाही करने पर भी नियम बनाये जावे अथवा इसे छोड़ दिया जावे। इस प्रश्न पर अध्यक्षों की बैठक में भी विचार किया गया और श्री मावलंकर ने कहा था कि इन मामलों में हम स्थिति मैत्रीपूर्ण बातचीत से तथा परम्पराओं के निर्माण से सुधार सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ज्यूं ज्यूं संसदीय लोकतन्त्र का निर्माण होगा, विधायक कुछ अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करेंगे। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि जब तक हमें कोई नियंत्रण में नहीं रखता हम गैर-जिम्मेदारी से कार्य करेंगे।

इस कारण यह विचार छोड़ दिया गया और यह परम्परा चली आ रही है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मंत्री महोदय ने अब तक एक भी बात ऐसी नहीं कही जिस से यह बात सिद्ध होती हो कि राज्यपाल को अनुशासन कायम करने तथा सदस्यों को बाहर निकालने का हक है जैसा कि राजस्थान के राज्यपाल ने किया।

दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसके बारे में किसी कानूनी अधिकारी से भी पूछा है। यदि हां तो उसने क्या राय दी और क्या इसे सभा-पटल पर रखा जा सकता है।

श्री हाथी : जी हां, इस पर पूर्ण विचार किया गया था। यह विचार विधि मंत्री के स्तर पर किया गया। एक नोट तैयार किया गया था और इसे परिचालित किया गया था। इस लिये यह संवैधानिक विषय है न कि गड़बड़ मचाने का।

श्री हरि विष्णु कामत : नियम 370 के अन्तर्गत यदि मंत्री किसी प्रश्न अथवा चर्चा के बारे में किसी अधिकारी के विचार या राय का जिक्र करता है तो उसे वह सभा-पटल पर रखना चाहिये।

हाथी : मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : संविधान के अनुसार राज्यपाल केवल संवैधानिक अध्यक्ष है और उसे मंत्रालय की राय माननी पड़ती है। वह विधान मंडल के सामने भी मंत्रालय की ही योजना आदि प्रस्तुत करते हैं। फिर राजस्थान विधान मंडल में जहां कि वहां की विधान सभा के अध्यक्ष उपस्थित अपने ऊपर अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्यों ले ली जिससे सदस्यों को अनुशासन में रखें। क्या सरकार ने राज्यपाल को अध्यक्ष के अधिकार दे दिये? उसे विधान मंडल के सत्र पर सभापतित्व करने का हक नहीं है। अध्यक्ष को पक्षपात रहित होना चाहिये। राज्यपाल कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं, इस लिये वह स्वयं एक पक्ष हैं। इस लिये जो कुछ हुआ वह अवांछनीय था।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नंदा) : यह तो संविधान के विवेचन का प्रश्न है। मेरे सहयोगी से प्रश्न पूछा गया और उन्होंने उसका उत्तर दिया। इसकी कानूनी राय मांगी थी और वह सभा-पटल पर रखी जा रही है। इस लिये जो परामर्श मिला वह सामने रख दिया गया है।

श्री शशिरंजन : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे नियम बतावें जिसके अन्तर्गत वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री शशिरंजन : नियम संख्या 377।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सभा की कार्यवाही में रुकावट डाल रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से नियम पूछ रहा हूं जिसके अन्तर्गत वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। वह इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं, यह बहुत बुरी बात है। मैं उनसे कह रहा हूं कि वह बैठ जायें, परन्तु वह चिल्लाते जा रहे हैं। उन्हें सभा की कार्यवाही में इस प्रकार रुकावट नहीं डालनी चाहिये। माननीय सदस्य कौन से नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे है?

श्री शशिरंजन : नियम 376 और 377।

"जो सदस्य सभा की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में... (**अन्तर्बाधायें**) हंसने से कोई लाभ नहीं होगा। कृपया नियम 376 को भी देखिये।

अध्यक्ष महोदय ने पहले ही कहा हुआ है कि प्रश्न-काल में केवल वे ही प्रश्न उठाये जाने चाहियें जो प्रश्न से संगत हों, और तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिये अन्यथा सभा का समय नष्ट होगा और उन सदस्यों का भी समय नष्ट होगा जिन्होंने प्रश्न पूछने की सूचना दी है। वे अनावश्यक रूप से सभा की कार्यवाही में विलम्ब करना चाहते है। यदि वे इस विषय में कुछ कहना चाहते है तो उन्हें किसी अन्य रूप में वह बात कहनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय ने पहले ही यह कहा है... (**अन्तर्बाधायें**)।

Shri Bagri : Have you permitted him to spea ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी बिना बुलायें बोल रहे है। यदि वह ऐसे ही बोलते रहे तो मुझे उन्हें बाहर जाने को कहना पड़ेगा। श्री शशिरंजन, इस में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुये कि राज्यपाल ने सदन के अध्यक्ष की शक्तियों का जान-बूझ कर अपहरण किया है और उन्हें अस्तित्वहीन कर दिया है, हालांकि श्री हाथी ने कहा है कि राज्यपाल भी विधानमंडल का सदस्य होता है, यदि इस बात को स्वीकार किया जाय, तो उसे एक साधारण सदस्य समझा जाना चाहिये, अतः वह सदन के अध्यक्ष की

शक्तियों का अपहरण नहीं कर सकते —मैं जानना चाहता हू कि सरकार ने राज्यपाल के विरुद्ध सीधी कार्यवाही क्यों नहीं की और उन्हें त्यागपत्र देने को क्यों नहीं कहा, यदि वह त्यागपत्र देने के सहमत नहीं है तो उन्हें पदच्युत क्यों नहीं किया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये... (**अन्तर्बाधायें**)।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर 15 मिनिट का समय लग चुका है... (**अन्तर्बाधायें**)

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैंने पूछा है कि सरकार ने उन्हें त्याग पत्र देने को क्यों नहीं कहा अथवा उन्हें पदच्युत क्यों नहीं किया गया ? गृह मंत्री को इसका स्पष्ट उत्तर देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या आपने यह प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्यों, कैसे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप तर्क नहीं कर सकते।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह तर्क नहीं है। उन्हें "हां" या "नहीं" में उत्तर देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है। मुख्य प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह कोई सुझाव नहीं है। प्रश्न यह पूछा गया था कि वहां उत्पन्न हुई स्थिति को दृष्टि में रखते हुये क्या गृहमंत्रालय ने राज्यपाल को त्याग पत्र देने को कहा है अथवा उन्ह पद से हटाया जायेगा ?

श्री हेम बरुआ : इसे सुझाव नहीं कहा जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : बात बिल्कुल स्पष्ट है। केवल उन ही प्रश्नों का उत्तर दिया जायेगा, जो मुख्य प्रश्न से उत्पन्न हो ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय ने विधि मंत्री से परामर्श लिया है ? मैं यह नहीं समझ सका कि उन्होंने केन्द्र का उल्लेख किया था या राज्य का।

श्री हाथी : मेरा तात्पर्य केन्द्र से था। वर्ष 1961 में परामर्श किया गया था।

श्री हरि विष्णु कामत : अब नहीं।

श्री हाथी : जी नहीं

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : वह ऐसा परामर्श नहीं देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछ चुके हैं। श्री कामत आपके प्रश्न का भी उत्तर मिला गया है।

हरि विष्णु कामत : जी नहीं, मैंने पूछा है कि क्या मंत्री महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 79 के बारे में, जिसमें लिखा है कि संघ में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिल कर बनेगी, विधि मंत्री की मंत्रणा प्राप्त की है और क्या समान व्याख्या के अनुसार उल्लिखित राज्यपाल की भांति रष्ट्रापति भी संसद सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते है उन्हें निलम्बित कर सकते हैं, तथा बाहर निकाल सकते है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक काल्पनिक प्रश्न है।

श्री हाथी : उस मामले को छोड़कर जिस के बारे में मैं तैयार हो कर आया हूं किसी अन्य मामले पर मतव्यक्त करना मेरे लिये संभव नहीं है। इसके लिये मुझे समय चाहिये ताकि विधि मंत्रालय से परामर्श कर सकूं। मुझे खेद है कि इस समय मैं कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The incident that has happened in Rajasthan Legislative Assembly is of a very serious nature. Keeping in view the fact that the provisions of the Constitution have been deliberately violated by the Governor and the members have been expelled on the instigation of a Party leader ; a list was handed over to the Governor by the Chief Minister containing the names of members to be expelled and those members were expelled, may I know whether Government are not of the opinion that the Governor should be dismissed and he should not be allowed to continue ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने कहा है हमें यह विधि मंत्रणा प्राप्त हुई है कि राज्यपाल कार्यवाही के प्रधान थे तथा सभा की कार्यवाही चलाने के लिये जो कदम उठाना आवश्यक हो, वह उसे उठाने के हकदार थे। यदि इस मत को स्वीकार किया जाये, जिसे सरकार ने स्वीकार किया है, तो यह ज्ञात होता है कि वहां कोई अनुचित कार्यवाही नहीं हुई ।

Shri Kukum Chand Kachhavaiya : I wanted to know whether a list containing the names of members to be expelled was handed over ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। अब मैं अगले प्रश्न को ले चुका हूं। यदि अधिक प्रश्न नहीं लिये जाते, तो आपत्ति की जाती है।

Shri Onkar Lal Berwa : I belong to Rajasthan and this question relates to Rajasthan, so I should be given a chance to ask a supplementary.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मेरा निवेदन केवल यह है कि जब यह प्रश्न श्री हेम बरुआ ने पूछा था तो इसको अनुमति नहीं दी गई और अब श्री हुकमचन्द कछवाय द्वारा पूछे जाने पर इस प्रश्न को पूछने की अनुमति दे दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी भी अनुमति नहीं दी गई है। अगला प्रश्न, श्री बागड़ी।

श्री हेम बरुआ : मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं...

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I wanted to know whether the Chief Minister had advised....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मेरे साथ तर्क वितर्क नहीं करनी चाहिये। यह मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य बिना पुकारे क्यों खड़े हो जाते हैं। उन्हें बिना पुकारे नहीं बोलना चाहिये । अगला प्रश्न, श्री बागड़ी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : My question should be answered. I wanted to know whether it was given to the Governor in writing....

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हुकम चन्द कछवाय सभा की कार्यवाही में रुकावट डाल रहे हैं। उन्हें बैठ जाना चाहिये। मैं माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करना चाहता मैं अगले प्रश्न पर पहुंच चुका हूं। श्री बागड़ी।

Shri Madhu Limaye : Will you not allow us to ask questions? There are four or five names from our party. Will you not allow even one from them to ask a question ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मधु लिमये से पूछता हूं कि क्या हम इस प्रकार कार्यवाही जारी रख सकते हैं। उन्हें बैठ जाना चाहिये। श्री बागड़ी।

Shri Kashi Ram Gupta : This question relates to Rajasthan and my name is also clubbed with this question.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री काशीराम गुप्त सभा के एक वरिष्ठ सदस्य है। यह व्यवहार उन्हें शोभा नहीं देता।

Shri Kashi Ram Gupta : This question relates to Rajasthan and my name is also clubbed with this question. But I have not been given any chance to put a supplementary question . I stage a walkout in protest of this.

[इसके पश्चात श्री काशीराम गुप्त सभा भवन से उठ कर चले गए]

[Shri Kashi Ram Gupta then left the house]

Shri Onkar Lal Berwa : As this question relates to Rajasthan and I have not been given a chance to put a supplementary, so I stage a walk out.

[इसके पश्चात श्री ओंकारलाल बेरवा सभा-भवन से उठ कर चलें गए]

[Shri Onkar Lal Berwa then left the house]

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री बागड़ी।

Shri Bagri : Mr. Deputy Speaker, my question is No. 714. There were four names of the Members of my party in the question under discussion but none of them has been called. It is a injustice to us.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी अपना प्रश्न पूछते हैं या नहीं।

Shri Madhu Limaye : I beg to submit that the leader of my party is here. We ask a question after putting a great deal of labour. There were four names in the list but none of them is called. What is this?

Shri Bagri : Will you go on conducting the business of Lok Sabha in this manner ?

श्रीमती सावित्री निगम : वह सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : जी हां, वह बाधा डाल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर हमने 25 मिनट लगाये हैं। मैं क्या कर सकता हूं?

Shri Bagri : I request the Leader of the House to give advice on this matter...

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा ही करते रहेंगे, तो मुझे आपको सदन से बाहर जाने क लिये कहना पड़ेगा। कृपया बैठ जाइये।

Shri Madhu Limaye : I beg to submit that there were four names of the Members of my party in the list, but none of them has been called.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये, आप इस तरह बोलते नहीं रह सकते हैं। आप मेरी प्रार्थना के बाद भी बोलते जा रहे हैं।

निष्क्रमण आयोग

+

*714. **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रविन्द्र वर्मा :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री राम हरख यादव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री निष्क्रमण आयोग के बारें में 8 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 739 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आयोग का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रतिवेदन मिलने के पश्चात् सरकार इस बात पर विचार करेगी कि क्या यह सभा-पटल पर रख दिया जाय।

Shri Bagri : Has any time been fixed for the submission of this report and what are the reasons for not submitting it so far ?

Shri Hathi : It will be submitted by the end of April. The reason for delay in its submission is that several persons had to visit different places.

Shri Bagri : Will the report be placed on the Table of the House after its submission ?

Shri Hathi : I have already stated that after the report is received, Government will consider whether it may be placed on the table of the House.

Shri Yashpal Singh : Was any bold Member taken in the commission who could go to Pakistan to find out the causes of this influx ?

Shri Hathi : No Member visited Pakistan to find out the causes.

श्री भागवत झा आजाद : क्या आयोग ने गवाहों से पूछताछ पूरी कर ली है और अब तक आने वाले हजारों शरणार्थियों के बयान ले लिये हैं ?

श्री हाथी : उसने लगभग 1,050 गवाहों से पूछताछ की है और लगभग 14,000 लोगों के बयान लिये हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या आयोग शरणार्थियों से साक्ष्य लेने के लिये अन्दमान गया था ?

श्री हाथी : आयोग साक्ष्य लेने के लिये अन्दमान तो नहीं गया था किन्तु वह इस कार्य के लिये अगरतला, सिल्चर, गोलपाडा, तुरा, शिलांग, कलकत्ता, कृष्णनगर, बहरामपुर, जलपाइगुड़ी, कूचबिहार, सम्बलपुर, रायगढ़ तथा अन्य स्थानों पर गया था ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या अन्दामान के शरणार्थियों से पूछताछ की जायेगी ?

श्री हाथी : यह आयोग पर निर्भर करेगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि ताशकन्द घोषणा के बाद आयोग का कार्य शिथिल कर दिया गया था अथवा क्या इसे समाप्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात का विश्वास है कि अब ऐसा वातावरण बन गया है जब कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित रह सकते है ?

श्री हाथी : आयोग के कार्य को छोड़ देने का कोई कारण नहीं है, सरकार का इस प्रकार का कोई विचार नहीं है क्यों कि आयोग का एक कार्य यह भी देखना है कि शरणार्थियों के आने से कितना कार्य है । यह काय तो करना ही पड़ेगा ।

Shri Ram Harkh Yadav : Has [the commission submitted any interim report or given any suggestions ?

Shri Hathi : The commission has so far not submitted any interim report.

Shri D. N. Tiwary : Is this the reason for delay in submitting the report that the Commission has been entrusted with some other works also so it cannot devote full time to this work ?

Shri Hathi : No, Sir, it is not a fact.

Shri Ram Harkh Yadav : Has it been entrusted with any other works or not ?

Shri Hathi : This is not the reason for delay.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : You have stated that the report will be submitted in April, has the Commission submitted any summary report and if so, what are its main features ? Has it submitted any immediate report regarding the expulsion of Indians after the Tashkent Declaration ?

Shri Hathi : No report has yet been submitted.

नये चिकित्सा स्नातकों के लिये गांवों में सेवा करने की अनिवार्यता

+

*715 **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये चिकित्सा स्नातकों के लिए गांवों में सेवा करना अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसको कब लागू किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) : राज्य सरकार के परामर्श से एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या कन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बारे में विचार किया था और यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

श्री पू० शे० नास्कर : केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ही इस बारे में राज्य सरकारो से बातचीत कर रहा है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि देश में डाक्टरों की बहुत कमी है और विशेष रूप से डाक्टर गांवों में नहीं जाना चाहते हैं ; और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में यथा शीघ्र निणय किया जायेगा ?

श्री पू० शे० नास्कर : यह सच है कि कुल मिलाकर डाक्टरों की कमी न केवल गांवों में ही है अपितु शहरों में भी है । स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकारों से परामश करके गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक आकर्षक बनाने के मार्गोपाय निकालने का प्रयत्न कर रहा है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Have the reactions of the State Governments been received on the scheme sent to them for their suggestions. If so, the names of the States from which reactions have been received ?

श्री पू० शे० नास्कर : स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कोई विशेष हिदायतें नहीं दी हैं । किन्तु स्वास्थ्य मंत्रियों की एक परिषद् है, जिसके प्रधान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, जो इन मामलों पर समय-समय पर विचार करती है और राज्य सरकारें उचित कार्यवाही करती हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : गांवों में एक डाक्टर को औसतन कितने लोगों को देखना पड़ता है और शहरों में एक डाक्टर कितने लोगों को देखता है ?

श्री पु० शे० नाकर : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका के वित्तीय साधन

*716. **श्री नारायण दास :**
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री शिव चरण गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका के वित्तीय साधनों की जांच करने के लिये श्रीबी० गोपाल रेड्डी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त किये गये जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदी हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और उनके बारे में निर्णय कर लिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री श्रीनारायण दास : किन परिस्थितियों में यह समिति नियुक्त करना आवश्यक हुआ था ? क्या इन निकायों की आवश्यकताएं अपने वित्तीय संसाधनों से अधिक हैं और यदि हां, तो आवश्यकताए पूरी होने में कितनी कमी रही और इन निकायों के वर्तमान वित्तीय संसाधन क्या है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगरपालिका, जो बाद में निगम बन गया, स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में कुछ वित्तीय कठिनाई थी, यदि आप मुझे समय दें, तो मैं कमी के सम्बन्ध में आंकड़े भी दे सकता हूं ।

श्री श्रीनारायण दास : समिति अपना प्रतिवेदन कब तक देगी और क्या इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां, पहले समय सीमा अक्टूबर में निर्धारित की गई थी। अब समिति द्वारा 31 जुलाई से पहले प्रतिवेदन मिलने की आशा है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : यह कहा गया है कि दो वर्ष से अधिक समय से निगम का कार्य निर्धारित स्तर के अनुसार नहीं चल रहा है। इसकी न केवल वित्तीय स्थिति ही खराब है अपितु इंजीनियरी कार्य में भी खराबी है । इस निगम में विद्यमान इन अस्वस्थ्य प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिये पहले क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : आरंभ से इस मामले की छानबीन की जा रही है। इस मामले की जांच करने के लिये दो वर्ष पहले एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था और उसने अपना प्रतिवेदन दिया था। माननीय सदस्यों को पता है कि डा० बी० गोपाल रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है जो सभी पहलुओं की जांच कर रही है। समिति का प्रतिवेदन मिलते ही हम उचित निर्णय करेंगे ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को देखते हुए कि कुछ मामलों में तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, क्या कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और इस समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें इस समिति से कोई अन्तरिम प्रतिवेदन नहीं मिला है। निर्देश पद बहुत लम्बे हैं। माननीय सदस्य यदि चाहें, तो मैं सभा पटल पर रख सकता हूं।

श्री शिव चरण गुप्त : क्या सरकार को निगम द्वारा धन के उपयोग में अनियमिताओं के बारे में जानकारी है, और यदि हां, तो क्या यह समिति इस मामले की जांच भी करेगी या इसके लिये पृथक आयोग नियुक्त किया जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ये सभी मामले वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में हैं और यह समिति उनकी जांच कर रही है। समिति के प्रतिवेदन मिलने पर हम आगे की कार्यवाही करेंगे।

कपड़ा तथा इंजीनियरी कारखानों का बन्द होना

+

*717. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कपड़ा तथा अन्य इंजीनियरी कारखानों के बन्द हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो छटनी किये गये कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उन्हें दूसरा रोजगार दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) देश में कपड़ा मिलों और अन्य इंजीनियरी कारखानों के बन्द हो जाने से कुछ छंटनी की इत्तला मिली है।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) औद्योगिक कारखानें बन्द न हो इसके लिए हर संभव उपाय किये जा रहे हैं। जो कपड़ के कारखाने बन्द हो गये हैं या बन्द होने वाले हैं उन्हें उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा चलाने की व्यावहारिकता पर विचार किया जाता है। ऐसे कारखानों के बारे में जो विदेशों से आयात होनेवाले कच्चे माल की कमी के बन्द हो गये हैं, दुर्लभ कच्चे माल के न्यायपूर्वक वितरण के लिए आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रमों को बनाने के लिए और देश में ही मशीनों और अवयवों को जहां तक संभव हो, बनाने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं।

स्थायी श्रम समिति के हाल ही के अधिवेशन में यह मंजूर हुआ कि यदि कारखानें बन्द हो जांय और बड़े पैमाने पर छंटनी हो तो मज़दूरों और सरकार को भी तीन महीने का नोटिस मिलना चाहिए और बैठकी के लिए एक महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए। इस संबंध में अपवाद तभी होगा जब संकटकाल ऐसा आ पड़े कि नियोजक के लिए नोटिस देना संभव न हो।

श्री स० मो० बनर्जी : अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं प्रश्न के भाग (ख) की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें मैंने छंटनी किये गये कर्मचारियों की संख्या पूछी है। मैंने इस प्रश्न की सूचना कम से कम एक महीने पहले दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास कर्मचारियों की संख्या है ?

श्री शाहनवाज खां : मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े तो नहीं हैं किन्तु मैं उन्हें कुछ आभास दे सकता हूं। बन्द कपड़ा मिलें की संख्या 15 है और छंटनी किये गये कर्मचारियों की संख्या लगभग 20,000 है। जो कपड़ा मिलें बेकार होने से बन्द हुई हैं, उनकी संख्या 13 है और उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 12,838 है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि कानपुर में सरकार ने म्यौर मिल को अपने हाथ में लिया है किन्तु 6,000 मजदूरों को अभी तक पिछले आठ महीनों से उनकी मजदूरी नहीं दी गई है। उन्हें उनकी मजदूरी दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): हमें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, यदि उन्हे मजदूरी नहीं दी गई होगी तो मैं इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : कपड़ा उद्योगों तथा अन्य उद्योगों के बन्द हो जाने से लगभग 38,000 मजदूरों की छंटनी की गई है। क्या यह सच है कि इसके अतिरिक्त पटसन मिलों तथा अन्य मिलों में लगातार जबरी छुट्टी दी जा रही है? और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्थायी दल खोजने के हेतु इसपर फिर से विचार करने के लिये एक त्रिपक्षीय बठक बुलाने की है?

श्री जगजीवन राम : मेरे विचार में पश्चिमी बंगाल सरकार उत्पन्न होने वाली स्थिति का मुकाबला करने में समर्थ है। यदि पश्चिमी बंगाल सरकार, जो मुख्यतः पटसन मिलों से संबंधित है, तथा श्रमिक यदि आवश्यक समझते हैं तो वे अवश्य त्रिपक्षीय बैठक बुलायेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय उपमंत्री ने कहा था कि कपड़ा मिलों तथा अन्य कताई मिलों के लगभग 38,000 श्रमिकों की जबरी छुटी अथवा छंटनी की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यह पूछा था कि इन उद्योंगों मे जिनमे, पटसन मिलें भी शामिल हैं, जहां श्रमिकों की छंटनी अथवा ज़बरी छुट्टी की जाती है, क्या सरकार इस विषय पर विचार करने के लिये एक त्रिपक्षीय बैठक बुलायेगी?

श्री जगजीवन राम : शायद माननीय सदस्य यह ज्ञात होगा कि 12 और 13 फरवरी को स्थायी श्रम समिति की बैठक हुई और उसमे यह सब जानकारी रखी गई थी। चार पांच घण्टे की चर्चा के बाद नोटिस की अवधि तथा दिये जाने वाले लाभके बारे में निर्णय किया गया था। इसमें अग्रेतर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि इन्दौर में स्वदेशी काटन मिल्स कुप्रबन्ध के कारण पिछले दो महीनों से बन्द है और मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है तथा फिर भी कोई उस मिल का उत्तरदायित्व संभालने को तैयार नहीं है? यदि हां, तो क्या इन्दौर में श्रमिकों में असन्तोष है और क्या कोई सत्याग्रह हो रहा है?

श्री जगजीवन राम : मैं फिर यह कहूंगा कि कपड़ा मिलों में श्रम का मामला सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। यह प्रश्न वहां को विधानसभा में उठाया जा सकता था।

श्री अ० प० शर्मा : इन मिलों के बन्द होने का कारण कच्चे माल की कमी है अथवा उनके मालिकों द्वारा कुप्रबन्ध है और यदि इनमें से एक अथवा दोनों कारण हैं, तो इन कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में लेने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

श्री शाहनवाज खां : विभिन्न कपड़ा मिलों के बन्द होने के विभिन्न कारण हैं। कुछ वित्तीय कठिनाईयों के कारण बन्द होती हैं, कुछ कुप्रबन्ध के कारण और कुछ श्रम सम्बन्धी गड़-बड़ी के कारण।

Shri Tulsidas Jadhav : When textile mills are closed the workers are of course unemployed but the mill-owners do not pay them their money as their credit in their society, Provident Fund etc. as also the money payable for the lay-off period with the result that the workers are out on the road to beg. What action has been taken by Government in these cases, such as Jayashankar Mill and Sholapur Spinning and Weaving Mills ?

Shri Shah Nawaz Khan : We take legal action against the Mills who resort to such illegal practices and we have done so in many cases.

भूतपूर्व सैनिकों का सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाया जाना

*718. **श्री हेमराज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के चीन तथा पाकिस्तान से मिलते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों का बसाने से सम्बन्धित योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को किन-किन राज्यों में लागू करने का विचार है ;

(ग) क्या इन राज्य सरकारने अपने प्रस्ताव तथा योजनायें भेज दी हैं; और

(घ) वहां पर बसाये जाने के लिये ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा क्या रियायतें दी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ध) : सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ संहृत खण्डों में, जहां भूमि उपलब्ध है, भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के प्रस्ताव राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं। तथापि त्रिपुरा और नेफा के लिये योजनाओं को इस बीच मंजूरी दे दी गई है और इन योजनाओं के अन्तर्गत बसाये जाने वाले लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(1) स्वयं तथा परिवार के लिये रहने के स्थान से बसाये जाने वाले स्थान तक निःशुल्क परिवहन।

(2) कृषि, वासस्थान तथा रसोई बगिया के लिये मुफ्त भूमि।

(3) प्रारम्भिक अवस्थामें निःशुल्क निगम स्थान।

(4) बसाये जाने वाले क्षेत्रों में सड़के, पानी सफाई, औषधालयों, स्कूलों आदि जैसी मूल सुविधाओं की निःशुल्क व्यवस्था।

(5) आरम्भ के कुछ वर्षों में मकान बनाने, स्वयं तथा परिवार के भरण-पोषण तथा आवश्यक घर का सामान, कृषि उपकरण, पशुधन, बीज, खाद आदि खरीदने के लिये अनुदानों तथा ऋण के रुप में वित्तीय सहायता।

श्री हेमराज : नेफा और त्रिपुरा के अतिरिक्त किन अन्य सीमावर्ती राज्यों के लिये योजनायें बनाई गई हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने आसाम सरकार को त्रिपुरा के लिये स्वीकृत योजना के समान योजना का सुझाव दिया था। लेकिन आसाम सरकार ने उसे क्रियान्वित करने में कुछ कठिनाइयां व्यक्त की। जहां तक अन्य सीमावर्ती राज्यों का सम्बन्ध है, जैसे राजस्थान, वहांपर भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये उपर्युक्त खत अथवा कृषि क्षेत्र उपलब्ध नहीं हैं। प्रस्तावित राजस्थान नहर के अन्तर्गत बाद में कुछ क्षत्र उपलब्ध हो सकते हैं और राजस्थान सरकार ने जब यह क्षत्र उपलब्ध होंगे भूतपूर्व सैनिकों के लिये कुछ क्षेत्र सुरक्षित रख ह। अन्य राज्यों ने कहा है कि वहां ठीक प्रकार की पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है और भूमि उपलब्ध होने पर वे विचार करेंगे।

श्री हेमराज : क्या जम्मू तथा काश्मीर सीमाक्षेत्र में भतपूर्व सैनिकों को बसाने की कोई योजना है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें इस बारे में राज्य सरकार से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ?

Shri P. L. Barupal : Have Government received any suggestions regarding proper rehabilitation and welfare of ex-servicemen from the Rajasthan Retired Military Personnel Association and if so, the details thereof ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस समय मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

श्री प्र० चं० बरुआ : संभवतः मंत्री महोदय का विचार भूतपूर्व सैनिकों को नेफा में बसाने का है। क्या इस सम्बन्ध में नेफा प्रशासन की राय ले ली गई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां, यह स्थानीय प्रशासन के सहयोग से तैयार की गई है।

Shri Bhagwat Jha Azad : Are you in possession of complete facts and figures in regard to the facilities to be provided to the Ex-serviceman settlers, detailed in the statement ?

Shri Vidya Charan Shukla : I do not have all the statistic with me at present but can furnish the same to the hon. member if he so desires.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : राजस्थान नहर में सीमा क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध होने पर भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के सरकार के आश्वासन का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन क्या इस समय तक राजस्थान सीमा के शुष्क क्षेत्र में, जहां उन्हें विशेष सहायता देकर बसाया जा सकता है, उन्हें बसाने के लिये कोई प्रयास किया जायेगा और क्या कोई अतिरिक्त विशेष सहायता दी जायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी, हां, इस पर विचार किया जायेगा और यदि राजस्थान सरकार योजना रखती है तो हम उसके साथ पूरा सहयोग करेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri : If I am right the intention of Government in settling ex-servicemen in the border areas is to ensure security of our borders. But people already living in the border areas complain of either not getting licences for arms or if they get licences they do not get arms. May I know whether Government will liberalise the licensing procedure for the people already living in the border areas pending the implementation of the scheme for the settlement of ex-servicemen ?

Shri Vidya Charan Shukla : As far as local people are concerned all help is extended to them considered necessary for national security.

श्री उ० म० त्रिवेदी : बहुत समय से यह प्रस्ताव है कि सीमा क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाये जाय लेकिन अभी भी इस पर अमल होना है। सीमा तक पहुंचना सुगम और सुरक्षित बनाने के लिय सड़के बनाना आवश्यक है। सरकार इस मामले में कब तक ढ़ील डालती रहेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पुनर्वास मंत्रालय से सम्बन्धित है।

श्री उ० मु० त्रिवेदी : जब तक सड़कों की व्यवस्था नहीं होगी तो लोग वहां जा कर कैसे रहेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने ऐसे क्षेत्र चुने हैं जहां ऐसी कोई समस्या नहीं है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नेशनल जो फ्रंट ने हाल में आसाम के मिजो पहाड़ी जिले में पाकिस्तान से प्राप्त गोला-बारूद और हथियारों की सहायता से सशस्त्र क्रांति करने का प्रयास किया था, क्या सरकार ने यथाशीघ्र मिजो पहाड़ी-पूर्वी पाकिस्तान सीमाक्षेत्र में अधिक से अधिक भूतपूर्व सैनिको कों बसाने की अविलम्बनीयता पर विचार किया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह तो एक सुझाव है, हम इस पर ध्यान देंगे।

\+ **Working in Hindi in Ministries**

*719 **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P.C. Borooah :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news item appearing on the front page of Rashtra Bhasha Sandesh dated the 9th December, 1965 wherein it has been stated that no original work is done in Hindi in any of the Central Ministries ; and

(b) whether it is a fact that the demand by the high officials for the translated version of the papers prepared originallly in Hindi is the main obstacle in its way ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes Sir. The reports which have appeared in the Rashtra Bhasha Sandesh of 9th December, 1965 on the subject are not correct.

(b) No Sir. Instructions were issued in 1963 that where a file containing Hindi noting was referred to another Ministry or another section of the same Ministry, an English translation or summary should be furnished. These decisions are based on the need to ensure the expeditious disposal of cases in the context of a large number of Central Government employees still not having an adequate knowledge of Hindi.

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it a fact that instructions for submission of Engilsh translation of papers prepared by Government servants together with the papers. I want to ask the hon. Home Minister if it is the proper way of developing Hindi, if not, what action has been taken in this regard except preparation of notes in English as well as in Hindi.

Shri Vidya Charan Shukla : We fully realise that the pace of progress of Hindi has not been as desired. The Hon. Member is very well aware of the reason. As I have already stated the English translation was considered necessary because of the fact that majority of our Government employees do not know Hindi fully well. This has been our policy which has been approved by this House as well that we should not rush through with it so that our countrymen may not have to face difficulties. We are our selves very anxious for the promotion of Hindi.

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it not a tact that various State Government desirous of corresponding with the Union Ministrys in Hindi are unable to do so as there is no call under the Central Government to translate the letters received in Hindi, which results in delay in taking action thereon or in sending replies thereto ?

Shri Vidya Charan Shukla : We have got such calls and as far as possible these letters received in Hindi are replied in Hindi.

श्री स० चं० सामन्त : क्या विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों में नियमित से रुप से हिन्दी कक्षायें लगाई जा रही हैं और यदि हां, तो किन श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को पढ़ाया जा रहा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सच है कि नियमित रूप से कक्षायें हो रही हैं तथा सभी श्रेणियां के अधिकारियों को शिक्षा दी जा रही है।

श्री प्र० चं० बरुआ : भिन्न भिन्न राज्यो में हिन्दी भिन्न-भिन्न रूप से बोली जाती हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान अथवा पंजाब में बोली जाने वाली हिन्दी एकसी नहीं है। इससे अहिन्दी-भाषी अधिकारियों को हिदायते समझने में कठिनाई होती है। हिन्दी में एकरूपता लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : देवनागरी लिपी में हिन्दी एक मानक भाषा है। संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय बोली से है।

Shrimati Savitri Nigam : May I know the number of Government servants trained in reading and writing Hindi and the expenditure being incurred thereon every year ?

Shri Vidya Charan Shukla : Three lakh Government servants have completed Hindi courses and 1·7 lakh employees have passed various examinations in Hindi. I have not got figures of expenditure with me at present but I can lay them later on the Table of the House.

श्री कपूर सिंह : जब यह बात स्पष्ट हो गई है कि सचिवालय स्तर पर तुरन्त हिन्दी लागू करना व्यवहारिक नहीं है, क्या सरकार का विचार देश में हिन्दी लागू करने की गति धीमी करने का है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो सुझाव है।

Shri V. M. Trivedi : Is it a fact that one U.D.C. in the Ministry of Finance, who knew only Hindi, demoted to the rank of L.D.C. on requesting to take the examination in Hindi ? Correspondence is going on for the last ten years. I also wrote a letter to the Hon. Minister but justice has not been done with the person affected.

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह एक व्यक्ति विशेष का मामला है। यदि माननीय सदस्य इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलायेंगे तो हम निश्चय ही कार्यवाही करेंगे।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय एकता बनाये रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि हिन्दी न जानने वाले अधिकारी वर्ग के लिये हिन्दी सीखना, क्या वरीष्ठ मंत्रीगण इस पर विचार करेंगे कि हिन्दी लागू करने में इतनी जलदी नहीं की जायगी जिससे राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाये, जैसा कि सरदार कपूर सिंह ने सुझाव दिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य को हिन्दी में अन्य सदस्यों की रुचि से असंतोष नहीं है। यहां पर अनेक बार यह घोषणा की गई है कि यद्यपि हिन्दी के प्रगति में कोई बाधा नहीं डाली जा सकती, इसकी प्रगति इस प्रकार की जायेगी जिससे हिन्दी जानने वाले लोग सुचारू से कार्य कर सकें। उन्हें सभी प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी ताकि उन्हें कोई कठिनाई न हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नजरबन्द लोगों की दशा

*720. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा महान्यायवादी को उन दशाओं के बारे में, जिनमें नजरबन्द लोग—राजनीतिक—केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा रखे जाते हैं, कही गई बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जैसा कि तारांकित प्रश्न संख्या 419 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है की "राजनैतिक नजरबन्द" नाम से वर्गीकृत नजरबन्दों की कोई पृथक श्रेणी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालयकी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल ही में सुरक्षा की दृष्टि से नजरबन्द किये गए लोगों को विभिन्न राज्यों में प्राप्त होने वाली नजरबन्दी की शर्तों में समानता की व्यवस्था करने के लिय कुछ सुझाव दिये हैं ।

मास्को के साथ विद्वानों का आदान-प्रदान

*721. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय तथा मास्को राज्य विश्वविद्यालय के बीच विद्वानों का आदान-प्रदान की व्यवस्था की जाने वाली है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई स्थायी करार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । लेकिन इस बात पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बोनस अधिनियम का भारत सरकार के मुद्रणालय, टकसाल और अफीम फक्टरियों में लागू किया जाना

*722. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के मुद्रणालय, टकसाल तथा अफीम कारखानों के कर्मचारियों से, उन पर बोनस अधिनियम लागू किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई वैकल्पिक योजना बनाई गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इत्तला मिली है कि ऐसी कुछ दरखास्तें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) गाज़ियाबाद और नीमच में सरकारी अफ़ीम कारखानों के कर्मचारियों को तदर्थ-अनुग्रह स्वरूप सहायता की अदायगी पहले से ही की जा रही है । भारत सरकार के मुद्रणालयों में दो प्रोत्साहन बोनस योजनायें भी चल रही हैं ।

अणु तरंग सम्पर्क (माइक्रो-वेव लिंक्स)

*723. **श्रीमती रेणुका बडकटकी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्यों की राजधानियों तथा दिल्ली को अणुतरंग सम्पर्क श्रृंखला के द्वारा परस्पर मिलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं तथा इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तानी जासूसी गिरोह

*724. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बसुमतारी :
श्री राम हरख यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले 3 जनवरी, 1966 के समाचारपत्र "इंडियन नेशन" के पृष्ठ 3, कालम 2 से 5, शीर्षक एन० सी० सी० शिबिर में भोजन में जहर मिलाने में पाकिस्तानी जासूसी गिरोह का हाथ तथा कादीरी नाम के एक व्यक्ति की गिरफ़्तारी तथा मनवरुल हक द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार तथा बिहार राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक छः व्यक्ति गिरफ़्तार किये गए हैं । अभी तक मामले की जांच की जा रही है ।

सचेतकों का सम्मेलन

*725. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री लिंग रेड्डी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री काजरोलकर :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **ससद-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बंगलौर में सचेतकों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) सम्मेलन के उद्देश्य तथा प्रयोजन क्या थे ;]

(ग) सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुए, किसने इसका उद्घाटन किया और किसने इसकी अध्यक्षता की ;

(घ) सम्मेलन कितनी अवधि तक चला ; उस में किन किन विषयों पर विचार किया गया ; कौन कौन से लेख पढ़े गये और कौन कौन से संकल्प पारित हुए ;

(ङ) क्या सभी सम्बन्धित कागजात सभा पटल पर रखे जायेंगे ; और

(च) उस पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) से (ख) : पांचवां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन 4, 5 और 6 जनवरी, 1966 को बंगलौर में किया गया था। इस सम्मेलन के उद्देश्य और लक्ष्य सरकार के सचेतकों और संसद् तथा राज्य विधान मंडलों में विरोधी दलों के सचेतकों के बीच पारस्परिक चर्चा के लिए एक सम्मिलित मंच का संयोजन करना था जिससे सचेतकों के समक्ष उपस्थित केन्द्र तथा राज्यों में संसदीय प्रणाली के कार्य चालन में सुधार करने सम्बन्धी समस्याओं की जांच कर उनके उपाय दिये जा सके। सम्मेलन का उद्घाटन मैसूर के मुख्य मंत्री श्री एस० निजलिंगप्पा द्वारा किया गया और उसकी अध्यक्षता केन्द्रीय संसद्-कार्य मंत्री तथा सरकार के मुख्य सचेतक ने की। इस सम्मेलन में उपस्थित होने वाले प्रतिनिधियों की सूची सभा की मेज़ पर रख दी गयी है। सम्मेलन के पूर्णाधिवेशन में मसूर विधान सभा के अध्यक्ष श्री बी० बी० बालिगा और मैसूर विभाग परिषद के चेयरमैन श्री जी० वी० हालीकेरी ने भाषण दिये। विविध राजनैतिक पार्टियों और विधान मंडलों के प्रतिनिधियों ने भी संसदीय प्रणाली के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर सम्मेलन में भाषण दिये। पूर्णाधिवेशन के पश्चात सम्मेलन क्रमशः श्री गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, संसद्-कार्य मंत्री पंजाब, श्री मोहनूल हक़ चौधरी, संसद्-कार्य मंत्री, असम और श्री सी० एल० नरसिंह रेड्डी, लोक सभा में स्वतंत्र पार्टी के मुख्य सचेतक की अध्यक्षता में तीन समितियों में बंट गया। तीनों समितियों के सदस्यों की सूची, उनमें चर्चा किए गये विषय, उन समितियों द्वारा की गयी सिफारिशें तथा वे सिफारिशें जो सम्मेलन के पूर्णाधिवेशन में अन्ततः गृहीत कर ली गयी, सभा पटल पर रख दी गयी हैं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए सख्या एल० टी० 5860/66**] भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन पर किया गया कुल खर्च रु० 18,106·7 पैसे थे।

Displaced Persons from Chhamb-Akhnoor Area

*726. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the inhabitants of Chhamb-Akhnoor area, from which the Pakistani forces have been with drawn under the Tashkent Agreement have returned to live in that area ;

(b) whether some of the displaced persons of that area are still residing at some other places ; and

(c) if so, when they are also likely to return to that area ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) Some of them have gone back and there is at present a regular programme of movement to the villages in the area.

(b) A large number of families are still in the camps.

(c) They are likely to return to that area by the end of April, 1966.

Memorial to Late Prime Minister Lal Bahadur Shastri

*727. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri S. L. Verma :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Museum has been established, a statue installed, a new University opened and a coin minted after the name of the late Prime Minister, Jawaharlal Nehru;

(b) whether similar steps, as referred to in part (a) above, are proposed to be taken in the memory of the late Prime Minister, Lal Bahadur Shastri, and if so, the particulars thereof ; and

(c) when these steps are likely to be taken ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Nehru Memorial Museum and Library has been established, a bill regarding the establishment of the Jawaharlal Nehru University has been introduced and is already before the Parliament, and coins have been minted bearing the effigy of the late Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru. No final decision has yet been taken about the installation of a statue.

(b) and (c). Government are giving their earnest consideration to the manner in which the memory of the late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, his message to the nation and the causes particularly dear to his heart can be perpetuated and strengthened. Government intend, as soon as their preliminary ideas have taken more concrete shape, to consult informally, representatives of various groups in Parliament in the matter.

ऐच्छिक विषय के रूप में शिक्षा का विषय

*728. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाई गई एक समिति ने, योग्य छात्रों को अध्यापन का व्यवसाय अपनाने के हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व-स्नातक (अण्डर ग्रेच्युएट) स्तर पर ऐच्छिक विषय के रूप में शिक्षा के विषय की पढ़ाई की व्यवस्था करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या इस सिफारिश पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हा, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां। फिर भी समिति ने संकेत किया है कि ऐच्छिक विषय के रूप में शिक्षा का विषय लेने वाले ग्रेजुएट (स्नातक), उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नही होंगे।

(ख) और (ग) : सिद्धान्त रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश को साधारण तौर पर स्वीकार कर लिया है और उसने समिति की रिपोर्ट को शिक्षा आयोग के विचारार्थ भेज दिया है। इस रिपोर्ट को विश्वविद्यालयों तथा ट्रेनिंग कालेजों में भी ऐसी कार्रवाई के लिए परिचालित किया जा रहा है, जिसको वे जरूरी समझते हों।

मिट्टी के तेल के कनस्तर

*729. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री दिनेन भट्टाचार्य :**
डा० रानेन सेन : **श्री प्रभात कार :**

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में स्थित विदेशी तेल कम्पनियों ने मिट्टी के तेल के लिए 4 गैलन के कनस्तर बनाना बन्द कर दिया है और वे कनस्तर बनाने वाले अपने संयत्रों को बेच रहे हैं ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप, छोटे, व्यापारियों तथा दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का वितरण वास्तव में असम्भव हो रहा है और मिट्टी के तेल का संभरण सम्बन्धी संकट और भी बढ़ गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) एस्सो और कालटैक्स (इंण्डिया) लि०, ने कनस्तर बनाने वाले अपने सारे कारखानों को बन्द कर दिया है। जहां तक बर्मा शैल का सम्बन्ध है, 5 यूनिटों में से एक अभी भी उत्पादन कर रहा है। आसाम आयल कम्पनी और आई. बी. पी. ने अपने कारखानों को बन्द नहीं किया है। ऐसा पता चला है कि तेल कम्पनियों ने उन यूनिटों को, जो काफी समय से बन्द हैं, बेचने की पेशकश की है। उन यूनिटों के, जिनकी यान्त्रिक स्थिति ठीक नहीं है, बिकने की सूचना भी मिली है।

(ख) इस विचार की पुष्टि के लिए कोई निश्चित सबूत नहीं है, किन्तु सरकार मामले की सही स्थिति जानने के लिए अच्छी तरह निरीक्षण कर रही है।

(ग) उपयुक्त "ख" में निर्देशित परीक्षण के परिणाम को दृष्टि में रखते हुए आगे कार्यवाही की जायेगी।

भारत में तेल की खोज

*730. **श्री हिम्मत सिंह का :** **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री रामेश्वर टांटिया : **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री महेश्वर नायक :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया : **श्री राम हरख यादव :**
श्री कृ० चं० पन्त : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच अमरीकी तेल कम्पनियों ने भारत में तेल की खोज करने के लिये भारत सरकार को सहयोग देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हा, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) सहयोग की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) सरकार के साथ सम्भाव्य सहयोग के लिये आधे दर्जन से अधिक अमरीकी तेल कम्पनियों ने दिलचस्पी प्रकट की है।

(ख) सरकार ने उचित प्रस्तावों के आधार पर बातचीत करने की इच्छा प्रकट की है।

(ग) और (घ) : बातचीत जारी है। इतना पहले बताना कठिन है कि कौन सी शर्तों पर अन्तिम रूप से फैसला होने की सम्भावना है और फैसला कब होगा।

भारत सुरक्षा नियमों का प्रयोग

*731. **श्री हेम बरुआ :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम हरख यादव :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत सुरक्षा नियमों को नर्म करने और उनका बहुत ही कम प्रयोग करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय के बारे में राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है और क्या उन्हे तदनुसार मंत्रणा दे दी गई है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो, तो सम्बद्ध राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालयमें राज्यमंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : लिखित याचना संख्या 136—जी सदानन्दन बनाम केरल राज्य पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में 28 फरवरी, 1966 को गृह मंत्री द्वारा सदन में दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान दिया जाय।

(ग) अभी अधिकतर राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने हैं।

नागाओं द्वारा अपनी गतिविधियां तेज करना

*732. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मोटर, लाइट मशीनगन और दूसरे स्वचालित हथियारों से लैस होकर अनक सशस्त्र विद्रोही नागा मनीपुर के टोलोई कैम्प में आकर मनीपुर के अखरुल सब-डिवीजन में टोल्लोई, टुनियम, सेरीखोंग, अनिका थेल और नाम्बासी में फैल गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां।

(ख) उपर्युक्त निरोधक उपायों के अलावा सशस्त्र कार्यवाही बन्द करने के समझौते के उल्लंघन के ऐसे सभी मामले शांति मिशन के जरिये भूमिगत नागाओं के ध्यान में लाये जाते हैं और यदि स्पष्ट रूप से अपराध किये गये हो तो अपराधिक मामले चलाकर कार्यवाही भी की जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों मे बोनस

*733. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री दा० ना० तिवारी : **श्री क० ना० तिवारी :**

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में बोनस का दिया जाना अनिवार्य बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में और कब ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य

*734. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री कर्णी सिंहजी :**

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों को बसाने की विभिन्न योजनाओं के लिय पश्चिम बंगाल सरकार को उतनी राशि मंजूर नहीं की है जिस के लिये उसने वचन दिया था ; और

(ख) विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रिहायशी बस्तियों के लियें पूरी राशि मंजूर न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) यह सच नहीं है कि भारत सरकार ने अवशिष्ट समस्याओं के अधीन स्वीकार किये वित्त आभार में किसी प्रकार की चूक की हो। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5861/66**]

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर सीमावर्ती उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र

*735. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **गह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ 15 मील लम्बा क्षेत्र उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र में कब तक उपद्रववाली स्थिति बनी रहने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : 31 दिसम्बर, 1965 को समाप्त होने वाले सोलह दिनों के लिये मणिपुर के तेंगनो पाल उपखण्ड की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 15 मील की दूरी तक के क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त घोषित किया गया था। ऐसा इस लिये किया गया था, ताकि सुरक्षा सेना बर्मा के मार्ग से लौटने वाले सशस्त्र नागा विद्रोहियोंको रोक सके ।

पुस्तकालय विज्ञान का विकास

***736. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पुस्तकालय विज्ञान के विकास के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक पुनर्विलोकन समिति बनाई है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) कितने विश्वविद्यालयों ने पुस्तकालय विज्ञान की स्नातकोत्तर तथा स्नातक उपाधियों के पाठ्यक्रम आरम्भ किये हैं ;

(घ) क्या कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा आरम्भ किये गये स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्य-क्रमों का स्तर पुस्तकालय विज्ञान स्नातक पाठयक्रम स्तर के बराबर हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालयों को अपने उपाधि पाठ्यक्रम को पुस्तकालय विज्ञान स्नातक का नाम रखने की सलाह दी गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां । समिति ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5862/66]**

(ग) एक विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की व्यवस्था है और ग्यारह विश्वविद्यालयों में स्नातक उपाधि पाठ्यक्रमों की सुविधाओं की व्यवस्था है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) इस सिफारिश से सम्बन्धित रिपोर्ट को विचार के लिए विश्वविद्यालयों को परिचालित किया जा रहा है ।

Appointment of Vice Chancellors

***737. Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the reaction of the State Chief Ministers in connection with the advice given to them regarding the irregularities in the appointments of Vice-Chancellors in certain Universities;

(b) whether any advice was also sought from him regarding certain legal provisions in connection with similar appointments in some Universities ;

(c) if so, by whom such an advice was sought and the nature of the advice tendered ; and

(d) the result thereof ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No advice has been given to the State Chief Ministers concerning irregularities in the appointment of Vice-Chancellors.

(b) and (c). One of the State Governors, in his capacity as Chancellor of a University, sought advice regarding some legal provisions on the question of termination of services of a Vice-Chancellor against whose appointment a complaint had been received. The case in question, however, did not involve any irregularity in procedure in making the appointment. The concerned chancellor was advised that he had the power to terminate the services of the Vice-chancellor, in case he decided to do so.

(d) No further communication has been received from the Chancellor.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

*738. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों से सरकार को शिकायतों सम्बन्धी कोई ज्ञापन तथा एक मांग पत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन कब मिला था ; और

(ग) उनकी मांगों को पूरी करने तथा शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : अखिल भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के संघ के प्रतिनिधि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महा निदेशक को 10 जनवरी, 1966 को मिले और उन्होंने अपना मांग-पत्र पेश किया। सरकार को इस पत्र की एक प्रतिलिपि प्राप्त हो गई है।

(ग) महा निदेशक ने संघ को सूचित किया कि यह मामला निगम की स्थायी समिति को उसकी अगली बैठक में पेश कर दिया जायगा। संघ के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श जारी है।

दिल्ली में टेलीफोनों का हटा दिया जाना

*739. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कोई पूर्व सूचना दिये बिना ही उन व्यक्तियों के टेलीफोन भी काट दिये गये हैं जो नियमित रूप से अपने बिलों का भुगतान करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में अब तक ऐसे कितने मामलों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं। फिर भी एसे कुछ मामले हुए हैं जबकि अदा की गई रकमों के सम्बन्धित रजिस्टरों में न चढ़ाने के कारण, टेलीफोन काट दिए गए। जहां तक जनवरी, 1966 के बाद जारी किए गए बिलों का सम्बन्ध है बिल अदा न करने की स्थिति में किसी प्रकार का लिखित नोटिस नहीं भेजा जाता लेकिन उपभोक्ताओं को टेलीफोन पर सूचित कर दिया जाता है और उन्हें अदायगी करने या यदि अदायगी कर दी गई हो तो उसका प्रमाण पेश करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है।

(ख) लगभग बीस।

(ग) जिन टेलीफोनों को अदायगी प्राप्त करने के बाद भी काट दिया गया था, उन्हें पुनः स्थापन शुल्क लिए बिना अदायगी की तसदीक करने के बाद शीघ्र ही फिर से चालू कर दिया गया।

मिज़ो विद्रोहियों का पाकिस्तान से भारत लौटकर आना

***740. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में चटगांव के पहाड़ी इलाकों में छापामार युद्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद तथा आधुनिक हथियारों से पूरी तरह लैस होकर मिज़ो विद्रोहियों के दो बड़े दल चटगांव (पूर्वी पाकिस्तान) से मिज़ो पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में आ गये हैं तथा थेगामुख के छोटे से कस्बे में इक्ट्ठा हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख): सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में रिपोर्टें देखी हैं, परन्तु इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

मिजोलैण्ड में हुई गड़बड़ी के फलस्वरूप हुई क्षति

***741. श्री मधु लिमये :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिज़ो विद्रोहियों द्वारा कितने कस्बों और प्रशासनिक केन्द्रों पर कब्ज़ा कर लिया गया था ;

(ख) क्या विद्रोहियों के हाथों किन्हीं सरकारी कर्मचारियों और अन्य नागरिकों की मृत्यु हुई अथवा उन्हें चोटें आईं ; और

(ग) उन केन्द्रों में से कितने केन्द्रों पर पुनः कब्ज़ा कर लिया गया है और कितने दिनों अथवा घंटों के बाद कब्ज़ा किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग): सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

पुंथरा के सब-इन्सपेक्टर

2595. श्री अ० क० गोपालन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि पुंथूरा के सब-इन्सपेक्टर ने, जो पूरी तरह नशे में था, एक मकान में घुसकर उसके निवासियों को, जिनमें महिलायें भी थी, पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया ;

(ख) क्या यह सच है कि उसने शकुन्तला नामक एक महिला को भी जो प्रसव शैय्या पर थी, पकड़कर बाहर निकाल दिया ; और

(ग) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख): 7 नवम्बर 1965 को पुथूरा का एक उपनिरीक्षक पुलिस मद्यनिषेध सम्बन्धी दो अपराधों की जांच के बारे में मुत्ताथरा गांव गया। कहा जाता है कि उक्त निरीक्षक ने वहां कुछ लोगों को डराया धमकाया और मारपीट की। इस उपनिरीक्षक पर यह भी आरोप है कि उसने एक औरत के झोपड़े में घुस कर उस औरत को पैरों तले रौंदा। विभागीय जांच से ज्ञात हुआ कि उपनिरीक्षक नशे में नहीं था, अपितु वह अकुशल, गैर जिम्मेदार और परले दर्जे का मूर्ख था। उसने ज्यादती की और अपने अधिकार का अपमान किया।

(ग) सरकार ने त्रिवेन्द्रम के पुलिस आयुक्त को उस उपनिरीक्षक के खिलाफ़ विभागीय कार्यवाही करने के लिये कहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 448 (अनधिकृत प्रवेश) और 323 (साधारण चोट) के अधीन उसके खिलाफ़ एक मामला भी दर्ज कर लिया गया है।

त्रिचूर के फोर्ट सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध आरोप

2596. श्री अ० क० गोपालन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिचूर में फोर्ट सब-इन्सपेक्टर ने 13 नवम्बर, 1965 को एक तेरह वर्षीय बालिका को बहुत बुरी तरह पीटा ;

(ख) क्या उस बालिका को अस्पताल में दाखिल किया गया है ;

(ग) क्या सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) उसे जांच के लिये अस्पताल में भर्ती किया गया और पता चला कि उसे मल-सर्पी के कारण उदरशूल था।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

काजू उद्योग

2597. श्री अ० क० गोपालन : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात की कानूनी व्यवस्था है कि निर्वाह व्यय सूचकांक से ऊपर 475 अंकों पर उद्योगों में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल में काजू उद्योग के मालिक श्रमिकों को इस अधिकार से वंचित कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इन मालिकों से औद्योगिक स्थायी समिति के औद्योगिक शांति संकल्प तथा महंगाई भत्ते से सम्बन्धित अन्य श्रमिक विनियमों को क्रियान्वित करने के लिए क्यों नहीं कहती ?

रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) कोई खास शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सर्कस कलाकार

2598. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्कस कलाकारों ने हाल में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सर्कस कलाकार अपना बीमा नहीं करा सकते ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) पिछले पांच वर्ष में सर्कसों में हुई दुर्घटनाओं की औसत संख्या कितनी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां । सर्कस कंपनियों के कर्मचारियों की ओर से एक ज्ञापन अखिल भारतीय सर्कस कर्मचारी संघ से प्राप्त हुआ था ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5863/66]**

(ग) जी हां । सर्कस कलाकारों को वहां व्यक्तिगत मामलों में यथोचित अतिरिक्त प्रीमियम पर बीमा की मंजूरी दी जाती है, जहां जीवन बीमा निगम यह महसूस करता है कि सर्कस कर्मचारियों से संबंधित गैर-बीमा रीति के प्रतिकूल बीमा करना उचित है ।

(घ) कई एक हानिकारक बातें हैं—जैसे व्यावसायिक जोखम, ऊंचे तनाव पर रहना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता, जो सर्कस कलाकारों के जोखमों को और ज्यादा बढ़ा देती हैं । आगे बढ़े हुए देशों में भी सर्कस कलाकारों के जीवन से संबंधित प्रस्तावों को आमतौर से स्वीकार नहीं किया जाता ।

(ङ) सूचना प्राप्त नहीं है ।

ताड़ी निकालने का उद्योग

2599. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में ताड़ी निकालने वाले हजारों कर्मगारों ने आम हड़ताल करने का नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने विवाद को निपटाने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) : केरल सरकार से सूचना मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

केरल में बिजली की खपत में कमी के कारण बेरोजगारी

2600. श्री प० कुन्हन : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि केरल में बिजली की खपत में कमी किये जाने के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ; और

(ग) क्या उन कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : केरल सरकार से सूचना मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम

2601. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री वसुमतारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की क्या संभावना है ; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर डाक द्वारा पाठ्यक्रम लागू करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है । इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिये स्कूल में रोजाना हाजिर होने में असमर्थ विद्यार्थियों को सुविधाएं देना है । व्यापक रूप से तैयार की जा रही योजना पर अन्तिम निर्णय होते ही पाठ्यक्रम लागू कर दिया जायेगा ।

जापानी विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क सेवा

2602. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत को बड़ी संख्या में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा उसकी शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है जापान सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Grants to Universities of Maharashtra

2603. Shri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the grants given to the Universities of Maharashtra are less than the grants given to the Universities of all other States; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). It is not a fact that grants to Universities in Maharashtra have been much less than those paid to Universities in other States. There are Universities in other States which have received smaller grants than Universities in Maharasthra. The release of grants to Universities by the University Grants Commission depends on the progress achieved by them in the implementation of the approved projects and on the availability of matching contribution from the State Governments or other sources.

केरल में नजरबन्द व्यक्तियों का वर्गीकरण

2604. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में नजरबन्द व्यक्तियों के वर्गीकरण को बदलने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो नया वर्गीकरण क्या होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि भारत सुरक्षा नियमों के अंतर्गत नजरबंद सभी व्यक्तियों को श्रेणी 1 में रखा जाय। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले श्रेणी II में थे।

केरल में मत्स्य पालन

2605. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1965 में मत्स्य पालन निदेशक, केरल राज्य तथा क्विलोन के नौघाट और वर्कशाप के मजदूरों के बीच हुए समझौते को क्रियान्वित नहीं किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : केरल सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अन्ना की मृत्यु

2606. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के कोट्टायम जिले के नट्टाकम पंचायत में 13 जनवरी, 1966 को अन्ना तथा उसके बच्चे की रहस्यमय मृत्यु के बारे में सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) क्या इस घटना की जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या संदिग्ध अपराधियों के विरुद्ध कोई मामले दर्ज किये गये तथा उनका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) एक मामला दर्ज कर लिया गया है, और जांच की जा रही है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, आल्वाय का विस्तार

2607. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, आल्वाय के विस्तार के **चौथे** क्रम को मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ; और

(ग) इस विस्तार के कारण कितने अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपये।

(ग) 100 व्यक्ति।

भारतीय भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहन

2608. श्री जेधे : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त किसी तीसरी भाषा सीखने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना वार्षिक खर्च होने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : हिन्दी और प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त एक तीसरी भारतीय भाषा सीखने हेतु प्रोत्साहन देने के लिये ऐसी कोई अलग योजना नहीं है। फिर भी शिक्षा मंत्रालय ने आधुनिक भारतीय भाषाओं, विशेष तौर पर संस्कृत की उन्नति और विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जिनमें ये शामिल है : स्वयंसेवी संस्कृत संस्थाओं आदि को अनुदान, विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां, निर्धन अवस्था में पड़े प्रमुख संस्कृत पंडितों को वित्तीय सहायता और अखिल भारतीय संस्कृत भाषण प्रतियोगिता।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1965–66 में संस्कृत की उन्नति और विकास पर किया गया कुल खर्च लगभग 23 लाख रुपये है। 1966–67 के लिये बजट प्राक्कलन में 20.8 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिये इन्ही दोनों अवधियों के खर्च और वित्त व्यवस्था की रकमें क्रमश: 9.50 लाख रुपये और 10 लाख रुपये हैं।

M/s. T. T. Krishnamachari & Co.

2609. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether he and the Sadachar Samiti have received any complaints regarding an attempt by a representative of M/s. T.T. Krishnamachari & Co. to obtain or take over the licence of a trading company of Delhi importing soda-ash ;

(b) whether he has also received a complaint regarding the harassment of the representatives of the above-mentioned Company by the former Finance Minister and his Ministry ;

(c) if so, whether Government have inquired into it ; and

(d) the findings thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) and (b). Yes, Sir,

(c) and (d). The complaints were examined and no action was considered necessary.

अमरीका में भारतीय छात्र

2610. श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रोटरी क्लब, नागपुर में बोलते हुए अमरीकी सूचना सेवा, बम्बई के सांस्कृतिक अधिकारी श्री होथान द्वारा दिये गये इस वक्तव्य का पता है कि अमरीका विश्वविद्यालयों के भारतीय छात्र भारत तथा अमरीका के बीच मेलजोल बढ़ाने में सफल नहीं हुए क्योंकि वे भारत के बारे में ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहे हैं, जिनमें अमरीकी लोगों की रुचि होती है ;

(ख) क्या सरकार इस बात का अनुभव करती है कि विदेशों में जाने वाले भारतीय छात्र भारत के प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास, संस्कृति, साहित्य, धर्म अथवा राजनीति से भली भांति परिचित नहीं होते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन यवक छात्रों को अपने देश तथा समाज सम्बन्धी ज्ञान से भली भांति परिचित कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां, हमें उस वक्तव्य का पता है।

(ख) और (ग) : प्रश्न के (ख) भाग में उठाए गए विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार के पास कोई निश्चित रिपोर्ट नहीं है। विदेशों में जाने वाले अधिकांश छात्र ऐसा स्वयं निजी रूप से करते हैं। उनके के लिए "इंडियन कौंसिल फार कल्चरल रिलेशन्स" द्वारा कुछ निर्धारण-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। जहां तक भारत सरकार के छात्रों का सम्बन्ध है, उन्हें भारत सम्बन्धी चुने हुए प्रकाशनों की सूची दी जाती है और विदेश जाने से पहले उसे पढ़ने के लिये उन्हें अनुमति भी दी जाती है। इस प्रकार भारत के बारे में उनकी योग्यता में और भी सुधार किया जाता है।

दिल्ली में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2612. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार कर्मचारियों के क्वार्टर दिये जाने सम्बन्धी नियम अब अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये बनाए गये नियमों के समान कर दिये गये हैं ;

(ख) क्या नए नियमों के अनुसार क्वार्टरों का आवंटन किसी कर्मचारी की कुल सेवा अवधि के आधार पर किया जाता है और किसी विशेष नगर में केवल उनके रहने के आधार पर नहीं ;

(ग) क्या नये नियम बनाये जाने तथा आदेश जारी किये जाने के बाद भी जनरल मैनेजर दिल्ली टेलीफोन्स द्वारा उक्त नियमों के उल्लंघन में कुछ व्यक्तियों को कुछ क्वार्टर दिये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस अनियमितता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां, कुछ छोटे-मोटे संशोधनों के साथ।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में दुग्ध उत्पादन नियंत्रण आदेश

2613. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दूध से बने पदार्थों पर नियंत्रण आदेश जारी किये जाने के कारण लगभग 50,000 व्यक्ति बेरोजगार हो गय हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इन व्यक्तियों को कुछ उपक्रमों में रोजगार दिलाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । पश्चिम बंगाल की सरकार यह अनुभव करती है कि मिठाई की दुकानों के कर्मचारियों की छंटनी की संभावना नहीं, क्योंकि ये दुकाने ऐसी मिठाइयों और नमकीन चीजों को बनाने और उनको बड़ी मात्रा में बेचने के लिये स्वाधीन हैं जिनकी इनको इजाजत है । फिर भी यदि कुछ थोड़े से आदमी बेकार हो जायें तो वे राज्य सरकार की नई दुग्ध योजना के ऐसे डिपुओं में रखे जा सकते हैं जो एकत्र की जाने वाली दुग्ध की बड़ी मात्रा को बांटने के लिये खोले जा रहे हैं ।

लोअर डिवीजन क्लर्कों को स्थायी बनाने सम्बन्धी परीक्षा

2614. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन लोअर डिवीजन क्लर्कों को जिन्हें 12 अक्तूबर, 1961 को नौकरी करते लगातार पांच वर्ष हो गये थे स्थायी बनाने संबंधी परीक्षा से छूट देने के लिये हिदायतें जारी की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नये भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिये स्थायीकरण परीक्षा बन्द कर दी गई है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि डाक विभाग में उन लोअर डिवीजन क्लर्कों को जिन्हें सेवा करते पांच वर्ष से अधिक हो गये हैं स्थायीकरण परीक्षा पास न करने के कारण पद अवनति करके चतुर्थ श्रेणी में कर दिया गया है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं । निम्न श्रणी कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये किसी प्रकार की परीक्षा निर्धारित नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Welfare of Central Government Employees

2615. **Shri D. N. Tiwary** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Planning Commission has asked his Ministry to draw up a scheme involving an amount of about Rs. 10 crores for the welfare and provision of amenities for the Central Government employees ;

(b) whether it is also a fact that a Committee has been constituted for this purpose under the Chairmanship of the Deputy Minister ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar): (a) to (c). Certain proposals were formulated by a Working Group set up by the Ministry of Home Affairs at the instance of the Planning Commission for the welfare of Central Government employees. A provision of Rs. 10 crores was initially proposed. It was felt that the highest priority should be given to the consumer co-operatives. These proposals were formulated under the guidance of the then Deputy Home Minister, Shri L. N. Mishra.

As a result of further discussions with the Ministries concerned, it has been agreed, in principle, that consumer co-operative societies may be set up in 7 metropolitan towns, besides Delhi (with a population of 10 lakhs and more) namely, Bombay, Calcutta, Madras, Kanpur, Hyderabad, Bangalore and Ahmedabad, and five Union territories, with a view to providing essential commodities at reasonable prices to Central and State Government employees. The capital outlay for the scheme is under consideration.

A proposal for the expansion of transport facilities so far available in Delhi for the benefit of Central Government employees is also under examination.

परीक्षा प्रणाली

2616. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से सरकार से वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने अथवा उसमें पर्याप्त परिवर्तन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) वे वैकल्पिक प्रणालियां क्या हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : परीक्षा की वर्तमान पद्धति छोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस लिये उसके विकल्पों के बारे में विचार करने का सवाल पैदा नहीं होता। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्य शिक्षा विभागों/माध्यमिक शिक्षा मंडलों के सहयोग से वर्तमान परीक्षा पद्धति में सुधार लाने के प्रश्न पर ध्यान दे रही है। इसी तरह विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालयों के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विचार कर रहा है।

Hindi Learning by Kerala Students

2617. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the students in Kerala State have not been provided with facilities propor tionate to their desire for learning Hindi ;

(b) if so, the main reasons therefor ; and

(c) whether any other programme is also under consideration with a view to extending more facilities to the students for learning Hindi at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakta Darshan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise, Sir.

(c) Not for the present, Sir.

कुछ विशेष कालेजों को अनुदान

2618. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अत्रा तथा बांदा के डिग्री कालेजों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है चूंकि वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में शिक्षा में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है इसलिए

इन कालेजों को विज्ञान विभाग खोलने के लिये विशेष अनुदान दिया जाये तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मान्यता सम्बन्धी शर्तों के बिना ही उन्हें मान्यता दी जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय विश्वविद्यालयों की आलोचना

2619. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक अमरीकी विशेषज्ञ द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के बारे में की गई इस आलोचना की ओर दिलाया गया है कि वे निष्क्रिय हैं और कोई उपयोगी अनुसंधान नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारी कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इस संबंध में सरकार को एक प्रेस रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) और (ग): प्रश्नाधीन वक्तव्य वैज्ञानिक की केवल अपनी राय है और विदेशी वैज्ञानिकों अथवा भारत सरकार के आमतौर पर विचार को प्रकट नहीं करता। फिर भी, विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान में सुधार और आधुनीकरण को बढ़ावा देने के कार्यक्रम को शुरू करने से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बहुत से उपाय हाथ में लिए हुए हैं। उपलब्ध साधनों के अनुसार इस दिशा में प्रगति की गति को तेज करने का प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

Expenditure on Education in Rajasthan

2620. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1669 on the 1st December, 1965 and state :

(a) whether a final decision has since been taken to reduce the expenditure on education in Rajasthan by 15 per cent ; and

(b) if so, the nature thereof ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The State Government had proposed an outlay of Rs. 138 lakhs in 1966-67. On the recommendations of the Working Group, the Planning Commission has agreed to increase the outlay to Rs. 159 lakhs.

(b) Does not arise.

Gunpowder Explosion in a Factory in Delhi

2621. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashapal Singh :
Shri Shinkre :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have enquired into the reported gunpowder explosion in a factory in Delhi which took place on the 21st December, 1965 and caused injuries to three labourers ;

(b) if so, the broad details thereof ; and

(c) whether any compensation has been paid to the injured labourers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir, but only 2 labourers were injured.

(b) After the death of the proprietor of the factory, his son was collecting raw material and finished goods with the help of two workers, presumably with the idea of winding up the establishment, when a sudden explosion took place, in which all these three persons were injured. These persons were admitted to the hospital on the same day and were discharged after treatment for a few days. A case under Section 338 IPC has been registered. The report of the Inspector of Explosives is awaited.

(c) No Sir. The workers have not claimed any compensation so far.

Goods Seized in a Cave in Ramakrishna puram New Delhi

2622. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 797 on the 17th November, 1965 and state :

(a) whether the persons connected with the stolen goods worth Rs. 1300 received from a cave in Sector V. Ramakrishnapuram, New Delhi have been traced ;

(b) whether it is also a fact that a shopkeeper was robbed recently in Sector VII ;

(c) so, the value of goods stolen and whether the culprits have been apprehended ; and

(d) whether proper security arrangements have been made for the future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Normal police patrolling is being done.

उर्वरक संयंत्र

2623. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री उर्वरक संयंत्रों के बारे में 10 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 393 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रिया के ऋण के अन्तर्गत कुछ प्रकार के उर्वरक बनाने के संयंत्रों की सप्लाई के लिये आस्ट्रिया के मैसर्स वायेस्ट से प्राप्त प्रस्ताव की जांच अब पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : मामला अभी विचाराधीन ।

उत्तर प्रदेश में डाकिये

2624. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न डाकघरों में कितने डाकिये सेवा में थे ;

(ख) उनमें से कितने डाकियों को रहने के लिये क्वार्टर मिले हुए है ;

(ग) कितने डाकिये किराये के मकानों में रहते हैं ; और

(घ) उत्तर प्रदेश के डाकियों को क्वार्टर देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 5,494 ।

(ख) और (ग) : 93 डाकिये डाक-तार विभाग के क्वार्टरों में और 6 डाकिये डाक-तार विभाग द्वारा पट्टे पर दिये गए किराये के क्वार्टरों में रह रहे हैं ।

(घ) केवल डाकियों के लिये अलग तौर पर क्वार्टरों का निर्माण नहीं किया जाता और उन्हें उसी वेतनमान के अन्य कर्मचारियों के साथ ही क्वार्टर दिये जाते है ।

डाकियों और उनके सामान संवर्गों के कर्मचारियों के लिये श्रेणी I के 34 क्वार्टरों के निर्माण की मंजूरी पहले ही जारी की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त चौथी योजना में उत्तर प्रदेश परि-मण्डल में विभिन्न स्थानों पर और अधिक क्वार्टरों के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

2625. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में टेलीफोन मांगने वाले लोगों के कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े थे ; और

(ख) इस काम को शीघ्रता से करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 18,674।

(ख) उपलब्ध साधनों के अनुसार अधिक से अधिक बकाया मांगों की पूर्ति के उद्देश्य से मौजूदा टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने, नये टेलीफोन केन्द्र खोलने, अतिरिक्त केबल आदि बिछाने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के गृह सचिव के पद का दर्जा बढ़ाना

2626. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार से उसके गृह सचिव के पद का दर्जा बढ़ा कर आयुक्त के पद के बराबर करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने भूतपूर्व मुख्य सचिव की सेवा अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिये पहले एक अन्य प्रस्ताव भेजा था;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में निर्णय इस बात को ध्यान में रख कर लिया था कि प्रशासन में ऐसे परिवर्तन न होने दिये जायें जिससे कार्यकुशलता में आनुपातिक वृद्धि हुए बिना खर्च बढ़ जाए; और

(घ) क्या अन्य राज्यों को उनके मार्ग-दर्शन हेतु केन्द्र की नीति के बारे में सूचित कर दिया गया है जिसके आधार पर पश्चिमी बंगाल सरकार के दो प्रस्तावों के बारे में निश्चित निर्णय किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। मामला विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय रसायन सलाहकार समिति

2627. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रसायन सलाहकार समिति ने रसायन उद्योग को क्या सुझाव दिये हैं ताकि वह आयात बनाये रखने के लिये विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके ; और

(ख) इस उद्योग की क्षमता बढ़ाने के विशेष उद्देश्य से क्या सरकार ने कुछ संयंत्रों तथा मशीनों पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) 27 दिसम्बर, 1965 को हुई केन्द्रीय रसायन सलाहकार समिति की पहली बैठक में निम्नलिखित सुझाव दिये गये थे :—

(एक) रसायन उद्योग को कम से कम अपने 20 प्रतिशत उत्पादों का निर्यात करने का प्रयत्न करना चाहिये। इससे अनुरक्षण तथा विस्तार के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा मांगने के लिये उद्योग का नैतिक दावा हो जायेगा।

(दो) कुछ चुनी हुई आयातित संयंत्रों तथा मशीनों पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये और सरकार को निर्यात के लिये आर्थिक सहायता देनी चाहिये।

(तीन) मूंगफली के विलायक (सॉलवेंट) तेल के, जो खाने के योग्य न हो, निर्यात की अनुमति होनी चाहिये।

(चार) निर्यात संवर्धन के लिये ऐलकोहल पर रेलवे भाड़े में रियायत दी जानी चाहिये।

(ख) सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

कोयले से उर्वरकों का उत्पादन

2628. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक बनाने के लिये देश के घटिया किस्म के अधातूकर्मी कोयलें के व्यापक संसाधनों का उपयोग करने की संभावना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : इस समय नयवेली के संयंत्र में उर्वरकों को तैयार करने के लिये लिगनाइट इस्तेमाल किया जाता है। कुछ उर्वरक कारखानों में, जो स्थापित किये जा रहे हैं, भाप जनन और बाष्पन उद्देश्य के लिये अकोकर कोयला भी इस्तेमाल किया जायेगा।

केन्द्रीय ईंधन अन्वेषण संस्था द्वारा तैयार किये गये एक साथ आक्सीकरण एवं एमोनियाकरण की तकनीकी से निम्न स्तर पाउडर कोयले से कोयला उर्वरक (नाइट्रोजन युक्त उत्पाद) के उत्पादन के लिये हाल ही में प्रति दिन दो मीटरी टन क्षमता-युक्त एक प्रायोगिक संयंत्र चालू किया गया है।

Stabbing Cases in Delhi

2629. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases of stabbing in Delhi during the year 1965;

(b) the number of persons who died as a result thereof; and

(c) the number of persons who survived in such cases ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 216.

(b) 2.

(c) 214.

कोयला खानों में छंटनी

2630. **श्री दाजी :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में विभिन्न कोयला खानों से कितने श्रमिकों की छंटनी की गई ; और

(ख) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं और कोयला-खान वार उनकी छंटनी किन-किन तारीखों को की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 4,366।

(ख) एक सूची, जिसमें कोयलाखान-वार छंटनी किये गये मजदूरों की संख्या तथा खान के नाम के सामने छंटनी की तारीख दी गई है, सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5864/66]**

नेफा में कल्याण कार्य

2631. श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्ण मिशन ने नेफा में कल्याण तथा रचनात्मक कार्य केन्द्र चालू करने के लिये अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) रामकृष्ण मिशन को नेफा में सामाजिक तथा कल्याण कार्य के लिये एक केन्द्र चालू करने की अनुमति दी गई है।

राजस्थान में बेरोजगार महिलाएं

2632. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 तक राजस्थान के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितनी महिला उम्मीदवारों (स्नातकों तथा गैर-स्नातकों दोनों) के नाम दर्ज किये गए थे; और

(ख) दिसम्बर, 1965 के अंत तक उनमें से कितनी महिलाओं को रोजगार संबंधी सहायता दी गई ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) :

प्राथियों की श्रेणी	31-12-1965 को रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टरों में दर्ज नाम	सन 1965 के दौरान रोजगार सहायता पाने वालों की संख्या*
स्नातक (जिनमें स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त उम्मीदवार भी शामिल हैं)	135	68
मैट्रिक पास (जिनम हायर सेकण्डरी और इन्टरमीडिएट भी शामिल है) . . .	1,298	847
मैट्रिक से कम पढ़ीलिखी . .	2,601	436
कुल .	4,034	1,351

स्तम्भ (2) के अधीन बताये उम्मीदवारों को मिली रोजगार सहायता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त नहीं है। स्तम्भ (3) में दिये आंकड़े उन से सम्बन्धित हैं जिन्हें 1965 के दौरान काम मिला।

राजस्थान में डाक सेवाएं

2633. **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1966 के अंत तक राजस्थान के कितने देहातों में डाक सेवाएं उपलब्ध थी; और

(ख) 1966-67 में राजस्थान के कितने देहातों में डाक सेवाएं आरम्भ करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : राजस्थान के सभी गांवों में डाक वितरण की व्यवस्था मौजूद है। जनवरी, 1966 के अन्त तक राजस्थान में डाक वितरण कितनी बार होता था इससे सम्बन्धित स्थिति नीचे दी गई है :—

दैनिक—8,794

सप्ताह में तीन बार—8,140

सप्ताह में दो बार —7,945

सप्ताह में एक बार—9,018

एक सप्ताह से अधिक समय में एक बार—239

जनवरी, 1966 में 14 प्रधान डाकघरों, 526 विभागीय उप डाकघरों, 93 अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों तथा 5,000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में डाक सुविधाएं उपलब्ध थीं।

1966—67 के दौरान राजस्थान के कितने गांवों में डाक-सुविधाएं पहुंचाई जाएं, इस सम्बन्ध में कोई भी प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि सभी गांवों में डाक-सुविधाएं प्राप्त हैं।

आन्ध्र प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी

2634. **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965—66 में राज्य में तेलगू नाटकों की उन्नति के लिये संगीत नाटक अकादमी ने आन्ध्र प्रदेश को कोई वित्तीय सहायता दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : आन्ध्र प्रदेश नाटय संगम हैद्राबाद को 7,650 रुपये निम्नलिखित प्रयोजन के लिये दिये गये :

(i) 6,000 रुपये नाट्य विद्यालय के अध्यापक-स्टाफ के वेतन इत्यादि के लिये; और

(ii) 1,650 रुपये छात्रवृत्तियों के लिये।

राजस्थान में स्कूलों के छात्रावास

2635. श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965–66 में राजस्थान सरकार को राज्य में स्कूलों के लिये छात्रावास बनाने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : छात्रावासों के निर्माण सहित लड़कियों की शिक्षा की विशेष योजनाओं के लिये दो लाख रुपये की एक मुश्त रकम दी गई थी।

राजस्थानों में कालेज तथा हाई स्कूल

2636. श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965–66 में राजस्थान के सम्बद्ध कालेजों तथा हाई स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रमों को बढ़ाने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में हिन्दी का विकास

2637. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में उड़ीसा राज्य को राज्य में हिन्दी के विकास के लिये किन-किन स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान दिये गये; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक संस्था के लिये कितनी रकम मंजूर की गई ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : 1965–66 के दौरान हिन्दी के प्रचार और विकास के लिये उड़ीसा में निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए गए। अनुदान की रकम भी उनके सामने दी गई है :—

(i) हिन्दी राष्ट्रभाषा परिषद्, पुरी, जगन्नाथधाम (उड़ीसा)	15,000 रु०
(ii) उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, कटक (उड़ीसा)	15,900 रु०

उड़ीसा में इंजीनियरी कालेज

2638. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में उड़ीसा में इंजीनियरी कालेजों को कुल कितनी रकम दी गई; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 45,55,664 रुपये।

(ख) **रीजनल इंजीनियरिंग कालेज रूरकेला :**

सहायक अनुदान . . .	32,51,000 रुपये
ऋण	10,19,414 रुपये
	42,70,414 रुपये

यूनिवर्सिटी कालेज आफ इंजीनियरिंग, बुरला :

अनुदान . . .	2,85,250 रुपये

उड़ीसा में स्कूल छात्रावास

2639. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या 1965–66 में उड़ीसा सरकार को राज्य में स्कूल छात्रावास बनाने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : एडवांस एक्शन प्रोग्राम के अधीन अध्यापिकाओं के क्वार्टरों, लड़कियों के छात्रावासों आदि के निर्माण के लिये राज्य सरकार के लिये 1.00 लाख रुपये की एक मुश्त रकम का विनिधान किया गया है। राज्य सरकार ने भी लड़कियों की शिक्षा के विशेष कार्यक्रम के अधीन जो सहायता प्राप्त कार्यक्रम के रूप में शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता के योग्य है छात्रावासों के निर्माण के लिए 2.25 लाख रुपये की व्यवस्था की है।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बेरोजगार उम्मीदवार

2640. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 तक उड़ीसा के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी; और

(ख) दिसम्बर, 1965 के अन्त तक उनमें से कितने उम्मीदवारों को रोजगार सम्बन्धी सहायता दी गई ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) :

उम्मीदवारों की श्रेणी	31-12-1965 को रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टरों में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या	सन 1965 के दौरान रोजगार सहायता पाने वालों की संख्या*
अनुसूचित जातियां . . .	5,460	1,786
अनुसूचित आदिम जातियां .	8,163	2,110

*स्तम्भ (2) के अधीन बताये उम्मीदवारों को मिली रोजगार सहायता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त नहीं है। स्तम्भ (3) में दिए आंकड़े उन लोगों से सम्बन्धित हैं जिन्हें 1965 के दौरान काम मिला।

डाक घरों में जमा राशि

2641. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जनवरी, 1966 को अल्प बचत योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के विभिन्न डाकघरों में कुल कितनी राशि जमा थी ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : 1 जनवरी, 1965 से 31 सितम्बर, 1965 की अवधि के दौरान उड़ीसा के सभी डाकघरों में विभीन्न बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा की गई कुल रकम 11,64,90,745 रुपये है।

जनवरी, 1966 में लगाई गई पूंजी से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी

2642. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी लागू करने के लिये राज्य सरकारों को प्रभावी व्यवस्था कायम करने की कोई सलाह दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों से समय-समय पर प्रदेश के विस्तार और/या खेतिहर मजदूरों की संख्या को ध्यान में रख कर मजूरी को लागू करने संबंधी मशीनरी को प्रभावी करने और श्रम विभागों को सुदृढ़ बनाने के लिये आग्रह किया जाता रहा है।

अत्तापाडी (केरल) में पुलिस की ज्यादतियां

2643. **श्री प० कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि केरल के पालघाट जिले में अत्तापाड़ी में पुलिस ने हाल में पहाड़ी आदिम जातियों पर बहुत अधिक ज्यादतियां की है; और

(ख) यदि हां, तो इन आदिम जातियों के संरक्षण तथा इस प्रकार के दमन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Teachers Training Degree in Kerala

2644. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Kerala Government have withdrawn the recognition given to Teachers Training Degree awarded by Mysore ;

(b) whether it is also a fact that about 1500 trainees have been affected as a result thereof ; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The recognition of the Teachers Training Certificate, Mysore has now been restricted to persons specialising in Kannada Language who seek employment in Kasargode area of the State for teaching in schools for the Kannada speaking children.

(b) and (c). No, Sir. The State Government has decided to exempt from the purview of the revised orders all those who have passed Teachers Training Certificate Course from Mysore and also those who will be completing the course in 1965-66.

श्रमिकों में ऋणग्रस्तता

2645. **श्री कोल्ला वैंकैया :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में श्रमिकों को ऋण से मुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कोई ऐसी योजना अभीतक नहीं बनी है जिसमें सभी श्रमिकों को शामिल किया जा सके । किन्तु सहायता के कुछ ऐसे ढंग अवश्य है जिनके अन्तर्गत विशेष वर्गों के श्रमिक आते हैं ।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत बीमा प्रीमियम देने के लिये रहने के मकान या रहने के मकान बनाने के लिय जमीन खरीदने के लिये, अस्थायी रूप से काम बन्द होने के कारण बेरोजगारी के कठिन समय को गुजारने के लिये, उपभोक्ता सहकारी समतियों के शेयर खरीदने के लिये और कुछ मामलों में चिकित्सा के लिये, वे कुछ अन्य कार्यों के लिये इस निधि के सदस्य वापिस न किया जाने वाला अग्रिम-धन निकाल सकते है ।

सहकारी साख समितियों तथा उपभोक्ता भण्डारों की व्यवस्था करके कोयला क्षेत्रों में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के कदम उठाए गए है। कम व्याज की दर पर साख सुविधाएं देने के हेतु साख समितियों को कोयला खान श्रम कल्याण निधि से कर्जा भी दिया जाता है । अभ्रक

की खानों में काम करने वाले खनिकों को सुविधा के लिये श्रम कल्याण निधि संस्था ने भी उपभोक्ता भण्डार खोल दिए हैं। सरकार की सलाह से देश भर में औद्योगिक संस्थाओं द्वारा खोली जा रही उचित मूल्य की दूकानों तथा उपभोक्ताओं के सहकारी भण्डारों को भी मूल्य वृद्धि के समय में कामगारों को सहायता करनी चाहिए।

कलकत्ता में टेलीफोन

2646. **श्री मुहम्मद इलियास :**
डा० रानेन सेन :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता क्षेत्र में जनता द्वारा टेलीफोनों के बारे में अत्यधिक मांग को पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) वर्तमान कमी के क्या कारण है और क्या टेलीफोनों की इस कमी का अनुमान उस समय लगा लिया गया था जब केवल कुछ वर्ष पूर्व वर्तमान स्वाचालित प्रणाली की योजना बनाई गई थी; और

(ग) क्या यह सच है कि कलकत्ता में वर्तमान स्वाचालित टेलीफोन सेवा असन्तोषजनक स्थिति में है और एक्सचेंजों में अत्यधिक टेलीफोन काल होने के परिणामस्वरूप टेलीफोन वाले आवश्यकता पड़ने पर अपने फोनों का प्रयोग नहीं कर सकते?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) बहुत से नये टेलीफोन केन्द्र खोलने तथा मौजूदा टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार करने की योजना है। 1964–65 के दौरान लगभग 9,000 नये कनेक्शन दिये गए। इस वर्ष इस संख्या में कुछ और वृद्धि होने की आशा है।

तीसरी योजना में अतिरिक्त क्षमता के तौर पर 30,000 लाइनों की व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में तेजी लाई गई और योजना के पहले चार वर्षों में ही यह काम पूरा कर दिया गया।

चौथी योजना के मसौदे में 70,000 लाइनें और लगाने का प्रस्ताव है। वास्तव में कितनी लाइनें लगाई जा सकगी यह वित्तीय साधनों पर निर्भर करता है, लेकिन 1966–67 में 14,000 लाइनों के उपस्कर का आर्डर दिया जा चुका है।

(ख) 1945 में भारत सरकार द्वारा विदेशी परामर्शदाताओं का टी० एम० आई० नाम का एक दल नियुक्त किया गया और इस दल ने कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली के विकास के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी। फिर भी इस रिपोर्ट से ऐसा पता चला कि टेलीफोन की वास्तविक मांग टी० एम० आई० के पूर्वानुमानों से कहीं अधिक थी। बाद में कलकत्ता टेलीफोन क्षेत्र के लिये एक आयोजना अनुभाग स्थापित किया गया और इस क्षेत्र से सम्बन्धित योजनाओं का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसी के फलस्वरूप टेलीफोनों की मांग का अपेक्षाकृत अधिक सही अनुमान लगाना संभव हो सकता है। फिर भी कलकत्ता में देश के अन्य स्थानों की ही तरह टेलीफोनों की कमी है और इसका मुख्य कारण सीमित उपलब्ध वित्तीय साधन है।

(ग) कलकत्ता में स्थापित स्वचल टेलीफोन उपस्कर अपेक्षाकृत नया है और अच्छी सेवा करता है। काम के घंटे में परियात की मात्रा बहुत अधिक और टी० एम० आई० तथा बाद में ब्रिटिश डाकघर के परामर्शदाताओं द्वारा अनुमानित परियात की मात्रा से कहीं अधिक होती है। उसी समय से टेलीफोन केन्द्रों में अतिरिक्त परियात निपटाने के लिये उपस्कर लगाने के लिये

कार्रवाई की जा चुकी है, किन्तु हो सकता है कि इस क्षेत्र के दो या तीन टलीफोन केन्द्रों के उपभोक्ताओं को अपने कालों के निपटान होने में कुछ सेकेण्ड के लिये प्रतीक्षा करनी पड़े। आर्डर किये हुए उपस्कर के स्थापित होते ही स्थिति में सुधार हो जाएगा।

विद्रोही नागाओं की गिरफ्तारियां

2647. श्री मधु लिमये :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आसाम-नागालैंड मनीपुर क्षेत्र में कोई विद्रोही अथवा संदिग्ध नागा गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ख) क्या विद्रोही नागाओं ने बदले में कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां। सत्रह विद्रोही मणिपुर की सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गये थे, तथा तीस विद्रोही और उनके समर्थक असम की सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) और (ग) : हाल ही में उस क्षेत्र में तोड़फोड़ करने, घात लगाने तथा हिंसा की घटनाओं की सूचना मिली है, जिनमे से कुछ में नागा विद्रोही सम्बन्धित थे, परन्तु उनमें से किसी को भी पूर्णत: इन गिरफ्तारियाँ का प्रतिकार रूप मानना कठिन है।

नागा ग्रामीणों को जलाये जाने की घटना के बारे में न्यायिक जांच

2648. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा शान्ति मिशन के एक सदस्य, रेवेरेन्ड माइकल स्काट ने यह मांग की है कि अखरूल डिवीजन में कुछ नागा ग्रामीणों को जलाये जाने की कथित घटनाओं की न्यायिक जांच कराई जाये ;

(ख) यदि हां, तो उस घटना के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस मामलें में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीणों को सताने, उन्हें जिन्दा जलाने तथा आग लगाने आदि के सम्बन्ध में नागा उपद्रवियों की ओर से आरोप लगाये गये थे, परन्तु कोई ठोस ब्यौरा नहीं दिया गया था।

(ग) प्रधान मंत्री जी ने, जिनको रेवेरेन्ड स्काट ने न्यायिक जांच के सुझाव का तार भेजा था, यह सुझाव स्वीकार नहीं किया। परन्तु उन्होंने इस मामले की जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने के लिये चीफ कमिशनर, मणिपुर को अनुदेश जारी किये हैं।

Exhibition of Scientific and Technical Books

2649. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an exhibition of scientific and technical books was recently held in Delhi in which statistical information about various kinds of publications was also given ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the reasons for constant fall in the publication of books in Indian languages during the period from 1960 to 1965 ; and

(d) the steps being taken to encourage the publication of books in Indian Languages ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) School and College books, popular science books, Journals, Bulletins and Encyclopaedic works brought out in the country during the period 1960-65 in Indian languages and in English were on display. The total number of books and periodicals was 4492 and 768 respectively.

(c) There has been no fall in the publications brought out in the Indian languages. 4801 scientific and technical Publications and periodicals were brought out in various Indian Languages upto the end of 1959 as compared to 5260 Publications and periodicals during the period from 1960 to 1965.

(d) The Council of Scientific and Industrial Research has set up an Indian Languages Unit to encourage the publications of books in various Indian Languages.

Role of Education in Economic and Social Development

2650. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Education Commission has made a study of the question as to how far education has been helpful in a balanced economic and social development ;

(b) if so, the findings thereof ; and

(c) the steps proposed to be taken to end the present imbalance ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No special studies on the subject have been undertaken. However, the subject will be dealt with in a general way by the Education Commission in its Report.

(b) and (c). Do not arise.

Nava Nalanda Mahavihara

2651. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Committee set up for the development of Nava Nalanda Mahavihara has submitted its report ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government for the development of the aforesaid Mahavihara ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The Committee has recommended the integrated development of the Nava Nalanda Mahavihara and the Huen Tsang Memorial Hall as one Centre of Research and Learning in Buddhistic Studies under a common Board of Management which may be an autonomous Body registered under the Societies Registration Act.

(c) The recommendations of the Committee are under consideration.

मेसर्स अकूजी जाडवेट ट्रेडिंग कम्पनी, अन्दामान तथा निकोबार

2652. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 28 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स अकूजी जाडवेट ट्रेडिंग कम्पनी के जहाज के मालिक के विरूद्ध अन्तिम रूप से क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) इस मामले में उचित जांच की गई थी, किन्तु क्योंकि सीमा शुल्क अधिनियम का कोई गम्भीर उल्लंघन सामने नहीं आया, इस लिये जहाज के नायक या मालिक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

Uninhabited Islands near Andamans

2653. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to supplementaries on Starred Question No. 93 on the 21st February, 1966 and state :

(a) the number of such Islands near the Andaman Islands as are uninhabited and their area separately ; and

(b) the broad outlines of the measures taken to prevent the occupation of these uninhabited Islands by any foreign country ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) and (b). Most of the Islands in these groups are not inhabited and as no regular survey operations for these uninhabited Islands have yet been conducted it is not possible to give their areas. Government have taken and are taking appropriate measures for the security & development of these islands.

गणना विभाग, केरल में छटनी

2654. श्री वासुदेवन् नायर :
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम में गणना विभाग के कर्मचारियों से छंटनी किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिले हैं ? और

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जनगणनाओं के मध्यवर्ती काल में कार्य के परिमाण का स्तर वही नहीं होता जितना जनगणना के समय, जनगणना कार्य के लिये भरती किए गए अस्थायी कर्मचारियों में से कुछ को अवश्य ही छटनी करनी पड़ती है। फिर भी छंटनी में आए हुए कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक नियुक्तियां ढूंढने की चेष्टा की जा रही है ।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

2655. **श्री कोल्ला वैंकैया** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्थानों के औद्योगिक श्रमिकों तथा उनके कार्मिक संघों ने बोनस सिद्धांत के विरोध में विभिन्न औद्योगिक नगरों तथा विभिन्न उद्योगों में या तो हड़तालें की हैं अथवा विरोध स्वरूप कोई अन्य कार्यवाही की है अथवा ऐसी कार्यवाहियां करने का विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन नगरों और किन उद्योगों में ;

(ग) क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ;

(घ) इसमें कितने श्रमिक भाग ले रहे हैं; और

(ङ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ) : राज्य सरकारों आदि से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उर्वरक उत्पादन के लिये विदेशी मुद्रा

2656. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पश्चिमी देशों से सहायता के बारे में अनिश्चितता के कारण सरकार देश में उर्वरक उत्पादन के लिये विदेशी मुद्रा की मात्रा घटाने के कुछ उपायों पर विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : विदेशी मुद्रा की स्थिति में कठिनाइयों के कारण संयंत्र एवं उपकरण की देशीय अंश को बढ़ाने की सम्भावनाओं और उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिये साज-सामान को रुपयों में खरीदने वाले देशों से यथा सम्भव लेने का प्रश्न विचाराधीन है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

2657. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 200 से अधिक कर्मचारियों ने अधिकारियों के उदासीनतापूर्ण तथा प्रतिकूल रवैये के विरोध स्वरूप अपना वेतन लेने से इनकार कर दिया है और उन्होंने निगम के लिये पूरी वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कई एक कर्मचारियों ने पहली मार्च, 1966 को अपना वेतन नहीं लिया लेकिन उसके दूसरे दिन उन्होंने अपना वेतन ले लिया। अखिल भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी संघ ने जो मांगें पेश की हैं उनमें से एक मांग कर्मचारी राज्य बीमा निगम को पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता दिलाने के बारे में है।

(ख) सारे मामले पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति की अगामी बैठक में विचार होगा ।

PROMOTIONS IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY COMMISSION

2658. Shri Prakash Vir Shastri :

Shri Hukam Chand Kachhaviaya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state : (a) Whether it is a fact that different procedures are adopted by the Administrative authorities of the Scientific and Technical Terminology Commission and the Hindi Directorate in respect of promotion of Class IV employees there;

(b) Whether it is also a fact that a Lower Division Clerk has to pass a type-writing test in order to get promotion;

(c) Whether it is also a fact that several employees of that category who did not know type-writing have been promoted; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d). In view of the reply given to part (b), these questions do not arise.

केरल में छात्रवृत्तियां

2659. श्री प० कुन्हन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 या 1965–66 में अब तक केरल में मैट्रिक के बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जाति ों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को कुल कितनी छात्रवृत्तीयां दी गई ;

(ख) इन छावृत्तीयों के लिये कुल कितने छात्रों ने आवेदन पत्र भेजे थे ; और

(ग) इसके लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई और अब तक कितनी खर्च की गई ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन्) :

(क)

1964–65	अनुसूचित जातियां . . .	1,589
	अनुसूचित कबीले . . .	168
	अन्य वर्ग	188
	जोड़ .	1,945

1965–66 (31-1-66 तक)

अनुसूचित जातियां . . .	1,447
अनुसूचित कबीले . . .	79
अन्य वर्ग	95
जोड़ .	1,621

(ख) 1964–65

अनुसूचित जातियां . . .	1,883
अनुसूचित कबीले . . .	182
अन्य वर्ग	12,019
जोड़ .	14,084

1965–66 (31-1-66 तक)

अनुसूचित जातियां . . .	2,743
अनुसूचित कबीले . . .	183
अन्य वर्ग . .	9,616
जोड़ .	12,542

(ग) 1964–65

रकम जिसकी व्यवस्था की गई . .	4,28,900 रुपये
रकम जो खर्च हुई . . .	5,40,590 रुपये

(अतिरिक्त खर्च समाज कल्याण विभाग और राज्य सरकार द्वारा उठाया गया)

1965–66 (31-1-66 तक)

रकम जिसकी व्यवस्था की गई . .	4,16,700 रुपये
रकम जो खर्च हुई . . .	2,64,662 रुपये

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी

2660. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960–61 से 1964–65 की अवधि में प्रति वर्ष दक्षिण सर्किल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, बंगलौर में कुल कितने कर्मचारी दक्षता अवरोध पार नहीं कर सके; और

(ख) उक्त अवधि में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अन्य सर्किलों/निदेशालयों में कुल कितने कर्मचारी दक्षता अवरोध पार नहीं कर सके ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख): सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2660/66**]

दक्षिणी सर्किल में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों का नौकरी से निकाल दिया जाना

2661. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960–61 से वर्ष 1964–65 तक की अवधि में प्रति वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग के दक्षिण मण्डल, बंगलौर में केन्द्रीय असैनिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियमों, 1949 के नियम 5 के अन्तर्गत कुल कितने कर्मचारी नौकरी से निकाले गये ; और

(ख) उक्त अवधि में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अन्य निदेशालयों में केन्द्रीय असैनिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियमों, 1949 के नियम 5 के अन्तर्गत कितने कर्मचारी नौकरी से निकाले गये ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :(क) और (ख): सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5866/66**]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का अभिसमय

2662. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय 87 तथा 98 का सरकार द्वारा अनुसमर्थन किये जाने के सम्बन्ध में जोरदार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन अभिसमयों का अनुसमर्थन अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने अभिसमय 87 का, जैसाकि वह इस समय है, अनुसमर्थन न करने का फैसला किया है। एक विवरण, जिसमें इसके कारण समझाये गये हैं, सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5867/66**] अभिसमय संख्या 98, जो संगठन बनाने और सामुहिक सौदाकारी के अधिकार के संबंध में है, के अनुसमर्थन का प्रश्न विचाराधीन है।

शिक्षा सम्बन्धी आयोजन पर गोष्ठी

2663. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा सम्बन्धी आयोजन की कानूनी तथा संवैधानिक पेचीदगियों पर विचार करने के लिये जनवरी, 1966 में नई दिल्ली में एक गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में विशेषकर शिक्षा में समानता लाने की आवश्यकता के बारे में क्या मुख्य सुझाव दिये गये ; और

(ग) सरकार ने इस को ध्यान में रखते हुए, चौथी योजना में क्रियान्वित किये जाने के लिये क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां, 'भारत में शिक्षा संबंधी आयोजन उसकी कानूनी और संवैधानिक पेचीदगियां' विषय पर भारतीय विधि संस्थान और शिक्षा आयोग के संयुक्त तत्वावधान में एक गोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में 27 से 30 जनवरी 1966 तक किया गया था।

(ख) गोष्ठी में यह सामान्य भावना थी कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जहां प्रयोग की सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिये वहां पूर्ण एकरूपता वांछनीय नहीं है, जिससे उपयुक्त अवधि में शिक्षा की विकासशील पद्धतियां बनाई जा सकें। फिर भी यह अनुभव किया गया कि उच्चतर शिक्षा की एकरुपता के विषय को कई अपेक्षाकृत छोटी और अधिक ठोस समस्याओं में विभाजित करने की आवश्यकता है, जिनपर इसी प्रकार की चर्चाओं, बैठकों और गोष्ठियों में विचार किया जाना चाहिये।

(ग) गोष्ठी की रिपोर्ट को अभी भी अंतिम रूप देना है।

पिछड़ी जातियों के लिये पदों को सुरक्षित रखना

2664. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सरकारी पदों की कुछ श्रेणियों पर नियुक्ति करने के मामले में पिछड़ी जातियों के लिये स्थान सुरक्षित करने के नियम को समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस कार्यवाही के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन मिले है; और

(ग) इन अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) ऐसा निणय किया गया कि कुछ ऐसी सेवाओं में पिछड़ी जातियों की नियुक्ति के लिये कोई आरक्षण नहीं होगा जिनके लिये कोई खास नियम जारी नहीं किये गए।

(ख) जी हां।

(ग) मामले की दोबारा जांच की जा रही है और शीघ्र ही संशोधित आदेश जारी किये जायेंगे ।

शिक्षा सम्बन्धी संसाधन केन्द्र के रूप में भारत

2665. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा सम्बन्धी संसाधन केन्द्रों का जाल बिछाने हेतु भारत को एक परीक्षण स्थल के रूप में चुना गया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र के मुख्य कार्य क्या होंगे ;

(ग) इस केन्द्र की स्थापना में कौन-कौन से देश सहायता कर रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा क्या सहायता दिये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : यूनिवर्सिटी आफ दी स्टेट आफ न्यूयार्क ने अमरीका के स्कूल और कालेज विद्यार्थियों के उपयोग के लिये भारत सम्बन्धी पठनीय तथा अन्य शैक्षिक सामग्री तैयार करने के लिये दिल्ली में एक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है।

(घ) केन्द्र द्वारा जो भी तकनीकी सलाह और मार्गदर्शन की मांग होगी, उसकी व्यवस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद करेगी।

केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम

2666. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय प्रशासन सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लिये की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन करने के बारे में केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो कब संशोधन करने का विचार है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) संशोधन करने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5868/66।**]

प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, सिलचर

2667. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में सिल्चर में प्रादेशिक इंजीनीयरी कालेज खोलने में कितनी प्रगती हुई है; और

(ख) क्या यह कालेज चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष के आरम्भ में चालू हो जायेगा, जैसा कि पहल आश्वासन दिया जा चुका है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) कालेज के लिये भूमि-अर्जन के कार्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ख) कालेज के चौथी पंच वर्षीय योजना के उत्तरार्द्ध में चालू हो जाने की संभावना है।

मिजो नेशनल फ्रंट पर प्रतिबन्ध लगाना

2668. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत मिज़ो नेशनल फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ;

(ख) क्या प्रतिबंध लगाये जाने के बाद कोई गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) 6 मार्च, 1966 को भारत सरकार ने मिज़ो नेशनल फ्रंट पर भारत सुरक्षा नियम, 1962 का नियम 32 लागू करने का एक आदेश जारी किया। यह आदेश उस दिनांक के भारतीय राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 (ii) में प्रकाशित हुआ था।

(ख) और (ग) : असम सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है, तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मिज़ो विद्रोह में विदेशी धर्म-प्रचारकों का हाथ

2669. **श्री लखमू भवानी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान मिज़ो विद्रोह में ब्रिटेन तथा अन्य देशों से आये हुए अनेक धर्म-प्रचारकों का हाथ है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कायवाही की है ; और

(ग) क्या उन धर्म-प्रचारकों को देश से निकाल देने तथा भविष्य में सब धर्म-प्रचारकों पर निगरानी रखने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अवांछित गतिविधियों में भाग लेने वाले किसी विदेशी नागरिक के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये विदेशी अधिनियम, 1946 तथा उसके अधीन बनाये गये आदेशों में पर्याप्त अधिकार निहित है ।

मुत्थी शरणार्थी कैम्प

2670. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुत्थी शरणार्थी कैम्प (जम्मू तथा काश्मीर) के कमाण्डेंट को मुअत्तिल कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) यह आरोप लगाया गया था कि कमाण्डेट ने कुछ मिठाईयां जो कि विस्थापित व्यक्तियों में बांटी जानी थी, नहर में फैंक दी थी । राज्य सरकार द्वारा मामले की छान-बीन की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मिठाईयां इस लिये फैंक गई थीं कि वे खाने के योग्य नहीं थीं ।

जनशिखा प्रेस, अगरतला, त्रिपुरा

2671. **श्री बिरेन दत्त :**
श्री दशरथ देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1963 में जनशिखा प्रेस, अगरतला, त्रिपुरा को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत बन्द करने का आदेश दे दिया गया था ;

(ख) क्या यह प्रेस अब भी त्रिपुरा सरकार के कब्जे में हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारत प्रतिरक्षा नियमों का उपयोग करने के बारे में गृह-कार्य मंत्री की घोषणा को ध्यान में रखते हुए उसके कब तक मुक्त हो जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : इस प्रिंटिंग प्रेस पर त्रिपुरा सरकार द्वारा कब्जा किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रस को भारत प्रतिरक्षा नियमावली के नियम 45 के उपनियम (I) की धारा (च) के अन्तर्गत जारी किये गये एक अनुदेश की पूर्ति में 3,000 रुपये की ज़मानत जमा न कराने के कारण भारत प्रतिरक्षा नियमावली के नियम 45 के उपनियम (1) की धारा (ज) के अधीन बन्द किया गया था ।

महाराष्ट्र में बेरोजगार व्यक्ति

2672. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1966 तक की अवधि में महाराष्ट्र के काम दिलाऊ दफ्तरों में नामदर्ज बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी; और

(ख) उनकी पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष के अन्दर उन्हें रोजगार देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 2,66,990 ।

(ख) रोजगार की मौजूदा स्थिति में इन सभी उम्मीदवारों को, नाम दर्ज कराने की तारीख से एक साल के भीतर, काम दिलाना सम्भव न हो सकेगा ।

महाराष्ट्र में टेलीफोन बिलों की बकाया रकम

2673. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में टेलीफोन बिलों की काफी रक़म बकाया है :

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) बिलों की रक़म की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उसका क्या परिणाम निकला ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) जी नहीं, 31 मई, 1965 तक जारी किये गए बिलों के सम्बन्ध में 30 नवम्बर, 1965 को 19.82 लाख रुपये की रक़म बकाया थी जबकि एक वर्ष का राजस्व लगभग 809 लाख रूपये था ।

(ग) और (घ) दोषी उपभोक्ताओं के टेलीफोन काटने की दिशा में कार्रवाही की जा चूकी चूकी है। इन मामलों को जल्दी निपटाने के उद्देश्य से दोषी उपभोक्ताओं के पीछे लगना तथा आवश्यकतानूसार कानूनी कार्रवाही करना जैसे विशेष कदम भी उठाये जा रहे हैं। बकाया रक़म तेजी से वसूल की जा रही है ।

महाराष्ट्र में डाकघर

2674. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में महाराष्ट्र के कछ उप डाकघरों को मुख्य डाकघरों में तथा शाखा डाकघरों को उप डाकघरों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5870/66 ।**]

महाराष्ट्र में पेट्रोलियम के उत्पादों की खपत

2675. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या **पेट्रोलीयम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965 और 1966 में अब तक महाराष्ट्र में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के उत्पादों की पृथक-पृथक कुल कितनी खपत हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : 1965 में महाराष्ट्र में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत 30,93,100 किलों-लिटर शोधित उत्पाद और 65,95,883 मीटरी टन कच्चा तेल अनुमानित है । जनवरी और फरवरी 1966 में 5,81,800 किलो-लिटर शोधित उत्पादों एवं 11,19,108 मीटरी टन कच्चे तेल की खपत अनुमानित है ।

महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र में पालिटेक्निक संस्थाएं

2676. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में कितनी पालिटेक्नीकल संस्थाएं हैं;

(ख) क्या सरकार का महाराष्ट्र में कुछ और पालिटेक्निक संस्थाएं खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो वे मराठवाड़ा क्षेत्र में कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) तीन ।

(ख) और (ग) : चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान विभिन्न राज्यों में जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, कितने नये पालिटेक्निक खोले जाने हैं, इस विषय में अभी कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पद

2677. श्री विश्राम प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में (एक) अनुभाग अधिकारियों ; (दो) वरिष्ठ आशुलिपिकों ; (तीन) सहायकों ; (चार) अपर डिवीजन क्लर्कों ; (पांच) कनिष्ठ आशुलिपिकों ; तथा (छ) लोअर डिवीजन क्लर्कों की पदालियों में कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या प्रत्येक संवर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कुछ पद आरक्षित किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक संवर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदम जातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ग) :

संवर्ग	प्रत्येक संवर्ग के लिए स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या	प्रत्येक संवर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की संख्या
(1) अनुभाग अधिकारी	14	1
(2) आशुलिपिक . . .	14	..
(3) सहायक . . .	56	1
(4) अपर डिवीजन क्लर्क	62	3
(5) कनिष्ठ आशुलिपिक . .	17	..
(6) लोअर डिवीजन क्लर्क	66	13

(ख) जी हां। सिवाय इसके जब आरक्षित स्थानों के लिए उपयुक्त प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सरकारी नियमों का अनुसरण करता है।

गैस से उर्वरकों का उत्पादन

2678. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आसाम और गुजरात के तेल क्षेत्रों से निकलने वाली पैट्रोलियम गैस से उर्वर ों का उत्पादन करने सम्बन्धी योजनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) : मैसर्ज़ फर्टीलाइज़र कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, प्राकृतिक गैस के उपयोग से 45,000 मीटरी टन नाइट्रोजन को तैयार करने के लिए असम में नामरूपक स्थान पर एक उर्वरक संयन्त्र लगा रहा है। इसी प्रकार 96,000 मीचरी टन नाइट्रोजन के उत्पादन के लिए मैसर्ज़ गुजरात स्टेट फर्टीलाइज़र कम्पनी लि०, द्वारा बड़ौदा में निर्माण किया जा रहा उर्वरक कारखाना; गुजरात के तेल-कुंओं से उपलब्ध कुछ सम्मिश्रित गैस के उपयोग पर आधारित है।

उपर्युक्त स्कीमों के इलावा, प्राकृतिक/सम्मिश्रित गैस और/या नेफ्था के उपयोग पर आधारित आसाम और गुजरात में अतिरिक्त उर्वरक क्षमता को स्थापित करने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन हैं। इन से सम्बन्धित ब्यौरों का अभी आंकन एवं फैसला करना है।

एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन इन्स्टीट्यूट

2679. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन इन्स्टीट्यूट स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कहां पर तथा उस पर कितना व्यय होगा ;

(ग) क्या कोई विदेश सहयोग कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) देहरादून में और उसपर पहले पांच वर्षों में कर्मचारियों, इमारत, देशीय उपकरण आदि पर भारत सरकार को लगभग 79 लाख रूपये अनुमानित लागत आयेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) इसी अवधि में विशेषज्ञों, शिक्षावृत्तियों तथा उपकरणों के रूप में अनुमानत: 38 लाख रूपए की वित्तीय सहायता देने के लिये नीदरलैंड सरकार सहमत हो गई है।

Class IV Employees of Scientific and Technical Terminology Commission

2680. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that class IV employees of the Scientific and Technical Terminology Commission, Ministry of Education, U.G.C. Bhawan, Mathura Road and the Central Hindi Directorate working at 15/16, Faiz Bazar, Delhi have neither been provided with winter uniforms nor any reply has been given to their representation ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b)) It is regretted that there has been some delay in the supply of winter uniforms to the class IV employees of these two offices. This was mainly due to the late supply of woollen cloth by the D.G.S.&D. (a Central Government purchasing agency). Order for the woollen cloth was placed in July, but the same could not be supplied well in time because of the difficult supply position of woollen cloth this year.

The winter liveries to all the entitled class IV employees of the Directorate and the Commission have, however, been supplied except in the case of one employee of the Commission who has refused to accept it. Incidentally he was the only employee of the Commission who had submitted a representation earlier and a reply was sent to him.

कोचीन तेल शोधक कारखाना

2681. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री मणियंगाडन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन तेल शोधक कारखाने की लागत विदेशी सहयोगियों के साथ अप्रैल, 1965 में किये गये करार के अन्तगत किये गये अनुमान से बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) तेल शोधक कारखाने की लागत के बढ़ जाने के कारण अपेक्षित विदेशी मुद्रा को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां । लागत बढ़ गई है । करार पर 27 अप्रैल, 1963 को हस्ताक्षर हुए थे ; न कि अप्रैल 1965 को जैसा कहा गया है ।

(ख) निम्नलिखित कारणों से व्यय में वृद्धि हुई है :

(1) भाड़े में वृद्धि और संयन्त्र एवं मशीनरी पर मूलत: अनुमानित आयात शुल्क की अपेक्षा अधिक आयात शुल्क का लगना ,

(2) भूमि के मूल्य एवं स्थल तैयार करने के लागत में वृद्धि ,

(3) पाइपलाइनों एवं गोदाम के लिये सामग्री के मूल्य में वृद्धि, और

(4) रेल एवं बन्दरगाह सुविधाओं पर नया व्यय।

(ग) विदेशी मुद्रा अंश में वृद्धि अमरीकी वाणिज्य बैंकों से लिये गये विदेशी मुद्रा ऋण से पूरा किया जायगा।

भारतीय भाषाओं का विकास

2682. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय
श्री यशपाल सिंह :
श्री दशरथ देव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास सम्बन्धी मामलों पर सलाह देने के लिये एक समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब नियुक्त की जायेगी ; और

(ग) समिति के निर्देश पद क्या होंगे तथा इस के सदस्य कौन-कौन होंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : फरवरी 15, 1966 से भारतीय भाषा समिति नामक एक समिति स्थापित करने का निश्चय किया गया है। उसके गठन और कार्यों के व्यय का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखियें संख्या एल० टी० 5869/66।]**

विज्ञान सम्बन्धी अफ्रीकी-एशियाई विचार गोष्ठी

2683. **श्री रा० बरुआ :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में होने वाली प्रस्तावित विज्ञान सम्बन्धी अफ्रीकी-एशियाई विचार-गोष्ठी पूर्व निर्धारित समय पर ही होगी ; और

(ख) क्या अब तक अफ्रीकी-एशियाई देशो से प्राप्त प्रत्युत्तर उत्साहजनक है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डॉ० श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन) : (क) "विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति और उसकी उपयोगिता के लिए अफ्रीका और एशिया के देशों में सहयोग" पर विचार गोष्ठी एक प्रारंभिक समिति द्वारा प्रायोजित की गई है, जिसमें श्रीलंका, फिलिपीन, रूस, ईरान, लेबनान, ट्यूनीशिया, घाना, केन्या, संयुक्त अरब गणराज्य और भारत के एक एक और कुल दस वैज्ञानिक हैं। प्रारंभिक समिति फरवरी 1966 के अंतिम सप्ताह में विचार गोष्ठी करने के लिए मान गई थी लेकिन पिछली जनवरी में उसने यह विचार गोष्ठी 25 अप्रैल से 2 मई, 1966 तक करने का निश्चय किया।

(ख) यह समझा जाता है कि 30 से भी अधिक देशों के 80 से अधिक वैज्ञानिकोंने इस विचार गोष्ठी में भाग लेने के लिए उत्सुकता व्यक्त की है और यह प्रतिक्रिया बहुत संतोषजनक समझी जाती है।

मिजो लोगों के लिये पाकिस्तान बजरें (बार्ज) द्वारा हथियारों का उतारा जाना

2684. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो पहाड़ियों में देमागिरि के निकट एक पाकिस्तानी बजरे को हथियार बन्द मिजो लोगों के लिये अस्त्र-शस्त्र उतारते हुए देखा गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये अस्त्र-शस्त्र विद्रोहियों के पास पहुंचने से पहले ही पकड़ लिये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि 10 मार्च, 1966 को देमागिरी के समीप तिरपा ों से ढके दो बार्ज देखे गये। बाद में जब हमारी सुरक्षा टुकड़ियां वहां पहुंची, तो उन्हें वहां कोई बार्ज नहीं मिला। सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इन बार्जों में शस्त्रास्त्र थे, या यह पाकिस्तानी थे।

दिल्ली के स्कूलों में ली जानेवाली ट्युशन फीस

2685. **श्री जेधे** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में (1) सरकारी स्कूलों तथा (2) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलो द्वारा छटी कक्षा से लेकर ग्यारहवी कक्षा तक के लड़को तथा लड़कियो से कक्षा-वार अलग अलग प्रतिमास ट्यूशन फीस तथा विभिन्न मदों (फंड) के लिये कितनी राशी ली जाती है ; और

(ख) ली जाने वाली राशी में अन्तर के क्या कारण हैं विशेष कर यह देखते हुये कि सहायता पानेवाले स्कूलों को सरकार से 95 प्रतिशत सहायता मिलती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जाएगी।

Alleged Misuse of Vegetables Grown in Delhi Jail

2686. **Shri Yudhavir Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the buffaloes kept by the Delhi Jail officials are maintained on the vegetables grown by the prisoners ;

(b) whether it is also a fact that the prisoners are not supplied with vegetables grown over there but of inferior quality ; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

Viscous Rayon Industry

2687. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether any survey regarding dangers from carbon disulphide, Hydrogen sulphide and sulphur dioxide in 'Viscous Rayon' industry in India has been made since 1959 ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the arrangements made to know the working conditions of the workers of 'Viscous Rayon' industry and the poisonous effect of these Chemicals on them;

(d) the safety measures adopted in the industry to protect the workers from poisonous effects ; and

(e) whether the rules relating to chemicals made under the Factory Act, 1948 are also observed to control the use of poisonous chemicals in the Rayon industry and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The Director General, Factory Advice Service & Labour Institutes, is receiving periodical reports from Factory Inspectorates of the States.

(d) and (e). Attention is invited to the replies given to Unstarred Question No. 1249 on 2nd September, 1963 and No. 1049 on 7th December, 1964 in the Lok Sabha.

मैसूर उच्च न्यायालय

2688. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के उच्च न्यायालय में इस समय कुल कितने न्यायाधीश है;

(ख) क्या यह सच है कि वे न्यायाधीश उच्च न्यायालय में जमा हुए अत्यधिक काम को निपटाने में असमर्थ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार और अधिक न्यायाधीश नियुक्त करने का है ताकि बढ़ते हुए अतिरिक्त कार्य को निबटाया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो कब तथा कितने न्यायाधीश नियुक्त किये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) चौदह।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दिये गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मैसूर उच्च न्यायालय में जमा हुए काम को इतना अधिक नहीं माना जा सकता कि उसके लिये और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़े। राज्य सरकार से इस प्रकार की नियुक्तियों के और प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

मैसूर के उच्च न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे

2689. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर उच्च न्यायालय में इस समय कितनी अपीलें, लेख याचिकाएं, पुनर्विचार याचिकायें तथा अन्य मुकदमें विचाराधीन है ; और

(ख) इन मुकदमों को शीघ्र निपटाने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को जल्दी ही राहत देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(1) पाकिस्तान के मान्यता-प्राप्त प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों द्वारा भारत विरोधी प्रचार

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जलौर) : श्रीमान, मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह उस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"पाकिस्तान के मान्यता-प्राप्त प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों द्वारा भारत विरोधी प्रचार।"

मेरा विचार था कि चूंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिये अच्छा होता यदि इस समय प्रधान मंत्री भी यहां उपस्थित होतीं। माननीय वैदेशिक कार्य मंत्री में कूटनीतिज्ञ का यह महान गुण है कि वह घंटों तक बोलने पर भी कोई अर्थपूर्ण बात नहीं कहते। मैं आशा करता हूं कि वह सभा में संक्षेप तथा तथ्यपूर्ण जानकारी देंगे।

वैदेशिक कार्यमंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं आप को यथा सम्भव संक्षिप्त जानकारी दूंगा।

ताशकन्द घोषणा के अनुच्छेद IV के अनुसार, दोनों पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ प्रचार को हतोत्साहित करने पर और ऐसे प्रचार को बढ़ावा देने पर राजी हुए थे जिससे दोनों देशों के बीच मित्रता के संबंध विकसित होते हों।

ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद हमने अपने सभी मिशनों को अपनी सूचना और प्रचार एजेंसियों को यह निर्देश दे दिए थे कि वे संयम से काम लें और ऐसा कोई प्रचार न करें जिसे पाकिस्तान के खिलाफ़ समझा जा सकता हो। पाकिस्तान के अखबारों में और उसके रेडिओं पर हमने भारत-विरोधी प्रचार में काफी कमी पाई। हमें अपने मिशनों से भी विदेशो में पाकिस्तानी प्रचार के विषय में उत्साहवर्धक रिपोर्टें मिली। किंतु, यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही। ताशकंद घोषणा और ताशकंद की भावना के अनुरूप हम जहां पाकिस्तान-विरोधी प्रचार से बचते रहे हैं वहां पाकिस्तान के सार्वजनिक सूचना के माध्यमों ने और उसकी सरकारी एजेंसियों ने भी पिछले कुछ सप्ताहों में भारत-विरोधी किस्म का प्रचार फिर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के अखबारों को पढ़ने से और उसके रेडियो को सुनने से यह पता चलता है कि पाकिस्तान इस बारे में ताशकंद के समझौते से पहले की स्थिति में पुन : अधिकाधिक लौटता जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार के सदस्यों ने भी जो कई वक्तव्य दिए हैं, वे प्रचार भरे हैं और उनसे निश्चय ही भारत-विरोधी भावना पैदा होगी जो ताशकंद की भावना के प्रतिकूल है।

हाल ही में, 10 मार्च, 1966 को, संयुक्त राज्य में पाकिस्तान के राजदूत, श्री गुलाब अहमद ने विश्व मामलों पर शिकागो परिषद् के सम्मुख एक भाषण में हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर बोले और उन्होने काश्मीर के मामले की जड़ पर और उसके बढ़ने पर अपनी सरकार का परंपरागत दृष्टिकोण बतलाया। उन्होंने काश्मीर के विषय में भारत के रवैय्ये के बारे में भी कुछ बातें कही। पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द घोषणा के भाव और भाषा का जानबूझकर बराबर उल्लंघन करने के खिलाफ हमने पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह तथ्य नहीं है कि हमारे सैनिकों के कश्मीर में हमारे क्षेत्र के सामरिक महत्व के स्थानों से हटाये जाने के तुरन्त बाद पाकिस्तान ने ताशकन्द घोषणा को दफ़ना दिया है और केवल वही नहीं हुआ है जो कि माननीय मंत्री ने बताया है अपितु स्वयं पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत पर यह दोषारोपण किया है कि अभी भारत ने पाकिस्तान के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया है, और श्री भुट्टो अपने ढंग से भारत के विरूद्ध प्रचार कर रहे हैं और पाकिस्तान भारत के साथ ताशकन्द घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ में पंजीकृत तक कराने को तयार नहीं है? अत : ऐसी परिस्थिति में, पाकिस्तानी रवैय्ये के बारे में सरकार का क्या अनुमान है और किस प्रकार की तथा किस उद्देश्य से सरकार कार्यवाही कर रही है? हम अकेले कहां तक चल सकते हैं ? मेरा विचार है कि उन्होंने रूस तथा अन्य देशों को भी लिखा है। क्या माननीय मंत्री इस पर कुछ प्रकाश डालगे?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैं ने अपने वक्तव्य में कहा है, पाकिस्तान सरकार के नेताओं द्वारा दिये गये वक्तव्य ताशकंद घोषणा की भावना क विरूद्ध हैं और जैसा कि माननीय सदस्य श्री माथुर ने कहा है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की सूचना हमारे पास आ गई है जिसमें कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान के अस्तित्व को अब भी स्वीकार नहीं किया है। मुझे यह समाचार पढ़ कर बहुत निराशा हुई है। हम ने इस मसले पर रावलपिंडी में वार्ता के दौरान दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था परन्तु इस पर भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा ऐसा वक्तव्य देने पर मुझे बहुत निराशा हुई है।

श्री भुट्टो ने 'नेशनल असेम्बली' के अन्दर तथा बाहर जो वक्तव्य दिये हैं उसे स्पष्ट है कि पाकिस्तान ताशकंद घोषणा की केवल भावना के ही विरूद्ध नहीं है बल्कि किसी रूप में भी ताशकंद भावना को स्वीकार नहीं करता है।

ताशकंद घोषणा को संयुक्त राष्ट्र में रजिस्ट्री कराने के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि यह आवश्यक नहीं है कि दोनों पक्ष रजिस्ट्री के लिये कार्यवाही करे। हम ने पाकिस्तान को अनौपचारिक रूप से कहा था कि वह भी भारत के साथ ताशकंद घोषणा को पंजीकरण कराने के लिये प्रस्ताव करे। यदि पाकिस्तान हमारे साथ रजिस्ट्री के लिये प्रस्ताव नहीं करता---जैसा कि किया भी नहीं है---तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। हमने ताशकंद घोषणा की संयुक्त राष्ट्र में रजिस्ट्री के लिये कार्यवाही कर दी है।

श्री माथुर ने जो बात अन्त में कही है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह ठीक है कि पाकिस्तान के वर्तमान रवैये को देखते हुये भारत के लिये यह कठीन है कि वह एकपक्षीय रह कर चुप बैठा रहे। हम ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किये हैं और इस के बारे में दो दृष्टिकोण हैं। एक तो यह है कि जैसे ही पाकिस्तान ताशकंद घोषणा को भंग करना आरम्भ करे, हम भी भंग करना आरम्भ कर दें। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि जैसे ही वह इस घोषणा को भंग करे, हम उसको इसके बारे में सूचित करें और प्रयास करें कि वह उन कर्तव्यों का पालन करें जो उसने इस घोषणा के अन्तर्गत उस पर लागू होते हैं। मेरा विचार यह है कि किसी परिणाम पर पहुंचने से पहले हम इस उपाय को कर के देखें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : दूसरा 'पंच शील'?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री ने बड़ा संक्षिप्त उत्तर दिया है परन्तु एक बात रह गई है। माननीय मंत्री के अनुसार पाकिस्तान के रवैये के बारे में क्या अनुमान है? पाकिस्तान ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने ब्यौरा दे दिया है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उन्होंने केवल तथ्य दिये हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : यदि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा तो शायद वह फिर कहेंगे कि मैं कूट-नीतिज्ञों की भाषा में बोल रहा हूं। किसी स्थिति का अनुमान किन्हीं तथ्यों से ही लगाया जा सकता है। तथ्य तो संक्षेप में दिये जा सकते हैं परन्तु अपना अनुमान बताने के लिये राय देनी होगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : पाकिस्तान सरकार के नेताओं द्वारा भारत विरोधी प्रचार के अतिरिक्त क्या पाकिस्तान ने ताशकंद घोषणा को स्वीकार करने के पश्चात राजस्थान की सीमा पर सेना का जमाव शुरू कर दिया है और क्या माननीय मंत्री का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है?—"कि केवल चीन ने ही पाकिस्तान को इतनी मात्र में स्वचालित राइ-फ़लें, मशीन गन, तोपें तथा गोलाबारूद सप्लाई कर दिये हैं कि एक पूरा डिवीज़न तैयार हो गया है;"

"कि पाकिस्तान चोरी छिपे "सेन्टो" मित्र राष्ट्रों से विशेषतया तुर्की से, हथियार ले रहा है जब कि अमरीका का कहना है कि ऐसा नहीं हो रहा है"

अत: क्या प्रधान मंत्री अमरीका पहुंचने पर राष्ट्रपति जॉनसन से इस विषय पर बात चीत करेंगी?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सत्य है कि राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी सेना के मौजूद होने तथा जमाव करने के बारे में भारत सरकार को सूचना मिली थी और प्रतिरक्षा मंत्री ने जो दूसरी सभा में वक्तव्य दिया है उसके अनुसार जो सेना के उच्च अधिकारियों के बीच करार हुआ था उस को भंग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा था कि हम अपनी ओर सेना रख सकते हैं और वे अपनी ओर अपने क्षेत्र में सेना रख सकते हैं। करार के अनुसार एक क्षेत्र में किसी भी सेना नहीं रखी जा सकती और इस सम्बन्ध में करार भंग नहीं किया गया है। ऐसे समाचार प्रकाशित हुये हैं कि पाकिस्तान को चीन से तथा अन्य देशों से हथियार मिल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे तैयारियां कर रहे हैं। सरकार को इसका पता है और प्रतिरक्षा मंत्रालय भी अपनी ओर से तैयारी कर रही है।

मेरे लिये यह कहना कठिन है कि प्रधान मंत्री अमरीका के राष्ट्रपति श्री जानसन से इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगी अथवा नहीं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has Government received any reply to our letter sent to the U.S.S.R. Government in connection with the anti-India propaganda being carried on by Pakistan and Pakistanis violations of the Taskh-kent agreement ? If no such reply has been received, how long does Govern-ment propose to await it ?

Does Government propose to ask the U.S.A. and the U.S.S.R. Governments not to supply arms to Pakistan till Pakistan continues to violate the Tashkent Declaration ? Has any communication since been sent to them or is there any proposal to do so in the near future ? Is it a fact that the Pakistan army, at the time of vacating our territory, had asked the citizens not to construct *pucca* houses for they would be returning very soon? Did the Pakistan army raise "Indira Gandhi Murdabad" and "Hindustan Murdabad" slogans at the time of vacating our territory and had also left these slogans written on walls ? If so, what action has since been taken in this respect ?

Shri Swaran Singh : It is fact that we have been informing the U.S.S.R. as also other friendly nations about these violations by Pakistan but I would like to repeat that we should not refer every little thing to these countries. After we have informed those Governments of the situation, it remains entirely upto them to consider the mattter and take action.

I think it would not be proper on our part to tell other Governments where to supply Pakistan with arms and when not to supply her with any arms, according as she honours the Tashkent declaration. Pakistan does not use the arms for the purpose for which it gets them from foreign countries. This matter has to be decided more between the countries which send arms aid to Pakistan and the Pakistan Government herself.

The slogans "Murdabad" and "Zindabad" are raised by people in the foreign country as also in our country. The slogan "Murdabad" does not kill anybody. How can we prevent these slogans ?

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : यह देखते हुए कि रावलपिन्डी वार्ता के पश्चात् फील्ड-मार्शल अय्यूब खां, श्री भुट्टो, तथा रुस में पाकिस्तान के राजदूत, श्री गुलाम एहमद ने भारत के विरूद्ध बड़ा जोरदार आन्दोलन शुरू किया हुआ है। क्या सरकार

(क) को यह विश्वास है कि इन आंदोलनों द्वारा पाकिस्तान कश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद् में चर्चा कराना चाहता है और भारत पर दबाव डालना चाहता है कि वह पाकिस्तान की पसंद के हल को स्वीकार करे।

(ख) ने इन उल्लंघनों के बारे में श्री कोसाजिन को सूचना दे दी है ?

(ग) यह मानती है कि ताशकंद घोषणा सरकार की ग़लती थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : (क) यदि वह मामले को सुरक्षा परिषद् में ले जाये तो मुझे आश्चर्य न होगा। सुरक्षा परिषद में अपने मसले को किस प्रकार रखा जाये, यह हम अच्छी तरह जानते हैं।

(ख) हम ने रुसी नेताओं को सूचित कर दिया है ;

(ग) जी, नहीं।

Shri Yashpal Singh : The honourable Minister thinks that he can solve the problem through talks whereas it deserves to be solved through a firm foreign policy. Why does he want to do so ?

Why does he send protest notes ? The honourable Minister has also said that he is prepared to conduct talks even for a six hundred times. The honourable Minister had to part with Hajipir , Kargil and Tithwal as a result of our single talk.

Secondly, why should Government get the Tashkent Declaration registered with the United Nations when Pakistan has all along been repeatedly violating the Declaration ?

Shri Swaran Singh : Yes, Sir, let them be powerful and let us be true to our words. We need both.

(2) कलकत्ता में इंडियन एअर लाईन्स कॉरपोरेशन की उडानो का मंसुख किया जाना

उपाध्यक्ष महोदय : एक ध्यान दिलाने वाली सूचना हैं। श्री स० मो० बनर्जी।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने पहले ही उनका ध्यान दिलाया है।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन, तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): माननीय सदस्यों को याद होगा कि 17 फरवरी, 1966 को मैंने इस सदन में दिल्ली और कलकत्ता में पायलट और विमान परिचारिकाओं में विस्वरता (डिसहारमोनी) की कुछ घटनाओं का विशेष जिक्र करते हुए इंडियन एयरलाईन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों में अनुशासनहीनता के आम प्रश्न पर एक विवरण प्रस्तुत किया था। इस सम्बन्ध में मैंने बतलाया था कि कलकत्ता में एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले आई० ए० सी० कर्मचारी वर्ग के कुछ भाग, ने जो विमान परिचारिकाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, दो विमान परिचारिकाओं को जांच होने तक, काम से अलग रखने सम्बन्धी आर्डर को वापिस लेने के लिये प्रबन्ध वर्ग पर जोर डालने के लिये 'धीरे चलो' और 'नियम के अनुसार काम' करने की युक्ति अपनाई। इन युक्तियों के बावजूद भी, कलकत्ता से चलने वाली सेवाओं की धारिता कायम रखी गई यद्यपि वे देरी से चलती थीं।

5 मार्च, 1966 को एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की क्षेत्रीय यूनियन I (टेक्निकल) और II (नान-टेक्निकल) ने प्रबन्धक वर्ग को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 22 के अन्तर्गत हड़ताल का नोटिस दे दिया। जिस में उन्होंने बतलाया कि वे 4 अप्रैल, 1966 से हड़ताल करने वाले हैं। हड़ताल के नोटिस में यूनियन ने 6 मांगे रखी हैं जिसमें, 2 विमान परिचारिकाओं को जांच होने तक, ग्राउंड डयूटी देने के सम्बन्ध में जारी किए आर्डर को रद्द करने की एक मांग भी शामिल है। हड़ताल के नोटिस को कलकत्ता के क्षेत्रीय श्रमिक कमिशनर (केन्द्रीय) के सम्मुख प्रस्तुत किया गया और मनाने की कार्यवाही 15, 16 और 18 मार्च, 1966 को हुई। मनाने की कार्यवाही से, फिर भी, समझौता न हो सका।

20 मार्च, 1966 को कलकत्ता में केबिन परिवारक, पेपर कार्डस जिन पर यूनियन की मोहर लगी हुई थी और जो इसी अभिप्राय से यूनियन की ओर से दिये गये थे, लेकर ड्यूटी पर आये। कार्डों पर वे सभी बातें लिखी हुई थी जो उनके हड़ताल के नोटिस में उठाई गई थी जैसे "केबिन परिचारकों को उड़ान-ड्यूटी पर वापिस लो" इत्यादि। विमान के कमान्डरों ने केबिन परिचारिकों द्वारा ड्यूटी के समय इन कार्डों के लगाये जाने पर एतराज किया। केबिन परिचारिकों ने उन्हें उतारने से इन्कार कर दिया जिसके फलस्वरूप कमान्डरों ने उनको विमान से उतारने का निर्णय किया। यहां तक कि, कमान्डरों से इस सम्बन्ध में लिखित आर्डर मिलने पर भी केबिन परिचारिकों ने विमान से निकलने से इन्कार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता से चलने वाली कुछ उड़ानों को रद्द करना आवश्यक हो गया। केबिन परिचारिकों के बिना लेकिन दूसरे अधिकारियों की सहायता से जो परिचालनों की सुरक्षा के लिये आवश्यक सहायता देने के लिये तैयार थे, सेवा के परिचालन की संभावनाओं पर विचार किया गया, लेकिन पायलट को ए०सी०ई०यू० वर्ग के कर्मचारियों द्वारा भय दिखलाने की युक्तियों के कारण व्यक्तिगत सुरक्षा की आशंका से पायलट उन हालतों में परिचालनों को जारी रखने को रज़ामन्द न थे।

प्रबन्धक वर्ग ने, फिर भी, केबिन परिचारक की ड्यूटी करने के लिये एक अतिरिक्त अधिकारी के साथ कुछ उड़ानों को चालू रखा। कलकत्ता से शुरू होने वाली 13 क्षेत्रीय सेवाएं और 6 सेवाएं ट्रंक मार्ग पर परिचालित होती हैं। इन में से, 20 मार्च, 1966 को केवल 5 सेवाएं रद्द की गई थीं। 21 मार्च को, फिर भी, ट्रंक मार्ग पर केवल 5 सेवाएं परिचालित की गई और कल 8 सेवाएं चलाई जा सकीं। प्रबंधक वर्ग को आज ट्रंक मार्ग पर सभी 6 सेवाओं और क्षेत्रीय मार्गों पर 6 सेवाओं के चालू हो जाने की आशा है। यदि वर्तमान कठिनाईयां बनी रहीं तो कारपोरेशन कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को जो अब बै-रास्ता कलकत्ता से चालू है,

कलकत्ता से पारगमन सेवाओं के रूप में आसाम तक बढ़ाने की योजना बना रही है। हवाई अड्डे तथा इस स्थान पर रखे साज-सामान की सुरक्षा को बनाए रखने तथा परिचालन की आवश्यकता वाले क्षेत्र के सामीप्य को अनधिकृत मनुष्यों द्वारा प्रयोग करने पर भी रोक लगाने के भी कदम उठाए गए हैं।

इसी बीच में मैं सूचना देकर प्रसन्न हूं कि समझौताकार द्वारा रखे गए प्रस्तावों के आधार पर प्रबन्धक वर्ग तथा एयर कारपोरेशन कर्मचारि संघ के केन्द्रीय मुख्यालय के अध्यक्ष और जनरल सैक्रेटरी के बीच जो बातचीत हुई हैं फलदायी रहीं हैं और एक एकमत्य हल ढूंढ़ लिया गया है। केन्द्रीय संघ के प्रतिनिधि तथा कारपोरेशन के औद्योगिक संबंधी अफसर क्षेत्रीय संघ को दिल्ली में हुए समझौते की बातों को मनाने के लिये आज प्रातःकाल कलकत्ता के लिये रवाना हो गए हैं। मैंने स्वयं समझौते के फार्मूले को देखा है और समझता हूं कि यह गतिरोध का एक बहुत अच्छा हल निकालता है जो कि हड़ताल के नोटिस में निहित मांग के बिन्दुओं पर कलकत्ता में हुआ था। दोनों पक्षों द्वारा दिखाई गई समझौते तथा मेलमिलाप की भावना का मैं आदर करना चाहूंगा जिसके परिणामस्वरूप कारपोरेशन में अनुशासन के सारभूत तत्वों का त्याग किए बिना ही एकमत्य हो गया है। मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि आई०सी०पी०ए० के सदस्यों तथा कलकत्ता में कारपोरेशन को अफसरों के समुदाय ने इस कठिन स्थिति में प्रबन्धक वर्ग को पूरा सहयोग देने का वचन दिया है जिस से कारपोरेशन उसी तरीके से, जैसा कि मैंने पहले वर्णन किया, अपनी सेवाओं को बनाए रखने के योग्य रही है। मैं दूसरे केन्द्रों में कारपोरेशन के अफसरों तथा स्टाफ को भी बधाई देना चाहूंगा जोकि कलकत्ता क्षेत्र में इन परिवर्धनों से अप्रभावित रहे हैं तथा उन केन्द्रों द्वारा तथा उन केन्द्रों में सेवाओं को बनाए रखने में हर तरह की सहायता तथा सहयोग देते रहे हैं।

फिर भी, यदि जो आशा मैंने प्रगट की है अमल में नहीं आती तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कारपोरेशन के परिचालन में सरकार तथा कारपोरेशन अनुशासन तथा अर्दलीयता को मजबूत करने के लिये दृढ़ संकल्प हैं और कर्मचारियों के किसी भी अनुभाग की इन भावनाओं को सफल होने की इजाजत नहीं देंगे कि वे हमारे से अपने अवज्ञापूर्ण तथा गैर अनुशासनात्मक आचरण से अपनी अनुचित मांगों को दबाव से मनवाने में सफल हो सकें।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह तथ्य है कि विमान-परिचारिकाओं तथा केबिन अटेंडेंटों ने बिल्ले लगाये हुए थे जिन पर उनकी संघ की 6 मांगें लिखी हुई थीं? कमान्डर ने किस आधार पर उन लोगों को ऐसे बिल्ले पहिनने को मना किया तथा उनको बाहर निकाल दिया? क्या यह भी तथ्य है कि प्रायः कमान्डर विमान परिचारिकाओं के साथ भद्दा व्यवहार करते हैं? **(व्यवधान)**

श्री संजीव रेड्डी : जी, नहीं। उन लोगों को अपनी वर्दी पहिनना चाहिये थी। उनको इन बिल्लों को नहीं लगाने चाहिये थे। कमान्डर ने कोई ग़लती नहीं की यदि उसने उन लोगों को बिल्ले हटाने के लिये कहा था।

श्री स० मो० बनर्जी : इन बिल्लों पर कोई आपत्तिजनक बात नहीं लिखी हुई थी।

श्री संजीव रेड्डी : बिल्ले पहनना आपत्तिजनक है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : In reply to the question put by Shri Banerjee, the honourable Minister has stated that it was wrong on the part of the air hostesses and the cabin attendants to wear badges. Hence, action was taken against them. If this is correct then after this conciliation with those employees, will Government take care that similar situation does not repeat itself and their demands, if any are acceded to before any unpleasant developments take place ?

श्री संजीव रेड्डी : केन्द्रीय संघ के लोग कलकत्ता गये हुये हैं। प्रादेशिक संघ को भी उनके अनुसार ही चलना पड़गा। हमें प्रतीक्षा करके यह देखना है कि वे क्या करते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Does Government propose to appoint an enquiry board to investigateinto the disputes amongst employees, indiscipline, mismanagement and play down of what are called the 'safety factors in the Indian Airlines Corporation and the other Corporation ?

श्री संजीव रेड्डी : पहले हमें अनुशासन स्थापित करके यह देखना कि वह ठीक से चलता है या नहीं। उसके बाद ही और कोई कार्यवाही की जा सकती है। यात्रियों की सुरक्षा तथा अनुशासन स्थापित करना—इन दो बातों को प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : आई० ए० सी० के विमान चालक परिचारिकाओं के साथ जिस प्रकार अधिकारपूर्ण व्यवहार करते है तथा आई०ए०सी० का प्रशासन विमान चालकों को नाराज़ न करने के लिये उनके पक्ष में तथा परिचारिकाओं के विरुद्ध जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है, यही इस सारी गड़बड़ी की जड़ है। आई०ए०सी० का प्रशासन कब तक साहसपूण कार्यवाही करने लगेगा ताकि ग़लती करने वाला चाहे कोई भी हो, उसे दंड दिया जा सके ?

श्री संजीव रेड्डी : मैंने अपने वक्तव्य के अन्त में कहा है कि आवश्यकता होगी तो हम कार्यवाही करेंगे। मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसा होने में कितना समय लगेगा। हम अवश्य ही ऐसी व्यवस्था करेंगे।

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फ़िरोज़ाबाद) : क्या समझौते की शर्त है कि गलती करने वाली परिचारिकाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : ऐसा नहीं है।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that indiscipline has been increasing day by day and the stewards and air hostesses sit inside the plane and do not let it take off ? Why does Government not take a strong action in the matter ?

श्री संजीव रेड्डी : सरकार को भी इसकी चिन्ता है। हम कार्यवाही कर रहें ताकि सब ठीक हो जाये।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

RE: CALLING ATTENTION NOTICES—(QUERY)

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वक्तव्य कम देना चाहता हूं क्योंकि आवश्यक तथ्य आज तैयार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर वक्तव्य कल दिया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

रेलवे सुरक्षा आयुक्त वर्ष 1963-64 और 1964-65 के प्रतिवेदन

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं रेलवे निरीक्षणालय के कार्यचालन के बारे में रेलवे सुरक्षा आयुक्त के वर्ष 1963-64 और 1964-65 के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5843/66।]**

त्रावनकोर कोच्चिन कैमिकल्ज केरल के 31 मार्च 1965 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तथा केरल सरकार द्वारा समीक्षा

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (3) के अन्तर्गत त्रावनकोर, कोच्चिन कैमिकल्ज लिमिटेड, उद्योगमण्डल (केरल), के 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की केरल सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सख्या एल० टी० 5844/66]**

गोवा, दमण और दीव (समाविष्ट कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) नियम, 1965 और भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की सूची III में संशोधन

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) गोवा, दमण और दीव (समाविष्ट कर्मचारी) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत गोवा, दमण और दीव (समाविष्ट कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1896 में प्रकाशित हुए थे तथा जिन में दिनांक 29 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए जी०एस०आर० 154 के द्वारा शुद्धि की गई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सख्या एल०टी० 5845/66]**

(2) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति, जिन के द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) जी०एस०आर० 118 जो दिनांक 22 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) जी०एस०आर० 194 जो दिनांक 5 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सख्या एल०टी० 5846/66]**

हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास के 1964-65 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परिक्षक की टिप्पणियां

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास के के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5847/66]**

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना का वर्ष 1964-65 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

[श्री शाहनवाज़ खां]

(1) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (12वां संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1707 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (13 वां संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1836 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (14वां संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1837 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 5 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 170 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सख्या एल० टी० 5848/66]**

(2) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1779 जो दिनांक 4 दिसम्बर 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा पत्थर की कतिपय खदानों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का विस्तारण किया गया।

(दो) जी० एस० आर० 2 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा उन बैंकों पर, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का विस्तारण किया गया जो किसी एक राज्य में अथवा किसी संघ राज्य-क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और जिनका उस राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र के बाहर कोई विभाग अथवा शाखा नहीं हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5849/66]**

(3) वर्ष 1964-65 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की कार्यान्विति के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुसतकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5850/66]**

गैर-सरकरी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

बयासीवां प्रतिवेदन

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बयासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी
PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची, में आग लगने की घटना के बारे में वक्तव्य

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची, के बारे में 11 मार्च, 1966 को अल्प-सूचना प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में, विशेषतया कारपोरेशन के भूतपूव अध्यक्ष, डा० नागराज राव के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में ....

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह 5 पन्नों का विवरण है। अतः इसे सभा पटल पर रख दिया जाये। परन्तु जिनके पास इसकी प्रतियां हैं उन्हें प्रश्न करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे सभा पटल पर रख दिया जाये। यदि आप प्रश्न करना चाहते हैं तो कल रखा जाये।

श्री संजीवय्या : एक कठिनाई होगी। कल मुझे राज्य सभा में प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के पश्चात्।

श्री संजीवय्या : मैं एक विवरण सभा पटले पर रखता हूं और प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा। **[पुस्तकालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5851/66]**

श्री स० मो बनर्जी : इस पर चर्चा की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी। चर्चा के लिये आपको एक प्रस्ताव की सूचना देनी होगी।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : यह वक्तव्य के बारे में प्रश्न पूछने का ही प्रश्न नहीं है। हमें यह बताया गया था कि इस पर चर्चा होगी।

श्री रंगा (चित्तूर) : पहले वक्तव्य पढ लिया जाय। इसके बाद यदि कोई प्रश्न पूछने या चर्चा की आवश्यकता हुई तो देखा जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है। चर्चा के लिये एक प्रस्ताव की सूचना देनी होगी।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : स्पष्टीकरण केवल प्रश्न पूछ कर ही किया जा सकता है। यदि आप कल की कार्यवाही पढ़ें तो पता चलेगा कि अध्यक्ष महोदय ने कोई निर्णय नहीं दिया था। जब श्री माथूर ने यह बात उठाई तो अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वे इस पर विचार करेंगे। मेरा अनुरोध है कि जब आप एक बार कोई निर्णय कर लेते हैं तो उस पर दृढ़ रहना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो अध्यक्ष-पीठ पर निर्भर करता है। मैं कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आपके विनिर्णय के लिये धन्यवाद।

अनुदानों की मांगे (रेलवे), 1966–67
तथा
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेलवे), 1965–66—जारी

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS),—1966-67
AND
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS),-1965-66—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में अनुदानों की मांगें–रेलवे के 1966-67 और अनुपूरक अनदानों की मांगें--रेलवे–1965-66 पर चर्चा होगी। इस पर चर्चा के लिये 11 घंटे का समय नियत किया गया था जिसमें से 4 घंटे 25 मिनट शेष हैं। मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये कितना समय चाहते है।

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटील) : आधा घंटा राज्य मंत्री के लिये और अधा घंटा मेरे लिये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : कनिष्ठ मंत्री आज उत्तर दे सकते हैं और वरिष्ठ मंत्री कल।

श्री स० का० पाटिल : ठीक है। मैं कल उत्तर दूंगा।

Shri Mohan Nayak (Bhanjanagar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, railways showed continuous improvement since independence. But due attention has not been paid to Orissa. In many districts there are no railway lines. In the second five yearPlan there was proposal to construct a line between Gopalpur and Kalinga. This line will serve the districts of Ganjam, Phulbani, Kalahandi and Bolangir. This line was surveyed but the scheme was dropped due to the emergency created by Chinese agression. This work should be taken up now and should not be delayed further.

All the mail or express trains going from Howrah to Madras pass through Orissa during the night time. No train passes from there during the day time. Other trains also pass during the night time. As a result thereof, for covering a distance of 120 miles it takes 12 to 14 hours. It should therefore be seen that some convenient train passing through Orissa during the day time and reaches Berhampur during the day time itself.

The through bogie for Orissa should be connected to the Kalka Mail from Delhi to be detached at Asansol. Thus Orissa will be connected from Delhi.

Bhubaneshwar is a very important place but it takes 3 days for reaching Bhubaneshwar from Berhampur. There is no local train in Orissa except one which is from Talcher to Puri. Thousands of people daily go from Berhampur to Bhubaneshwar. There should be a local train for them in the morning from Berhampur to Cuttack which would return from Cuttack to Berhampur in the evening.

The conditions of fourth grade sweepers in railways is very deteriorating Their condition should be improved. Educational and medical facilities should be given to them for their children.

There is discriminatory treatment against the Scheduled Castes in the matter of promotions in the railway services. No percentage is reserved for them. A percentage should be fixed for them so that they get an appartunity and feel enthusiastic.

The work of improving and developing the stations in Orissa should be taken up immediately. First class waiting rooms should be provided at Berhampur as it is the second biggest town in Orissa after Cuttack. I would request the Hon. Railway Minister to visit Orissa and see the conditions prevailing there. At one level crossing in Cuttack one has to wait for 15 to 20 minuts. If one wants to go to the goods shed from Berhampur station, he has to go round for 3 to 4 miles to reach there.

In Orissa railway lines are being constructed on commercial basis. In Orissa railway facilities should be provided for the benefit of masses like other places.

No body knows when the work of doubling the track would be complete. Every time it is said that the work would be completed next year. The work be expedited.

The latrines at Bhubaneshwar Station are of European type. Indian type should latrines should be provided there.

In the end I request that some facilities should be given for the welfare of people of Orissa.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष रेलवे बजट पर चर्चा के समय जो सुझाव दिये गये थे, उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इन सुझावों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये।

इस वर्ष अपने कार्य के लिये रेलवे प्रशासन और रेलवे मंत्री को मैं बधाई देता हूं। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के समय रेलवे ने बड़ा अच्छा और सराहनीय कार्य किया है और बड़ी जिम्मेवारी निभायी है। हमारी आर्थिक प्रगति कम होते हुए भी, रेलवे ने इस वर्ष एक करोड़ टन अतिरिक्त माल ढोया है।

रेलवे ने रालिंग स्टाक, सिगनल उपकरण और वैगन बनाने के कार्य में भी काफी प्रगति की है और इन उपकरणों के लिये विदेशों में भी मंडियां खोज ली गयी हैं। यह खुशी की बात है कि एक कार्यक्रम के अनुसार 2000 से भी अधिक वैगनों का निर्यात किया जायगा। इसका मतलब है कि और प्रयत्न करने पर रेलवे विभाग केवल उपकरणों का निर्यात करके ही अपनी विदेशी मुद्रा की सारी मांग को पूरा कर सकता है।

जहां तक कार्य कुशलता का सम्बन्ध है, हमें थोड़ी सी कुशलता प्राप्त कर लेने पर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। इसमें सुधार की काफी गुंजायश है। हमें बताया जाय कि इस मामले में कुशलता ब्यूरो क्या विशेष कार्यवाही कर रहा है।

सभा में यह सुझाव दिया गया है कि सभी प्रकार के परिवहन-साधनों के बीच अधिक तालमेल रखने के लिये उन्हें एक ही मंत्रालय के अधीन रखना चाहिये। ऐसा करना बड़ी भारी गलती होगी क्योंकि अन्य प्रकार के परिवहन इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि किसी एक मंत्रालय के लिये उन सब पर ध्यान देना नितान्त असम्भव है। अन्यत्र कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। किसी भी प्रगतिशील देश में परिवहन के सभी साधन एक मंत्रालय के अधीन नहीं हैं। वास्तव में तालमेल ठीक हो और रेलवे और परिवहन के अन्य साधन एक दूसरे को ठीक से समझें। सरकार के पास सारे आंकड़े हैं। किसी उच्च स्तर पर कोई निर्णय किया जाना चाहिये। कुछ निर्णय किये जाते हैं और उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता है। यदि निर्णयों को क्रियान्वित किया जाय तो सड़क परिवहन की काफी शिकायतें दूर की जा सकती हैं। अच्छा हो यदि प्रधान मंत्री अपनी अध्यक्षता में एक छोटी सी समिति एक रेलवे के लिये और दूसरी परिवहन और उड्डयन के लिये बनाएं जो क्रियान्विति के लिये निर्णय करें और उन निर्णयों को क्रियान्वित कराने में अपने प्रभाव का प्रयोग करें। इसका सम्बन्ध रेलवे मंत्रालय से ही नहीं है लेकिन उन महत्वपूर्ण प्राधिकारों से भी है जो राज्य सरकारों के लिये कठिनाईयां पैदा करते हैं।

एक अन्य जो आलोचना की गई है वह यह है कि रेलवे बोर्ड में उच्च अधिकारी ज्यादा हैं। रेलवे बोर्ड एक ऐसा संगठन है जिसे बहुत सोच विचार करके और सावधानी पूर्वक बनाया गया था और यह सब संगठनों से अच्छा संगठन है जिसको हमने वह सभी आवश्यक स्वायत्तता और विभागीय नियंत्रण प्रदान किये हैं जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध के लिये आवश्यक है। वास्तव में जब हम डाक तथा तार बोर्ड बना रहे थे तो हम रेलवे बोर्ड का उदाहरण सामने रखते थे। यदि इस रेलवे बोर्ड की आलोचना करने वालों ने पूरी पृष्ठभूमि और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध के बारे में अध्ययन किया होता तो वे ऐसी आलोचना न करते। वास्तव में हमें इस बारे में और जांच करनी चाहिये कि सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रम और डाक तथा तार बोर्ड को रेलवे बोर्ड के अनुभव से क्या लाभ हो सकता है।

माल भाड़े तथा यात्री किराये में वृद्धि के सम्बन्ध में खेया बदला जाना चाहिये। यह वृद्धि रेलवे मंत्री और वित्त मंत्री में तालमेल न होने से भी होती है जिससे निर्धन जनता पिस रही है। सरकार को मूल्य कम करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। उनको यह नहीं भूलना चाहिये कि रेलवे का एकाधिकार है और उनकी किसी से स्पर्धा नहीं है। इस स्थिति का उनको अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिये।

[श्री हरिचन्द्र माथुर]

राजस्थान के लिये एक ज़ोन बनाना घातक सिद्ध होगा। बल्कि अधिक कुशल और योग्य सेवा के लिये एक मीटर-गेज जोन बनाया जाय और इसमें पश्चिम रेलवे और उत्तर रेलवे के कुछ भाग रखें जाए। यह गुजरात और राजस्थान दोनों के लिये होना चाहिये। मीटर-गेज जोन में जो कार्यभार है उससे भी एक पृथक जोन बनाने का औचित्य बैठता है। इससे इन उपेक्षित क्षेत्रों में जहां मीटर-गेज लाइनें हैं अधिक कुशलता से और ध्यान से काम हो सकेगा। जब पहले पहल ज़ोन बनाये जा रहे थे तब इस बारे में विचार किया गया था कि एक पृथक जोन बनाया जाय जिसका सदर-मुकाम जोधपुर में हो। इस पर पुनर्विचार किया जाय और यह मीटर-गेज जोन बनाया जाय जिसका सदर-मुकाम जोधपुर में हो।

जहां तक रेलवे परिव्यय का सम्बन्ध है, यह खेद की बात है कि रेलवे ने अविकसित क्षेत्रों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। पिछले तीन वर्षों में रेलवे का परिव्यय 314 करोड़ रुपये से घट कर 282 करोड़ रुपये रह गया है और अब यह और घट कर 225 करोड़ रुपये रह गया है। यह धन भी केवल धनिकवर्ग के क्षेत्रों पर खर्च किया जाता है। मेरा सुझाव है कि कुल परिव्यय का कम से कम 30 प्रतिशत अविकसित क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाय। आबू रोड से सिरोहा तक एक रेलवे लाइन बनाई जाय।

अविकसित क्षेत्रों में रेलवे अधिक किराया वसूल कर रही है। इस बारे में सारी मानसिक अभिवृत्ति को बदलना होगा।

पहले रेलवे प्रशासन में देश के प्रतिभाशाली व्यक्ति आया करते थे और रेलवे बड़ी योग्य सेवा मानी जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। रेलवे में ऐस भी व्यक्ति हैं जो अपर डिविजन क्लर्क भर्ती होते हैं अपर डिविजन क्लर्क ही रिटायर हो जाते हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनकी पदोन्नति नहीं होती है। पदोन्नति के लिये अवसर भी नहीं है। अन्य विभागों की तुलना में उन्हें बहुत अधिक इन्तजार करना पड़ता है। रेलवे में समूची सरकार के आधे से अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं। इस प्रश्न की जांच की जानी चाहिये। अन्यथा इस सेवा में कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ जायेगा और इसमें योग्य व्यक्ति आना नहीं चाहेंगे।

मुझे आशा है कि रेलव प्रशासन इन सभी समस्याओं की ओर उचित ध्यान देगा।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों की तुलना में रेलवे ने देश में प्रगति की है। लेकिन देखना यह है कि कितनी प्रगति की है, किस लागत पर की है और किस गति से प्रगति की है। 1950 में जब पूंजी प्रभार 827 करोड़ रुपये था तब रेलवे 54,000 किलोमीटर जाती थी और 1965 में जब पूंजी प्रभार बढ़ कर 2400 करोड़ रुपये हो गया तो रेलवे केवल 57,600 किलोमीटर जाती है। जब कि इस अवधि में पूंजी प्रभार में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है--मार्ग की लम्बाई में केवल 7 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है।

जहां तक रेलवे स्टेशनों का सम्बन्ध है, 1950 में लगभग 5500 रेलवे स्टेशन थे और 1965 में उनकी संख्या लगभग 6900 हो गई। इस प्रकार इसमें केवल 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह संख्या देश में 85 गांवों के लिये एक स्टेशन बैठती है और हर 57 वर्ग किलोमीटर लाइन के लिये एक किलोमीटर लाइन। देश में रेलवे की यह स्थिति है।

केरल और मद्रास राज्यों की स्थिति से पता चलता है कि रेलवे ने अधिक प्रगति नहीं की है। रेलवे उद्योगों की तरह ही पिछड़ी हुई है। केरल की अधिक उपेक्षा की गयी है। और मालाबार क्षेत्र की तो बहुत ही उपेक्षा की गयी है। केवल केन्द्र ही नहीं बल्कि स्थानीय सरकार भी मालाबार के साथ विमाता का सा व्यवहार कर रही है। पिछले बीस वर्षों में मालाबार में एक-मार्ग-मील भी लाइन नयी नहीं पड़ी है। इस क्षेत्र के लोग बराबर नीलम्बर-शोरानूर लाइन पर मेलायूर से वेस्ट कोस्ट लाइन पर फेरोक तक एक लाइन बनाने के बारे में कहते रहे हैं। यह लाइन केवल 35 मील लम्बी है। सरकार ने

अभी तक इसको नहीं बनाया है। यदि यह लाइन बिछा दी जाय तो इससे प्राकृतिक तथा मूल्यवान पदार्थों जैसे टिम्बर, रबड़, चाय, काफी, नारियल, फल आदि से भरपूर इस क्षेत्र का लाभ उठाया जा सकेगा। इससे टिम्बर वन क्षेत्र का विश्व में दूसरे बड़े टिम्बर यार्ड, कल्लाई से सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा। बारह वर्ष पहले रेलवे मंत्री ने आश्वासन दिया था, कि इस लाइन को दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया जायगा लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बाद में केरल सरकार ने इसको प्राथमिकता सूची में चौदहवें स्थान पर रखा। अब यह पता लगा कि स्थानीय सरकार ने इस लाइन को प्रस्तावित नई लाइनों में शामिल ही नहीं किया है। इस बारे में केन्द्रीय सरकार को ध्यान देना चाहिये। इस लाइन के बन जाने पर मौजूदा लाइनों की आय भी काफी बढ़ जायेगी।

तिरूर टाउन के व्यस्त और केन्द्रीय भाग में रेलवे लेवल-क्रासिंग के स्थान पर एक उपरी पुल बनाया जाना चाहिये क्योंकि लेवल-क्रासिंग से वहां काफी कठिनाई होती है। यहां पर पुल बनाने में लागत भी काफी कम होगी।

मालाबार में अरब सागर तट पर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापार केन्द्र पोन्नानी को मुख्य लाइन से जोड़ा जाना चाहिये।

रेलगाड़ियों का समय और हाल्ट मालाबार की जनता के लिये सुविधाजनक नहीं है। वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस गाड़ी का कालीकट पहुंचने का समय सायंकाल 6-30 बजे से बदल कर आधी रात का समय करना अन्याय होगा। इसका समय नहीं बदला जाना चाहिये। यह गाड़ी तिरूर में भी ठहरनी चाहिये। इस स्टेशन से पान और ताजी मछली के निर्यात से ही हजारों रुपये की आय हो सकती है। इससे एरनाड और तिरूर तालुकों को भी लाभ होगा।

यह आवश्यक है कि सभी तेज रफ्तार गाड़ियां महत्वपूर्ण मछली केन्द्रों, तनूर और परप्पानानगाडी पर रुकनी चाहियें।

पिछले बीस वर्षों में केरल में क्विलोन से एरनाकुलम तक केवल एक मीटर गेज लाइन बनायी गयी है। केरल में उसके आर्थिक विकास के लिये और लाइनें बनायी जांय और वहां पर अधिक यात्री सुविधाएं दी जाय। बोदीनैकानूर से कोचीन तक एक लाइन बनाना बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे मदुरे क्षेत्र से कोचीन क्षेत्र की दूरी काफी कम हो जायगी और यात्री तथा माल यातायात में काफी वृद्धि होगी।

पिछले बीस वर्षों में मद्रास राज्य में मनमादुरे से विरुदुनगर तक केवल एक ही लाइन पूरी की गई है और वह भी काफी देर से। मद्रास में अधिकांश रेलवे लाइन मीटर गेज हैं। इससे राज्य के आर्थिक विकास में बाधा पड़ रही है। इनको बड़ी लाइन बनाया जाना चाहिये। इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

ताम्बरम और विल्लुपुरम के बीच रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने में लगभग दस वर्ष लग गये फिर भी इससे अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। इस लाइन को दोहरा किया जाना चाहिये।

मद्रास-बंगलौर लाइन पर पेन्नामबूर को मद्रास राज्य से मिलाया जाय। वेनियामबाडी में एक ऊपरी पुल अथवा उप मार्ग बनाया जाय।

बड़े पुराने स्टेशन अम्बूर की मरम्मत की जाय और उसको आधुनिक बनाया जाय। मद्रास-बंगलौर लाइन पर विशेषत: वेलाथुर में दुर्घटनाओं में ग्रस्त व्यक्तियों को शीघ्र क्षति पूर्ति दी जाय।

दावों को निपटाने और भुगतान करने में काफी विलम्ब हो रहा है। एक वर्ष पहले वेलाथूर में उचित सिगनल व्यवस्था न होने से एक युवक की मृत्यु हो गयी थी और वह मामला अभी अधर में ही लटका हुआ है।

[श्री मुहम्मद इस्माईल]

क्रोमपेट स्टेशन और मद्रास-ताम्बरम सबर्बन लाइन पर सुधार की आवश्यकता है। इसके ऊपर की छत को और बढ़ाया जाना है। गर्मियों में और बरसात में यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। स्टेशन तक जाने वाली सड़क भी छोटी है और इस पर कीचड रहती है। थोड़ी सी वर्षा होने पर ही इस सड़क पर चलना कठिन हो जाता है।

जो जो काम माननीय सदस्यों ने बतायें हैं उनको करने से ही दक्षिण राज्य देश के अन्य भागों के समान उन्नत हो सकते हैं।

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : एम० बी० बी० एस० चिकित्सा अधिकारि यों को द्वितीय श्रेणी में शामिल करने के लिये मेरे द्वारा गत वर्ष दिये गये सुझाव को कार्य रूप दिये जाने के लिये रेलवे मंत्रालय को बधाई देता हूं।

[श्री शामलाल सर्राफ पीठासीन हुए]
[SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

परन्तु समान काम करने वाले लाइन्सेस प्राप्त डाक्टरों को वह मान्यता प्रदान नहीं की गइ है। 15 से 20 वर्ष तक काम करने वाले लाइसेंस प्राप्त डाक्टरों को भी यह लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है। अत: मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले पर फिरसे विचार करे क्योंकि वे डाक्टर भी वही काम करते हैं जो एम० बी० बी० एस० डाक्टरों द्वारा किया जाता है।

रेलवे ने बहुत अच्छे अस्पताल बनाये हैं जिस के लिये वह बधाई का पात्र है। इन अस्पतालों में उन्होंने विशेष डाक्टर भी रखे हैं। परन्तु पदोन्नति होने पर वे डी० एम० ओ० बनाये जाते हैं न कि विशेषज्ञ (स्पेशलिष्ट)। विशेष अर्हता होने पर भी वे विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त नहीं किये जाते हैं। इस लिये मैं चाहता हूं कि रेलवे सेवा में विशेषज्ञों की एक विशेष पदावलि बनाई जानी चाहिये। यदि यह सेवा बन जायेगी तब वे डाक्टर डी० एम० ओ० बनने के लिये झगड़ा नहीं करेंगे। दूसरे डी० ए० मो० के स्थान भी कम ही होते हैं। उन स्थानों में वृद्धि भी नहीं की जा सकती है। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि शल्य चिकित्सा विभाग, चिकित्सा विभाग तथा अन्य विभागों में विशेषज्ञों की विशेष पदावलि अवश्य बनाई जानी चाहिये। ऐसा हो जाने से उनकी कोई शिकायत नहीं रहेगी और वे अपना काम भी दिल लगा कर करेंगे।

तीसरी बात मैं रेलवे बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूं। इस समय रेलवे बोर्ड में इंजीनियरी तथा अन्य शाखाओं के विशेषज्ञ तो हैं परन्तु चिकित्सा विभाग का कोई विशेषज्ञ नहीं है। चूंकि चिकित्सा विभाग में काफी विस्तार हो गया है इस लिये अब समय आ गया है कि रेलवे बोर्ड में चिकित्सा विभाग का सदस्य लिया जाये।

मेरा अगला प्रश्न यह है कि परिवहन के विकास के लिये राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश के उत्तरी खण्ड में रेल संचार का विस्तार किया जाना चाहिये।

हमारे बेलाडिल्ला–बस्तर क्षेत्र का बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। कहीं कहीं पर तो 200 और 250 मील के क्षेत्र में रेलवे लाइन नहीं है। उस क्षेत्र में खनिज संसाधन, लौह अयस्क, अभ्रक तथा अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं परन्तु परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है।

दिल्ली, राजाहारा तथा जगदलपुर को मिलाने वाली रेलवे लाइन का अवश्य निर्माण किया जाना चाहिये। इस के बन जाने से उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र से मिल जायेगा। इस तरह उस क्षेत्र का विकास तेजी से किया जा सकता है जहां सीमेंट, इस्पात तथा अल्यमिनियम कारखानें खोले जा सकते हैं। इस से दंडकारण्य क्षेत्र का विकास करने में भी सहायता मिल सकती है।

मध्य प्रदेश के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है। वहां मंडला क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बिलासपुर को मंडला से मिलाने के लिये रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिये। मैंने यह सुझाव दो वर्ष पहले भी दिया था। इस से महत्वपूर्ण परन्तु अविकसित क्षेत्रों का विकास हो सकेगा।

एक शिकायत प्राय: यह की जाती है कि महत्वपूर्ण जंक्शनों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर ऊपरी अथवा निचले पुल न होने के कारण यातायात में काफी बाधा पड़ती है। यह कठिनाई केवल इस लिये है क्योंकि परिवहन विभाग तथा रेलवे के बीच समन्वय नहीं है। केवल यह कह देना कि राज्य सरकारें सहयोग नहीं दे रही है ठीक नहीं है। इस मामले में रेलवे की अधिक जिम्मेदारी है। इस लिये मैं सुझाव दूंगा कि रेलवे को इस काम के लिये अतिरिक्त धन रखना चाहिये ताकि जब कभी कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे दूर किया जा सके। रेलवे मंत्रालय तथा परिवहन मंत्रालय को समन्वय से काम करना चाहिये। जब कभी ऊपरी अथवा निचले पुल बनाये जाने हों तो रेल-एवं-सड़क पुल बनाया जाना चाहिये ताकि दोनों प्रकार का परिवहन बिना कठिनाई के चल सके। हंसदेव में रेल-एवं-सड़क पुल अवश्य होना चाहिये।

कुछ सदस्यों ने भोजन व्यवस्था का भी उल्लेख किया था। मेरे विचार से भोजन व्यवस्था के लिये राष्ट्रीय नीति अपनाई जानी चाहिये। यह काम या तो रेलवे को ही अपने हाथ में ले लेना चाहिये और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें इस गैर-सरकारी ठेकेदारों को सौंप देना चाहिये।

तीसरे दर्जे के यात्रियों की दशा दयनीय है। मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक गाड़ी में कम से कम दो तीसरे दर्जे के डिब्बे होने चाहिये। यदि सरकार अधिक लाइने नहीं बिछा सकती है, यदि वह अधिक गाड़ियां नहीं चला सकती है, तो कम से कम वह गाड़ियों में तीसरे दर्जे के अधिक डिब्बे तो लगा सकती है।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि दर्जे उड़ा दिये जाने चाहिये। परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मेरे विचार से दो दर्जे होने चाहिये। उच्च तथा निम्न। इन दोनों दर्जों में उचित सुविधायें दी जानी चाहियें।

अब मैं कुछ बातें रोजगार के बारे में कहना चाहता हूं। आजकल तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारी बाहरसे ले लिये जाते हैं। मेरा यह सुझाव है कि इन पदों पर स्थानीय लोगों को वरीयता दी जानी चाहिये। कम से कम 80 प्रतिशत लोग तो अवश्य ही स्थानीय लोगों में से लिये जाने चाहियें।

वरिष्ठ निरीक्षक अधिकारियों तथा ठेकेदारों के बीच कुछ कठिनाइयां हैं। मैं ने रेलवे मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि इस के परिणामस्वरूप काम में गिरावट आ गई है। बिलासपुर में दोनों के बीच सहयोग न होने के कारण काम बन्द करना पड़ गया था। ऐसे मामलों में रेलवे को शीघ्र कार्यवाही आरम्भ कर देनी चाहिये। ताकि सामान्य रुप से कार्य आरम्भ हो सके।

अन्त में मैं रेलवे मंत्रालय को, जो उस ने इतना अच्छा कार्य किया है, उसके लिये बधाई देता हूं।

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur) : I congratulate the Railway Administration for what they have done for the development of Railways since Independence. The whole set up of Railway was very defective before 1947. But now improvement have been made in every direction. Platforms have been constructed at most of the stations and many new railway trains have also been introduced. But at the same time I also want to make it clear that improvements have been made only at big stations and backward areas have been totally ignored. Railway lines have not been laid where they were not laid previously. For example the railway line of Kaunch, Jalaun and Urai has not so far been connected though survey work was already completed. Another line from Sumerpur to Harpalpur has also not been constructed though an assurance was given by Shri Jagjivan

[Shri M. L. Dwivedi]

Ram and Shastriji also. There are so mony other lines which have been left incomplete. I wish that their construction should be completed without further delay.

The doubling work of railway lines is going on in our country for the last ten years. New shades are also being constructed at the Railway stations. I think that this work should be postponed for some time and instead new trains introduced. I think that trains and express trains should be introduced only on such lines where they are not running at present. In Jhansi-Manikpur section there is no express train. I think that Toophan Express should go to Howrah *via* Gwalior, Jhansi, Manikpur and Allahabad so that this backward area may also be covered.

Shri Shahnawaz Khan had given an assurance in this very House that eight new Janta trains will be introduced. But since the new Minister has taken over the charge. so different trains have been introduced. I wish therefore that the Railway Ministry should fulfill the assurances given by any Minister.

No express train goes to Bombay *via* Jhansi while there are many which go *via* Kanpur barring Punjab Mail or Howrah Mail which run with a difference of 12 hours. In Central Railway there is no Janta Express train. I would therefore request that an express train for Bombay *via* Jhansi must be introduced.

I also want to draw the attention of the House towards corruption that is prevalent in the Railways. Take for example the case of reservation of sleeper coaches. If you go to reserve a third class sleeper coach you cannot reserve it with out giving a bribe to the Railway employee because he will say that there is no birth available. I have already drawn the attention of the Railway Administration towards it but no head has been paid. Therefore the Hon. Minister should take severe action in the matters.

Now I come towards pilferage of railway property. In this connection I would like to say that railway employees are responsible for this and not the general public. The railway employees pilfer with the railway property and sell it to the contractors. This sort of thing should be put an end to and in stead a Supply Department should be set up which should be responsible for the purchase and supply of necessary goods required by the Railways.

The sad story is that whereas the Railways have made improvement some people of us indulge in subversive activities and thus do much harm to the railway property which is very much undesirable. This sort of thing should be stopped in future. I think that the dual Management system is also responsible for this. The Police is under the State Governments and the security arrangement is under the Ministry of Railways. There should be some compromise between the two and this work should be taken over from the States and handed over to the Railway Ministry.

Railways have not done anything for the development of goods traffic and passengers traffic. New goods trains and passengers trains should be introduced in order to attract bus and truck traffic. It will also help in reducing the consumption of petroleum. Smuggling will also be checked thereby. The income of Railways will also increase.

The running time of trains has decreased instead of increasing though an assurance was given by Shri Patil that the speed of trains will be increased. The timings of passenger trains should be so fixed that the passengers of those trains catch the main trains.

It has been seen that new Railway Zones are set up under pressure. The Government should adopt a policy to set up a zone where it is necessary from the national point of view.

I congratulate the Railways for taking over the catering arrangements. There is no doubt about it that the arrangements now are better than what they were previously.

Private caterers may supply better stuff to the Railway employees but as far as passengers are concerned they get rotten stuff. Persons of Intelligence should also go secretly and check the stuff. The arrangements should now be so made that the passengers may get things at reasonable prices.

Much attention should be paid to provide amenities and facilities where these have not been provided. New railway lines should be laid so that the rural people may feel that they are living in a free India.

The amount given to the centre by Railways should be reduced and spent for laying the railway lines in rural areas and providing facilities to the passengers.

I hope that the suggestions given by me will be put into practice and informed accordingly. If possible a separate department should be set up for this purpose.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Diesel Locomotive Workshop has been set up in my area *i. e.* Varanasi. The engines manufactured there have proved very useful. India is very much in need of marine engines. We have to spent crores of rupees in importing them from abroad. So, my demand is that we should start manufacturing these engines in that workshop and this will save foreign Exchange. We should rather manufacture all types of engines in this workshop. We are im competition with Arab Countries in regard to sailing vessels and are not succeeding in that competition. This is because they purchase an engine required for vessels from abroad at Rs. 500 while we have to spend Rs. 1,500 for the same. In case we start producing this engine in our own country we can stand competition with Arab countries.

In the Bay of Bengal there are only three open sea ports—Madras, Visakhapatnam and Paradeep. There is no railway line in Paradeep Port. I fail to understand as to how a port can prove successful without a railway line. Hence I request that Government should take immediate action in this regard.

The condition of Calcutta Port is also not very good. In order to lessen burden in this Port we should construct railway line in Paradeep Port.

I don't like the very idea of zonal system. This system has reached this state that there should be a zone for every province. This zonal system on provincial basis will prove very harmful. If at all, therefore, you want to make zones, it should be on inter-provincial zonal basis.

[Shri Raghunath Singh]

Now I want to say one or two things regarding my constituency. There should be a flag station or halt station between Babatpur and Khalispur stations on Banaras-Jaunpur line. I have been making this demand for the last thirteen years but no head has been paid to it. In case my suggestion is implemented before elections it may prove fruitful to me.

My second point is that at the Bankat halt station, which is between Lohata and Chankhandi very few trains stop. I request that more trains should stop there.

I don't think that the catering system of Railways is defective. The preparations at Madras, Howrah and Bombay V.T. Stations are very good and cheaper. I fail to understand that as to why such arrangement cannot be made at other places and meals sold at reasonable prices. Hence my request is that corrupt persons should not be kept at such places.

Shri Radhelal Vyas (Ujjain) : I know that Railways have made sufficient progress during the three Five Years Plans.

I am sorry to say that during the tenure of ten years, from 1956 to 1966, since the State of Madhya Pradesh came into being, nothing has been done there.

Again I regret to say that its capital Bhopal is not connected with other parts of the State. What to speak of new lines even express or mail trains have not been introduced there. A man who is to come to Bhopal from Bilaspur has to undergo many difficulties . So the passengers from Ratlam to Indore have to face difficulties. Some thing must be done for them.

There are certain sections in Madhya Pradesh where there is no railway line at a distance ranging from 200 to 250 miles. Our Bastar district is bigger than Kerala but there is no railway line there.

This State abounds in mineral resources. Forest wealth is also there. But all these are of no use without railways. Dr. Nagaraj Rao, a big officer in Planning Commission has personally gone to Bastar to make a survey there. According to him twenty-two big industries could be set up there as that part is rich in mineral and forest resources. But nothing can be achieved without railway line. In the absence of rail communication not only that State but the whole country is sustaining loss. I would, therefore, request that attention must be paid to this matter.

Survey should also be undertaken for the new railway lines especially from Indore to Dohad and from Khandwa to Dohad. Assurances have been given many a times but nothing has been materialised.

There are many narrow gauge lines in this State from Gwalior to Bhind, Gwalior to Shivpur etc. The speed of these trains ranges from eight to nine miles per hour. From the profit point of view also these trains are of no good. When so much is spent on these lines, and even then they do not yield profit then steps must be taken to convert them into metre or broad gauge lines. Though nothing has been done during the Three Plans, I hope that something will be done during the Fourth Plan period.

A railway line should be constructed from Jhalawar to Aggar and the narrow gauge line from Aggar to Ujjain should be converted into broad gauge line.

The necessity of express and mail trains is also very much felt there. For the last ten years no train has been introduced there. You may say that mail trains such as Calcutta Mail or Frontier Mail pass through that line but it is not of much use for us. It does not serve our purpose. Therefore I would request that a Mail train and an Express train must be introduced there.

An express train from Ahmedabad to Bhopal *via* Anand must also be introduced.

Another express train from Bhopal *via* Veena, Katni and Bilaspur should also be introduced.

The construction work of 'Guna-Maksi' railway line should be done expeditiously.

The speed of the trains should also be improved.

In a train going to Bilaspur, sleeper coach is attached from Bhopal while it should be attached from Ujjain so that the people of Ratlam may also enjoy this benefit.

Mr. Chairman : You could give your suggestions in writing.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : First of all I want to draw the attention of hon. Minister to the third class passengers. These people have to fact many difficulties while travelling in Railways. Government should pay more attention to this and provide more amenities. There should not be any air-conditioned coaches instead there should be only two classes. The passengers of third class should be provided more facilities.

I understand that guards are transferred after a very short duration. It should not be done.

The private contractors do not provide good service. The stuff served is also not good. At some stations these people have got monopoly and do whatever they like. This tendency should be checked.

Then there is large scale pilferage on Delhi station. It causes considerable loss. Steps should be taken to check pilferage. I have noticed that the guard's coaches are generally in a very bad shape. It should be improved. The passenger coming from Kotah by Dehra Dun Express are put to great inconveniences because there are no arrangements for meals. Necessary arrangements should be made at Sawai Madhopore. The T.T.Is should be brought at par with running staff. The Railway staff should be provided more accommodation facilities. The conductors should be posted in first class coaches.

Shri Balmiki (Khurja) : The Railways have played a vital role in the economic development of our country. I congratulate hon. Minister for this. I want to bring to his notice this also that at lower ranks of administration there is corruption also.

The Railways have done their duty very magnificently during the August-September 1965 Conflict. The existing railway line should be extended to Kashmir. It will be very helpful from defence point of view.

[Shri Balmiki]

We have different types of transports. There should be good coordination in different modes of transport. It will be in the interest of our economy. Efforts should be made to improve the working of other modes of transport also.

I am sorry to say that the scavengers are paid proper care. Their grievances are redressed by Railway authorities. They have formed unions but it is a pity that Railway officials do not hear their complaints. I want hon. Minister should look into this personally.

I have learnt that the posts which are reserved for scheduled castes and scheduled tribes people are not filled from among persons of these castes. In this way these people are not benefitted. This is the case in all Departments. I draw the hon. Minister's attention and request him to introduce improvements and redress the grievances of these people. I know that highly qualified people belonging to scheduled castes are doing menial jobs.

The class IV employees are allotted accommodation but it is not adequate. Their quarters are built at very dirty places. Carrying of garbage in hand should be done away with. Railways should evolve such machinery that may help the sweepers. There is lot of corruption in sanitary staff of Railways. As a result the sanitary conditions on Railway stations are very bad. The class IV employees are subjected to great hardship for no fault of theirs. The Ministry should take proper care of all this.

The district of Bulandshahr is fast developing so far industries are concerned. I want that all railway facilities should be provided there. The line from Delhi to Hapur should be doubled and more trains should be run on this line.

There is great over crowding in trains. The number of third class coaches should be increased. It will ease the situation. The behaviour of Railway Police is not good. They should be instructed to behave properly. The class distinction in coaches should be abolished immediatly.

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : Sir, I want to draw the attention of the hon. Minister to the North Bihar area. There has not been any improvement there since the dawn of independence. The coaches of trains of that area are generally old and in worn out condition. I request that coaches in good condition should be put in service.

A railway line should be laid between Muzaffarpore and Sunvarsae *via* Sitamarhi. There is no connection with Assam Mail of North Bihar area. An express should be introduced from Narkatiganj and Samastipur. The catering arrangements in Assam Mail should be improved. This service is not good at Patna, Kanpur stations. Things should be improved. The Parsouni station should named after the name of Thakur Ramnandan Singh. He was a great patriot. The Sitamarahi station is in bad shape. Necessary improvements should be made there. An express train should be rum between Sitamarhi and Muzaffarpore.

No action is taken on complaints with Railway authorities. I request the hon. Minister to look into this.

Shri Buta Singh (Moga) : Mr. Chairman, I am thankful to you for having given me this opportunity to speak.

Sir, almost daily we receive several complaints from railwaymen and officers against Railway Administration. I am glad that the response of hon. Minister of Railways, Dr. Ram Subhag Singh on these individual cases is very sympathetic, but he has not been successful in meeting the demands of railwaymen because of the wrong reports submitted by the concerned railway authorities. We have to deal with Northern Railway mainly. I meet sometime the General Manager also. His response is also good and he helps us.

When we consider the working of Railways, particularly the Northern Railways, we feel that these demands for grants in respect of Railway should not be sanctioned, because there is no improvement in the working. The old practices of British time are still continuing. Majority of passengers travel by third class. There is no improvement in this class. We travel by first class but if you see the condition of passengers in third class, you would find that it is worse than hell. People do not have room for sitting even. I know that many people are not traffic minded. They do not care for fellow passengers. They carry heavy luggage with them and cause inconveniance to others. All this apart, the treatment meted out by the Railway authorities to passengers of third class is not good. If Railway administration cannot provide sitting accommodation, it has no right to issue ticket. Some coaches are in very deplorable condition and are not worth sitting. They are generally over crowded and people have to travel on foot boards which causes many deaths.

Once I was coming from Punjab. There is a small station Phillaur. Trains stop there for a very short duration. There was a lady rushing towards station. She was with two children. She wanted to board the train. I was on the platform and requested the Guard to give a little margin so that that the lady could board the train, but he did not care. That lady threw her children into the train and while boarding she fell down. Her one leg was crushed under the wheel of train. It was at this time that the train was stopped, but it was of no use because that lady had died. Nobody looked after her children at the Railway Platform, but it is said that there is Railway Staff for such eventualities along with running trains.

In the second class compartments those Railway employees travel who are issued free passes. They do not allow others to enter theses compartments. In first class the cabin system is of no use. These cabins are very unhygenic. I mean to say that the money sanctioned by Lok Sabha should be utilised for the amenities of passengers—particularly passengers of the third class.

As I indicated, we have come across some such cases on Northern Railway which show that there are people, whose way of thinking and working is very dangerous and harmful. There is no doubt that the Railways have done their duty very remarkably during the conflict with Pakistan. The people of Punjab and the Railway employees of that area served the army people and civilians very admirably. This Parliament is thankful to them. I have been informed that some old and out moded coaches of Pakistan have been retained here in India and some new and overhandled coaches belonging to India have been sent to Pakistan during the days of conflict with Pakistan. It has been done under the garb of some previous agreement between the two countries under which some coaches were exchanged with that country. I want that an enquiry should be conducted into all this and resposibility should be fixed, if someone is guitly.

[Shri Buta Singh]

I am constrained to say that unfortunately on the Ferozepur Division of Northern Railway some officers have been posted whose treatment towards the people of Punjab if I say Sikhs, they would object that they may be called Indians—working in Loco shed at Ferozepore is that of injustice. I have identified these people because, they are subjected to injustice. I would like that this matter should be inquired into. Sikh chargemen are transferred because they are hated by their superiors. I do not want to name any officer. Sikhs are meted out very bad treatment.

Mr. Chairman : There is no use generalising in this way. If there is a particular case, you can bring it to the notice of the hon. Minister.

Shri Buta Singh : If you want I can send dozens of cases to the Hon. Minister We are proud of the role played by these people in development work of our country. Dr. Sahib, I am sure, has got sympathy for them and would enquire into this.

Now I want to say something about stations on main lines. You start from Amritsar and come to Delhi and you would find that there is no retiring room at any station. This state of affairs could exist during British rule but our own Government has also done nothing in this regard. Ludhiana is an international business centre. The machinery manufactured there is exported to U.S.A., Canada and Japan. India should be proud of this achievement, but there is no retiring room or good restaurant....

Dr. Ranen Sen (Calcutta East) : Which are other places where it is not.

Shri Buta Singh : It is neither at Amritsar, nor at Pathankot nor at other big stations of Punjab. I want that Dr. Ram Subhag Singh should pay attention to this. Ludhiana is a very important station. It can be a centre of second line of defence, if you see it from defence point of view. It has another big problem which has already been brought to the notice of Railway Ministry by us and by the citizens of Ludhina. This is congestion of traffic on G.T. Road Railway line level crossing. During the last conflict with Pakistan P.W.D. authorities have constructed a by pass to facilitate the military traffic, but the general public is experiencing great difficulty. I request the hon. Minister that an over-bridge may be constructed there. It will be beneficial not only to the citizens of Ludhiana but to the people of whole Punjab.

My constituency Moga covers areas of Districts of Ferozepore and Bhatinda. It is a border area and is the most fertile area. This area can be called the best area of the country in respect of production of foodgrains. This area is connectd with main railway lines by branch lines. The timings of trains of main lines are not suitable. Previously the Flying Mail was called Amritsar-Punjab mail. Now its name has been changed. I suggest that its old name should be revived. This will give importance to Amritsar city. It is our sacred place and city of our Gurus. Large number of tourists come from outside to see this city. People coming by branch line trains generally miss this train because there is only five minutes interval between coming of those trains and starting of this train. This difficulty should be removed. I want that the hon. Minister should consider this sympathetically.

I thank you for this opportunity of giving me time to speak.

Shri Chandramani Lal Chaudhry (Mahua) : Sir, I support these demands of Railways. Our Railways have done wonderful progress during these years

of independence. We are almost self sufficient in this respect. The credit for all this goes to able guidance of our efficient Ministers. The opposition people do not realise this.

I think that we should welcome constructive criticism. Beside this we should appreciate Railways achievements. There is great improvement in the working of Railways now.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The opposition Parties should cooperate with the Government. The Government is there to help the public. I know as to how nicely these people behave ? We should be polite in our dealings. The Railways authorities deserve congratulation for their performance during the Indo-Pak. conflict. We should name our Railway stations after the names of our great heroes. In this way we can pay Tribute to their memory. Suhasram and Ara stations should be changed to Babu Kawar Singh stations.

We should appreciate the work done by officials and not always criticise them. Railway authorities should ensure safety of passengers. The Harijans have been given due protection under our Constitution. The Railway administration should provide educational facilities to the children of its employees.

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। मेरा विचार यह है कि रेलवे प्रणाली, आज देश की प्रगति का प्रतिक बन गयी है। अच्छी रेल्वे प्रणाली, उचित संचार और यातायात के अच्छे साधन देश की प्रगति के चिन्ह माने जाते हैं। इसी के द्वारा देश सामाजिक क्रान्ति की ओर बढ़ता है। रेलवे की यात्रा करते समय सभी प्रकार के साम्प्रदायिक भाषायी तथा राज्यों के भेदभाव महत्वहीन हो जाते हैं। और देश की एकता के नज़ारे दिखाई देने लग पड़ते हैं। धन के भेद भाव जरूर दिखाई देते रहते हैं।

मैं यह नहीं कह सकता कि तीसरे दर्जे में सुधार नहीं हुआ है। सुधार हुआ है और लम्बी दूरी के लिये सोने के स्थान पहले ही सुरक्षित किये जा सकते हैं। ऐसी बातें पहले कभी सुनी भी नहीं गयीं थीं और अंग्रेजों के दिनों में इसके बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता था। निस्संदेह अब भी रेलों पर भीड़ है परन्तु सभी यात्री यह बात मानेंगे कि भीड़ पहले की तुलना से कम है।

भोजन व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस बारे में सब को सन्तुष्ट कर सकना संभव नहीं। परन्तु सफाई रखना बड़ा जरूरी है। रेलों पर भोजन देने वाले कर्मचारियों के वस्त्र साफ होने चाहिये। जो लोग गन्दे कपड़े पहन कर यह कार्य कर रहे हों, उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। वारंगल में तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये पर्याप्त विश्रामालयों अथवा प्रतीक्षालयों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये।

मैं इस बात की ओर भी सभा का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि भारतीय रेलें शायद विश्व में सब से धीमी चलती हैं। गाड़ियों की आम रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में रेलों ने कुछ कार्य किया है। आशा है कि निकट भविष्य में समय और भी कम हो जायेगा। यह भी एक सराहनीय बात है कि हैदराबाद से दिल्ली तक एक विशेष रेलगाड़ी की व्यवस्था की जा रही है। आशा है कि इस रेलगाड़ी को चालू किया जायेगा और इस मामले को मुल्तवी नहीं किया जायेगा।

श्री मुत्तु गौंडर (तिरुपत्तुर) : मैं रेलवे मंत्री की इस बात के लिये धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि जोलारपेट पर वृन्दावन एक्सप्रैस गाड़ी को रोका जाये। वनियामण्डी चमड़े के व्यापार का एक बहुत बड़ा केन्द्र है। महत्वपूर्ण मेल गाड़ियों को यहां पर रोका जाना चाहिये। सभी महत्वपूर्ण एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ियों को मोरापुर पर रोका जाना चाहिये। तिरूपत्तूर

[श्री मुत्तु गौंडर]

और कृष्णागिरी के बीच रेलवे लाइन को फिर से बनाया जाना चाहिये या तिरूपत्तूर का बंगलौर तथा सेलम के बीच बनने वाली लाइन के साथ मिलाया जाना चाहिये ।

मैं रेलवे मंत्री का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहता हूं कि रसियापुरम् और नामक्कल होते हुये सेलम तथा त्रिचरापल्ली के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिये । ये व्यापार के बहुत बड़े केन्द्र हैं । यहां पर बड़ा माण्ड उद्योग है । रेल मंत्री को माण्ड के भाड़े में कुछ रियायत देनी चाहिये । प्रतिदिन 300 टन ममांड, अहमदाबाद और बम्बई को भेजा जाता है । वनियामपड़ी और मोरापुर स्टेशनों पर उपरिपुल की बहुत आवश्यकता है । इन के निर्माण के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये ।

भोजन व्यवस्था के बारे में मेरा निवेदन यह है कि व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल रही । भोजन विभाग द्वारा काफी के मूल्य 22 पैसे बढ़ा दिये गये हैं । मेरे विचार में इस वृद्धि का औचित्य नहीं है । मद्रास के अच्छे अच्छे होटलों में काफी 20 पैसे में मिल जाती है । कई विभाग द्वारा जो विश्रान्तिगृह ठीक प्रकार से नहीं चल रहे उन्हें बन्द कर दिया जाना चाहिये । अच्छा हो उन्हें टैण्डरों के आधार पर ठेकेदार व्यापारियों को दे दिये जायें ।

Shri Chuni Lal (Ambala) : The performance of the Railways during the Pakistani aggression is being prai sed every where in the country. Even otherwise the progress of Ministry has been manifold. Even the wives of the Railway Officers collected money for the benefit of the Jawans. As for catering I may say that passengers get beetter food stuff and more facilities under the departmental catering than under the private Contractors, arrangement. There is no doubt about it that the private Contractors definitely supplied the inferior quality of food. Therefore I am of the opinion that the departmental arrangement should continue. I may also state that at present the dining cars are attached with the trains only entertain first and second class passengers. This is not proper. These facilities should be made available to third class passengers also. In this connection the attention of the Honorable Minister should also go to this fact that there is a practice of Contractors to sublet the contract to others. This practice you will find at a number of Stations. I hope that this practice should be done away with.

Railway is manufacturing air conditioned coaches. I want to urge that in stead of that third class carriages should be manufactured. More amenities and facilities should be given to the third class passengers. I am of the opinion that if we really believe in the principle of socialism we should do away with the first class, air conditioned coaches and saloon. We must look to the interests of the crowd that we generally find in the third class.

Chandigarh is the Capital of Punjab. About Rupees 30 crores have been spent on the building of that city. But if you look at its railway station you will find, it appears to be the railway station of a small town. I submit that Chandigarh should be put on the main railway line and bigger Railway Station should also be constructed. Similarly Ambala is an important railway station, yet there is no arrangement of waiting rooms and retiring rooms. This is a very important matter and the railway should pay immediate attention to it.

I welcome the concessions that are being given to the passengers going to the Hill Stations. But I think for this the people of the hill areas should not be asked to bear that burden. They should not pay more for travels,

I find the ticket checking staff have to face sometimes some difficulties. Some protection should be given to the ticket checking staff. They are many a time obstructed in the discharge of their duites. Coolie is an important part of the system. I would urge the railway administration to do something for the welfare of these coolies.

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : I am really very glad that honourable members numbering about 40 have taken part in this debate. I may state that we are doing adquately for these coolies. At the same time Railway administration is aware of the difficulties of the third class passengers. There is a great anxiety to see that more and more facilities are provided to the third class passengers. We are continuing our efforts in this direction.

We are also very anxious to see that new lines are constructed. The Ministry of Railways fully share this anxiety of members that new railway lines should be provided in the backward areas. This is very a reasonable and the Government are doing their bit in this direction.

Let me state that in the Third Plan period Rs. 206 crores are spent on the provision of new lines. The strategic lines are included into it. For the Fourth Plan, a sum of Rs. 161 crores is proposed to be made available for that purpose. The suggestion has been that an allocation of Rupees 300 crores should be made for that purpose. Out of that amount 30 per cent should be utilized for new lines in undeveloped and under developed areas should be considered. The Railway Minister is seeking a longer allocation for new lines in the Fourth Plan.

It has been stated by Shri P. K. Dev that efficiency on the South Eastern Railway have gone down but statistics will show that this is not the situation. I feel that criticism in this way is not justified. As have been asked by the members a direct Coach from Delhi to Bhubaneshwar is being attached to the Assam Mail. This train is very fast train. There has been complaint regarding the sale of tickets at Barauni will be looked into.

The overcrowding has been referred by Shri, Das. It has been stated that there is too much overcrowding in the metre gauge trains in the North Eastern region. This can be true, it should be noted in this connection that tremendous passenger traffic during the Sonepur fair and Kumbh Mela is handled without a single untowards incident. This is also not correct to say that new trains are given mostly on the broad gauge. There are figures which clearly show that a number of new trains have been started on the metre gauge also during the past years. The Government are aware that a lot of work is still to be done to reduce the overcrowding in trains that we see today.

Complaints regarding difficulties experienced by class IV employees in getting medicines from Railway hospitals will be looked into. In this connection it should be remembered that the railways do not charge anything for the medical aid provided to the families of the employees getting less than Rs. 180. As regards the specific cases regarding acceptance of bribe by railway employees, which are pointed out, let me state that immediate action will be taken in that regard. We are also considering a suggestion for providing more railway lines in Madhya Pradesh very seriously.

[Dr . Ram Subhag Singh]

There has been also a suggestion that marine engines should be manufactured by the Railway in the Diesel Loco Workshop at Varanasi. This will be thoroughly examined. As regards the Kharagpur School as stated by Shri Hansda that there are boys of the railway employees receiving education. For this, the railways are prepared to provide a suitable plot for the school at a place which may be convenient from the railways point of view.

Now, I will speak in English.

यह सुझाव दिया गया है कि रेलवे बोर्ड के सदस्यों में एक चिकित्सा विशेषज्ञ होना चाहिये, इस बारे में यह अनुभव किया जाना चाहिये कि यदि रेलवे बोर्ड में सभी वर्गों के प्रतिनिधि होंगे तो वह बहुत बड़ा हो जायेगा । तिरूनेलवेली-त्रिवेंद्रम-कन्याकुमारी रेलवे लाइन को सर्वेक्षण कर लिया गया है और इस परियोजना की जांच की जायेगी । तिरूनेलवेली स्टेशन के निकट उपरि पुल के बारे में मद्रास के मुख्य मंत्री ने मुझे बताया है कि वह उसे योजना में शामिल कर के हमें भेजेंगे । हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

यह कहना ठीक नहीं है कि रेलवे वर्कशापों में दुर्घटनायें बढ़ रही हैं । आंकड़ों से पता चलेगा कि यह दुर्घटनायें धीरे धीरे कम हो रही हैं । 1960-61 में एक हजार कर्मचारी होने पर 64.1 दुर्घटनायें हुई और 1964-65 में यह संख्या घट कर 44.5 हो गई है । परन्तु हम संतुष्ट नहीं हैं और दुर्घटनाओं की दर और कम करने के लिये उपयक्त पुर्वोपाय करेंगे । रेलवे प्रशासन स्वयं इस बात का ध्यान रख रहा है कि अनुसन्धान, डिज़ायन और प्रमाप संगठन में सुधार करने के लिये प्रत्येक कार्यवाही की जाये और वह उस संगठन के कार्यकलाप बढ़ाना चाहता है ।

रेलवे कर्मचारियों की आवास की आवश्यकताओं की प्रति रेलवे मंत्रालय जागरूक है । तीसरी योजना के दौरान प्रति वर्ष रेलवे क्वार्टरों में लगभग 14,000 की औसत वृद्धि होती रही है । परन्तु मंत्रालय उस प्रगति से संतुष्ट नहीं है । जैसे ही वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, और प्रयत्न किये जायेंगे ।

त्रिवेन्द्रम तथा कन्याकुमारी के बीच एक रेलवे लाइन बिछाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया है और आशा है कि इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त हो जायेगा ।

जहां तक श्री वारियर तथा मणियंगडन के इस सुझाव का सम्बन्ध है कि एरनाकुलम् और क्विलोन के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाये, इस बारे में कुछ तकनीकी कठिनाइयां हैं और इस सारे मामले पर विचार किया जा रहा है ।

होसपेट से गुन्टकल तक एक अलग बड़ी लाइन बिछाई जायेगी जिसकी आवश्यकता पर सदस्यों द्वारा जोर दिया गया था । जहां तक इस लाइन को मिराज तक आगे बढ़ाने का संबंध है, उस पर विचार किया जायेगा ।

नयागढ़ तथा तोमका/दाइतरी लोह अयस्क क्षेत्रों से होकर बन्सपाणी से परादीप बन्दरगाह तक एक नई बड़ी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में दक्षिण-पूर्व रेलवे ने इंजीनियरिंग तथा यातायात सम्बन्धी एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया है । सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्टों पर रेलवे बोर्ड इस समय विचार कर रहा है ।

जहां तक भोजन व्यवस्था का सम्बन्ध है, इस बारे में कुछ कठिनाई जरूर रही है किन्तु हम भोजन व्यवस्था का स्तर सुधार में अवश्य प्रयत्नशील रहेंगे ।

It has been suggested that bridges which are constructed should be rail-*cum*-road bridges. This involves a number of difficulties particularly when there is emergency, however, the Railways will see that as far as possible we have rail-*cum*-road bridges.

As regards complaints and grievances of various categories of employees particularly at lower levels, the matter requires a detail study and careful examination and these matters will receive our attention.

As the Railway Minister announced in both the Houses, suitable memorials and plagues will be created in memory of those railway employees who were killed during the recent Indo-Pak conflict. The Railway administration will also take steps to do something to perpetuate the memory of these who laid down their lives in the 1942 freedom struggle.

Complaint by Shri Buta Singh regarding the exchange of wagons between India and Pakistan will be enquired into.

Shri P. G. Sen (Purnea) : Mr. Deputy Speaker, Sir I am grateful to you for giving me an opportunity to speak on the supplementary demands for grants-Railways.

The Railways have made a remarkable progress and the Railway administration deserves congratulations for their performance.

The proposal to close Alinagar Tala halt station is most unjustified. It will be a grave injustice to the people of this area, if the proposal for its closure is implemented. The hon. Minister should look into the matter and the station must not close.

I would like to suggest that the Katihar-Barauni section should be converted into broad gauge. The distance that is to be covered by broad gauge line in this section is 110-12 miles only. If this is done, we will have a direct broad gauge line from Delhi to Assam. More trains should be provided on this section. The Assam Mail should have a larger number of bogies to meet the rush of passengers and it should be operated by a diesel engine.

Three tier sleeper coaches are now more popular with passengers than the two tier sleeper Coaches. We should have more of such coaches and they should be provided in as many trains as possible.

At Katihar, we have two stations, broad gauge station and metre gauge station and the distance between these two stations is one and a half mile. It causes much inconvenience to the passengers. Efforts should be made by the Railway administration to see that these two stations are connected.

The North Eastern Railway employees who have been absorbed in other Railways, are getting stepmotherly treatment. Persons who have rendered 15 to 20 years' service are not given any promotions or incentives. This is very unfair and the Railway administration should do something to rectify and remedy the poition.

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAMLAL SARRAF *in the Chair*]

[Shri P. G. Sen]

With a view to meeting the dearth of doctors on the Railways, the administration should select young and brilliant persons belonging to the poorer and backward classes and make arrangements for their medical education.

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : Mr. Chairman , Sir, on various occasions I have brought to the notice of the hon. Railway Minister the difficulties regarding Rail communication in my constituency, but adequate attention has not been paid towards them.

The passenger train running between Manmad and Parli-Vaijnath should be extended upto Mukhed or at least upto Nanded.

There is a long standing demand for a broad gauge line between Sholapur and Aurangabad and the Maharashtra Government had also written about this to the Centre. The line is necessary for the development at Aurangabad, Beer, Parbhani, Nader and Osmanabad districts of Marathwada in Maharashtra. There is a great scope for establishing new industries there if facility of rail communication is provided in this area. I therefore, request that this work may be taken up immediately.

The Manmad-Kachiguda metre gauge should be converted into broad gauge line, a demand for which has already been made by the Marathwada council.

The Latur-Miraj narrow gauge line is in a very bad condition. The engines used are old and worn-out. For carrying passengers to Pandharpur, wagons are used causing much inconvenience to the passengers. This practice is not only disgraceful but dangerous also. If the Railways cannot afford to provide passenger coaches, let them not do it but they should at least stop using wagons for carrying passengers.

As regards old or worn-out engines, steps should be taken to see that these are replaced by new ones or the trains running these are operated by diesel engines. I would also like to request the hon. Railway Minister that steps should be taken to provide a 20 mile broad gauge line between Latur and Latur Road with a view to having a useful link between the North and the South.

I would like to conclude by adding one more suggestion. The rail bridge on a river between Pakni and Madhewadi near Sholapur on the Bombay-Madras line, has no foot path causing much inconvenience to the local people. Although it is concern of the State Government, I would like to request the Railway Minister to ask the State Government to construct a foot path along side of the bridge.

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) : कलकत्ता के मध्य में स्थित सियालदा स्टेशन को जो भारत के सबसे अधिक भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों में से एक है, नया रूप देने के बारे में पिछले 15 वर्ष से कुछ भी नहीं किया गया है जब कि इस सम्बन्ध में बराबर आश्वासन दिये जाते रहे हैं। कलकत्ता के आसपास कई उपनगरीय स्टेशन हैं जिन्हें नवरूप देने की आवश्यकता है क्योंकि इन स्थानों की आबादी काफी बढ़ गई है और उन स्थानों में यात्रियों की भीड़-भाड़ बहुत रहती है। इसलिये इन दो बातों की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिला रहा हूं।

जाधवपुर तथा घड़िया के बीच हलटु नामक स्थान पर एक हाल्ट स्टेशन अथवा झंडी स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में स्थानीय जनता की मांग है। उन लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये रेलवे मंत्रालय को आवश्यक पग उठाने चाहिये।

पूर्व रेलवे के सियालदा डिवीजन में रेलवे की भूमि पर धरना देकर बसे हुये लोगों को फिर से बसाने के लिये दो-तीन वर्ष पूर्व रेलवे प्राधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को भूमि के कुछ प्लाट दिये गये थे किन्तु रेलवे लाइन पर रहने वाले इन व्यक्तियों में से कुछ लोगों को फिर से बसाने के पश्चात् राज्य सरकार ने इस काम में रुचि लेना छोड़ दिया है। चूंकि को विस्तार की आवश्यकता है। अतः ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को उक्त प्रयोजन के हेतु दी गई भूमि के बारे में जांच-पूंछ की जानी चाहिये। रेलवे मंत्रालय से मेरा यह भी अनुरोध है कि धरना दे कर रेलवे लाइन के आस पास बसे हुये इन लोगों को कलकत्ता के समीप कहीं रेलवे की भूमि में बसाया जाये जिससे कि इन लोगों को परेशानी न उठानी पड़े और रेलवे को भी हानि न हो।

रेलवे में संगचल एटेन्डैन्टों को दो वर्गों में रखकर उनके वेतनक्रमों में जो भेद भाव किया गया है, उसे समाप्त किया जाना चाहिये।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : पूर्वी रेलवे में एक सेवा आयोग की स्थापना की घोषणा का स्वागत है।

जहां तक रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की पदोन्नति का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव यह है कि वरिष्ठता के आधार पर ही पदोन्नति दी जानी चाहिये। क्योंकि वर्तमान पद्धति में काफी हेराफेरी तथा पक्षपात चलता है जिससे सम्बन्धित अधिकारियों के विभाग में असन्तोष तथा क्षोभ की भावना पैदा होती है।

जहां तक सेवा निवृत्ति का सम्बन्ध है, राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये इस सम्बन्ध में समान रूप से लागू होने वाला एक उचित नियम बनाया जाना चाहिये। अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवा अवधि 55 से बढ़ा कर 58 वर्ष तक करने के मामले में निर्णय उच्चतर अधिकारियों के स्वविवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

रेलवे में कोई कर्मचारी प्रबन्ध पदालि नहीं है। यदि रेलवे मजदूरों के साथ अच्छे संबंध कायम करना चाहती है, तो इस प्रश्न पर विचार करने का यह उपयुक्त समय है। इससे रेलवे के श्रमिक वर्ग भी संतुष्ट होगा। भारतीय रेलवे में निम्नतम श्रेणी से उच्चतम श्रेणी तक एक नियमित कर्मचारी प्रबन्ध पदालि कायम करना वांछनीय है।

बिहार के लोग चाहते हैं कि पटना और धनबाद के बीच एक सीधी रेलवे लाइन बिछायी जाये। सरकार को उनकी मांग पर विचार करना चाहिये और पटना और धनबाद के बीच एक सीधी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

जहां तक कर्मचारियों को आवास देने का संबंध है, रेलवे प्रतिवर्ष केवल 14,000 क्वार्टर बनाती है। मंत्री महोदय ने बताया है कि अब तक केवल 37 प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये हैं। मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि इस निर्माण-दर पर सभी रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टर देने में कितना समय लगेगा।

Shri Lakhan Das (Shahjahanpur) : There is disparity in salaries and pay scales of different categories of Railway employees. The Railway administration should take steps to see that the disparity is removed.

[Shri Lakhan Das]

Secondly, while it is true that the Railways have achieved all round progress, the evil of ticketless travelling still prevails, especially on the local trains, some concrete steps should be taken to check this evil. Efforts should also be made by the Railway administration to see that the pilferages of Railway equipment and losses to railway property are checked.

सभापति महोदय : चूंकि सभा में गणपूर्त्ति नहीं है, इसलिये सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक-सभा गरुवार 24 मार्च 1966/3 चैत्र, 1888 शक के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 24, 1966/*Chaitra* 3,1888 (*Saka*).

5428

भा०स०मु०ना०—वि 6—42 लोक सभा/66—26-7-67—600